Vol. 269
No. 11

Monday,
15 December, 2025
24 Agrahayana,1947 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

(PART-II)

CONTENTS

Papers Laid on the Table (pages 1 — 22)

Statement of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution— *Laid on the Table* (pages 22 — 23)

Reports of the Committee on Public Accounts— *Laid on the Table* (page 23)

Statements by Ministers—

Status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the Second and Fifth Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel— *Laid on the Table* (pages 23 — 24)

Status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the Three Hundred Seventy-ninth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture— *Laid on the Table* (page 24)

Oral Answers to Questions (pages 25 — 52)

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials*]*

Discussion on Election Reforms— *Discussion not concluded* (pages 52 — 170)

©
RAJYA SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Website : http://rajyasabha.nic.in
https://sansad.in/rs
E-mail: rsedit-e@rss.sansad.in

Contents Page

RAJYA SABHA

Monday, the 15th December, 2025/24 Agrahayana, 1947 (Saka)

The House met at eleven of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table.

Reports and Accounts (2024-25) of the various Companies, Corporations, Commissions, Bureau, Forum and Institutes and related papers

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येस्सो नाईक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँः—

I. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of the NTPC Limited, New Delhi, along with that of its subsidiary companies, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5444/18/25]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the SJVN Limited, Shimla, Himachal Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5445/18/25]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the Grid Controller of India Limited (*erstwhile* PSOCL), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

Contents Page

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5443/18/25]

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the DNH and DD Power Corporation Limited (DNHDDPCL), Silvassa, U.T. of Dadra and Nagar Haveli, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5442/18/25]

(v) (a) Annual Report and Accounts of the Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5808/18/25]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 100 and sub-section (2) of Section 101 of the Electricity Act, 2003: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Central Electricity Regulatory Commission (CERC), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Commission.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5448/18/25]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC), for the U.T. of Jammu and Kashmir and U.T. of Ladakh, Jammu, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Commission.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5450/18/25]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC), for the State of Goa and Union Territories, Goa, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

Contents Page

(b) Review by Government on the working of the above Commission.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5449/18/25]

(C) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (5) of Section 45 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948: -

(a) Annual Report and Accounts of the Damodar Valley Corporation Limited (DVC), Kolkata, West Bengal, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5447/18/25]

(D) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 24 and sub-section (4) of Section 25 of the Energy Conservation Act, 2001: -

(a) Annual Report and Accounts of the Bureau of Energy Efficiency (BEE), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Bureau.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5453/18/25]

(E) A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Forum of Regulators (FOR), Janpath, New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Forum.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5446/18/25]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Central Power Research Institute (CPRI), Bengaluru, Karnataka, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5452/18/25]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the National Power Training Institute (NPTI), Faridabad, Haryana, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5451/18/25]

I. Reports and Accounts (2024-25) of ANIIDCO, Port Blair, U.T. of Andaman and Nicobar Islands: the Coir Board, Kochi and related papers

II. Reports and Accounts (2024-25) of various Centres, Tool Rooms, Trust and Institutes and related papers

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा करांदलाजे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:—

I. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013: -

(a) Thirty-seventh Annual Report and Accounts of the Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited (ANIIDCO), Port Blair, U.T. of Andaman and Nicobar Islands, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5827/18/25]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-Section (1) of Section 19 and sub-section (4) of Section 17 of the Coir Industry Act, 1953: -

(a) Seventy-first Annual Report of the Coir Board, Kochi, for the year 2024-25.

(b) Annual Accounts of the Coir Board, Kochi, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon.

(c) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5472/18/25]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

Contents Page

(i) (a) Fourth Annual Report and Accounts of the MSME- Technology Centre, Durg, Chhattisgarh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5471/18/25]

(ii) (a) Fifth Annual Report and Accounts of the MSME- Technology Centre, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5470/18/25]

(iii) (a) Thirty-three Annual Report and Accounts of the Central Tool Room & Training Centre (CTTC), Bhubaneswar, Odisha, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5473/18/25]

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the Process Cum Product Development Centre (PPDC), Meerut, Uttar Pradesh, fortheyear2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5477/18/25]

(v) (a) Thirty-three Annual Report and Accounts of the Indo German Tool Room (IGTR), Ahmedabad, Gujarat, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5475/18/25]

(vi) (a) Annual Report and Accounts of the Indo Danish Tool Room(IDTR), Jamshedpur, Jharkhand, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5474/18/25]

(vii) (a) Fifty-fifth Annual Report and Accounts of the Central Institute of Tool Design (CITD), Hyderabad, Telangana, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5476/18/25]

(viii) (a) Twenty-fifth Annual Report and Accounts of the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Mumbai, Maharashtra, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5831/18/25]

(ix) (a) Annual Report and Audited Accounts of the Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (MGIRI), Wardha, Maharashtra, for the year 2024-25.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5830/18/25]

(x) (a) Sixty-second Annual Report and Accounts of the National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises (ni-msme), Hyderabad, Telangana, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5828/18/25]

(xi) (a) Sixty-third Annual Report and Accounts of the National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises (ni-msme), Hyderabad, Telangana, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5829/18/25]

I. Reports and Accounts (2024-25) of EIL, New Delhi; HPCL, IOCL, BPCL, Mumbai; OIL, Assam; OIDB, Noida and related papers

II. MoUs between GoI and Balmer Lawrie and Co. Ltd., IOCL, BPCL and EIL for the year 2025-26

III. Reports and Accounts (2024-25) of the various Corporation, Companies, Council and Institutes and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SURESH GOPI): Sir, I lay on the Table:—

I. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Engineers India Limited (EIL), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5482/18/25]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), Mumbai, Maharashtra, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5438/18/25]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Mumbai, Maharashtra, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5481/18/25]

Contents Page

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), Mumbai, Maharashtra, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5840/18/25]

(v) (a) Annual Report and Accounts of the Oil India Limited (OIL), Duliajan, Assam, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Board.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5836/18/25]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 20 of the Oil Industry (Development) Act, 1974:—

(a) Annual Report and Accounts of the Oil Industry Development Board (OIDB), Noida, Uttar Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Board.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5949/18/25]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Balmer Lawrie & Co. Ltd., for the year 2025-26.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5834/18/25]

(ii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and the Indian Oil Corporation Limited (IOCL), for the year 2025-26.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5833/18/25]

Contents Page

(iii) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and the Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), for the year 2025-26.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5832/18/25]

(iv) Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Petroleum and Natural Gas) and Engineers India Limited, New Delhi, for the year 2025-26.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5835/18/25]

III. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b)of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

(i) (a) Sixtieth Annual Report and Accounts of the India Tourism Development Corporation Limited (ITDC), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5641/18/25]

(ii) (a) Thirty-ninth Annual Report and Accounts of the Pondicherry Ashok Hotel Corporation Limited (PAHCL), Puducherry, UT of Puducherry, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5642/18/25]

(iii) (a) Twenty-seventh Annual Report and Accounts of the Punjab Ashok Hotel Company Limited, Chandigarh, Punjab, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5643/18/25]

Contents Page

(iv) (a) Forty-second Annual Report and Accounts of the Ranchi Ashok Bihar Hotel Corporation Limited, Patna, Bihar, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5644/18/25]

(v) (a) Forty-second Annual Report and Accounts of the Utkal Ashok Hotel Corporation Limited (UAHCL), Puri, Odisha, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5645/18/25]

(vi) (a) Twenty-fourth Annual Report and Accounts of the Kumarakruppa Frontier Hotels Private Limited, New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5646/18/25]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) (a) Annual Report and Accounts of the National Council for Hotel Management and Catering Technology (NCHMCT), NOIDA, Uttar Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Council.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5628/18/25]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition, (IHM), Bangaluru, Karnataka, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

Contents Page

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5640/18/25]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Bhopal, Madhya Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5630/18/25]

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Bhubaneswar, Odisha, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5631/18/25]

(v) (a) Thirty-fifth Annual Report and Accounts of the Dr. Ambedkar Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition, Chandigarh, Punjab, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5632/18/25]

(vi) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Chennai, Tamil Nadu, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5633/18/25]

(vii) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Ahmedabad, Gujarat, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

Contents Page

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5634/18/25]

(viii) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Alto-Porvorim, Goa, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5635/18/25]

(ix) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Gwalior, Madhya Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5636/18/25]

(x) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Guwahati, Assam, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5637/18/25]

(xi) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Shillong, Meghalaya, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5638/18/25]

(xii) (a) Forty-second Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Hyderabad, Telangana, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

Contents Page

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5639/18/25]

(xiii) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Jaipur, Rajasthan, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5619/18/25]

(xiv) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Kolkata, West Bengal, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5620/18/25]

(xv) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Hajipur, Bihar, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5621/18/25]

(xvi) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition, Kufri, Shimla, Himachal Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5622/18/25]

(xvii) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management and Catering Technology, Thiruvananthapuram, Kerala, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5629/18/25]

(xviii) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Srinagar, U.T. of Jammu and Kashmir, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5623/18/25]

(xix) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Mumbai, Maharashtra, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5624/18/25]

(xx) (a) Thirty-first Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition (Society), Gurdaspur, Punjab, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5625/18/25]

(xxi) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Lucknow, Uttar Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5626/18/25]

(xxii) (a) Annual Report and Accounts of the Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition, Pusa, New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5627/18/25]

(xxiii) (a) Forty-third Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Tourism and Travel Management (IITTM), Gwalior, Madhya Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5618/18/25]

(xxiv) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Culinary Institute (ICI) Noida, Uttar Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Performance Review by the Government on the working of above Institute.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5643/18/25]

Statements showing action taken by the Government on the various assurances, promises and undertakings given during various Sessions

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Statements showing action taken by the Government on the various assurances, promises and undertakings given during the Session shown against each:—

1.	Statement No. XXXV	Two Hundred Nineteenth, 2010 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5950/18/25]
2.	Statement No. XXXVI	Two Hundred Thirtieth, 2014 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5951/18/25]
3.	Statement No. XXX	Two Hundred Thirty Second, 2014 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5952/18/25]

4.	Statement No. XXIX	Two Hundred Thirty Third, 2014 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5953/18/25]
5.	Statement No. XXVI	Two Hundred Forty Second, 2017 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5954/18/25]
6.	Statement No. XXIII	Two Hundred Forty Fifth, 2018 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5955/18/25]
7.	Statement No. XXV	Two Hundred Forty Sixth, 2018 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5956/18/25]
8.	Statement No. XX	Two Hundred Forty Seven, 2019 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5957/18/25]
9.	Statement No. XX	Two Hundred Forty Ninth, 2019 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5958/18/25]
10.	Statement No. XXI	Two Hundred Fiftieth, 2019 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5959/18/25]
11.	Statement No. XX	Two Hundred Fifty First, 2020 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5960/18/25]
12.	Statement No. XX	Two Hundred Fifty Third, 2021 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5961/18/25]
13.	Statement No. XX	Two Hundred Fifty Fourth, 2021 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5962/18/25]
14.	Statement No. XVIII	Two Hundred Fifty Sixth, 2022 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5963/18/25]
15.	Statement No. XII	Two Hundred Fifty Eighth, 2022 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5964/18/25]
16.	Statement No. XII	Two Hundred Fifty Ninth, 2023 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5965/18/25]

Contents Page

17.	Statement No. IX	Two Hundred Sixtieth, 2023 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5966/18/25]
18.	Statement No. VIII	Two Hundred Sixty Second, 2023 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5967/18/25]
19.	Statement No. VIII	Two Hundred Sixty Third, 2024 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5968/18/25]
20.	Statement No. VII	Two Hundred Sixty Fifth, 2024 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5969/18/25]
21.	Statement No. V	Two Hundred Sixty Sixth, 2024 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5970/18/25]
22.	Statement No. III	Two Hundred Sixty Seventh, 2025 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5971/18/25]
23.	Statement No. I	Two Hundred Sixty Eighth, 2025 [Placed in Library. *See* No. L.T. 5972/18/25]

I. Reports and Accounts (2024-25) of MIDHANI, Hyderabad; BEML, BLAL, HAL, Bengaluru; MP-IDSA and CENJOWS, New Delhi and related papers

II. MoU between GoI and HAL, Bengaluru for the year 2025-26

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SANJAY SETH): Sir, I lay on the Table:—

I. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI), Hyderabad, Telangana, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5521/18/25]

(ii) (a) Sixty-first Annual Report and Accounts of the BEML Limited, Bengaluru, Karnataka, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5523/18/25]

(iii) (a) Fourth Annual Report and Accounts of the BEML Land Assets Limited (BLAL), Bengaluru, Karnataka, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5522/18/25]

(iv) (a) Sixty-second Annual Report and Accounts of the Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Bengaluru, Karnataka, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Company.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5524/18/25]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) (a) Annual Report and Accounts of Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5520/18/25]

(ii) (a) Annual Report and Accounts of the Centre for Joint Warfare Studies (CENJOWS), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Centre.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5973/18/25]

II. A copy (in English and Hindi) of the Memorandum of Understanding between the Government of India, (Ministry of Defence) and the Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Bengaluru, Karnataka, for the year 2025-26.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5526/18/25]

I. Notifications of the Ministry of Housing and Urban Affairs

II. Reports and Accounts (2024-25) of BMRCL, Bengaluru; UPMRCL, Lucknow; MMRCL, Mumbai; and DUAC, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Sir, on behalf of Shri Tokhan Sahu, I lay on the Table:—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Housing and Urban Affairs Notification No. G.S.R. 577(E)., dated the 26th August, 2025, publishing Delhi Development Authority, Despatch Rider/Three Wheeler Driver (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025, under Section 58 of the Delhi Development Act, 1957.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5490/18/25]

II. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

(i) (a) Nineteenth Annual Report and Accounts of the Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL), Bengaluru, Karnataka, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5488/18/25]

(ii) (a) Twelfth Annual Report and Accounts of the Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (UPMRCL), Lucknow, Uttar Pradesh, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5489/18/25]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRCL), Mumbai, Maharashtra, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5487/18/25]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 19 and sub-section (4) of Section 20 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973:—

(a) Annual Report of the Delhi Urban Art Commission (DUAC), New Delhi, for the year 2024-25.

(b) Annual Accounts of the Delhi Urban Art Commission (DUAC), New Delhi, for the year 2024-25, and the Audit Report thereon.

(c) Review by Government on the working of the above Commission.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5491/18/25]

Reports and Accounts (2024-25) of the Brahmaputra Board, Guwahati; NDSA, New Delhi; and NIH, Roorkee and PPA, Hyderabad and related papers

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:—

(A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under Section 21 of the Brahmaputra Board Act, 1980:—

(a) Annual Report and Accounts of the Brahmaputra Board, Guwahati, Assam, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Board.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5927/18/25]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 45 of the Dam Safety Act, 2021:—

(a) Annual Report of the National Dam Safety Authority (NDSA), New Delhi, for the year 2024-25.

(b) Review by Government on the working of the above Authority.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5493/18/25]

(C) A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Hydrology (NIH), Roorkee, Uttarakhand, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Institute.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5925/18/25]

(ii) (a) Annual Report of the Polavaram Project Authority (PPA), Hyderabad, Telangana, for the year 2024-25.

(b) Review by Government on the working of the above Authority.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5492/18/25]

I. Notification of the Ministry of Civil Aviation

II. Reports and Accounts (2023-24 and 2024-25) of Pawan Hans Limited and AAI, New Delhi and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SURESH GOPI): Sir, on behalf of Shri Murlidhar Mohol, I lay on the Table:—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Civil Aviation Notification No. A-42011/60/2020-HR., dated the 19th September, 2024, publishing the Airports Authority of India (Leave) Amendment Regulations, 2024, under Section 43 of the Airports Authority of India Act, 1944, along with delay statement and Explanatory Memorandum.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5933/18/25]

II. (i) (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

Contents Page

(a) Annual Report and Accounts of the Pawan Hans Limited, New Delhi, for the year 2023-24, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5935/18/25]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 28 and sub-section (2) of Section 29 of the Airports Authority of India Act, 1994:—

(a) Annual Report and Accounts of the Airports Authority of India (AAI), New Delhi, for the year 2024-25, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5934/18/25]

Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March 2023 — Union Government (Commercial) — No. 18 of 2025

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19क की उप-धारा (2) के अधीन 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए – संघ सरकार (वाणिज्यिक) – 2025 के संख्यांक 18 (अनुपालन लेखापरीक्षा समुक्तियां) के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5553/18/25]

STATEMENT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

SHRI PRAKASH CHIK BARAIK (West Bengal): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Final Action Taken Statement showing Action Taken by the Government on the recommendations contained in Chapter I of the Tenth Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Department-related Parliamentary Standing

Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution on Action Taken by the Government on the observations/recommendations contained in its Sixth Report (Eighteenth Lok Sabha) on 'Demands for Grants (2024-25)' pertaining to Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution).

REPORTS OF THE COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi)of the following Reports of the Committee on Public Accounts (2025-26):—

(i) Thirty-fourth Report of the Committee on 'Irregular grant of incentives and allowances' pertaining to the Ministry of Science and Technology (Department of Scientific and Industrial Research); and

(ii) Thirty-fifth Report of the Committee on Action Taken by the Government on the Observations/ Recommendations of the Committee contained in its One Hundred and Forty-second Report (Seventeenth Lok Sabha) on 'National Social Assistance Programme' pertaining to the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development).

STATEMENTS BY MINISTERS

Status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the Second and Fifth Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दूबे): महोदय, मैं निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ:—

(a) Status of implementation of the Recommendations/ Observations contained in the Second Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel on Demands for Grants (2024-25) relating to the Ministry of Mines.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5752/18/25]

Contents Page

(b) Status of implementation of the Recommendations/ Observations contained in the Fifth Report (Eighteenth Lok Sabha) of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel on Demands for Grants (2025-26) relating to the Ministry of Mines.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5753/18/25]

Status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the Three Hundred Seventy-ninth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SURESH GOPI): Sir, I lay the statement regarding Status of implementation of the Recommendations/Observations contained in the Three Hundred Seventy-ninth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2025-26) pertaining to the Ministry of Tourism.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 5543/18/25]

श्री उपसभापति: माननीय नेता सदन कुछ कहना चाहते हैं।

सभा के नेता (**श्री जगत प्रकाश नड्डा**) : सर, बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल कांग्रेस पार्टी की जो रैली हुई। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): सर, वह रैली बाहर हुई है, अंदर नहीं हुई है। ...(**व्यवधान**)... हाउस के अंदर कुछ नहीं हुआ। ...(**व्यवधान**)...

श्री जगत प्रकाश नड्डा: उसमें नारे लगे, 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी'। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय सभा के नेता की बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: इस तरह के नारे कांग्रेस पार्टी की सोच और मानसिकता को दर्शाते हैं। ...(**व्यवधान**)... यह नामदारों की झुंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है। ...(**व्यवधान**)... साथ ही, माननीय प्रधान मंत्री के खिलाफ इस तरह की बात कहना और उनकी मृत्यु की कामना करना अपने आपमें बहुत ही निंदनीय है। ...(**व्यवधान**)... इसके लिए हमारे विपक्ष के नेता और यहां जो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी बैठी हैं, ...(**व्यवधान**)... इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और यह जो नामदारों की झुंझलाहट है, ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, this is Zero Hour. Let us run the House.

श्री जगत प्रकाश नड्डा : इसको समझना चाहिए और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है, जो कल्पना के बाहर है। ...(**व्यवधान**)... इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned at eight minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at twelve of the clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR.CHAIRMAN: Now Questions hours. Question no. 151.

Reducing compliance burden in environmental clearance for MSMEs

*151. SHRI DHAIRYASHIL MOHAN PATIL: Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:—

(a) whether Government is considering to allow MSME units in the Konkan region of Maharashtra to meet the 33 per cent green area requirement for environmental clearance collectively, instead of individually for each plot, to ease the compliance burden;

(b) if so, the details of any guidelines or pilot models for this;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) whether recommendations have been received from industry associations regarding cluster-based green compliance?

THE MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI JITAN RAM MANJHI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), on the subject 'Greening/Green Belt Development in Industrial Estates/ Parks/Complexes/ Areas, Export Processing Zones (EPZs), Special Economic

Zones (SEZs), Biotech Parks, Leather Complexes as a whole and in the premises of the individual industrial units in the said areas', issued an OM, dated 27th October, 2020. As per the OM, an overall green area of at least 33 % of the Industrial Estate should be developed and the Industrial Estate may allocate area for developing green cover to respective individual Industrial Units, so as to achieve the overall 33 % Green Belt/Green Cover requirements.

Subsequently vide OM dated 29th October, 2025, the criteria has been revised as below:

A. Green Belt/green cover in Industrial Estates /Parks norms given in the OM mandate that in Industrial Estates, a minimum of 10% of the area of the industrial estate shall be designated as common green area and respective red category and orange category Industrial units, within the Estate, shall develop 15% and 10% of the area of their premises as green belt/green cover respectively. For green category and white category Industrial units within the Estate, the Green belt requirement has been made optional.

B. Green Belt/green cover in Individual Industrial Units outside Industrial Estates norms of the OM are reproduced below:

Category	Minimum Green Belt Requirement	
	Predominantly Air Polluting Sectors [PI_A means air pollution score]	Other Sectors
Red	25% ($PI_A \geq 80$)	20%
Orange	20% ($PI_A \geq 55$)	15%
Green	10% ($PI_A \geq 25$)	Optional with no mandatory requirement
White	Optional with no mandatory requirement	

As per the revised norms, individual industrial units outside the Industrial Estates, in red and orange category industries are required to develop 25% and 20% green belt/green cover in their respective premises, which may be reduced by 5%, each if they are not predominantly air polluting industries.

The revised norms provide the benefit of additional land area to all industries, including MSMEs across the country, including the State of Maharashtra to expand

their operations without compromising the environmental needs of developing green belt/ green cover and have eased the compliance burden.

श्री धैर्यशील मोहन पाटिल: सभापति महोदय, मेरा प्रश्न महाराष्ट्र के कोंकण रीजन के लिए है। सर, एमएसएमई मंत्रालय का सीमित संसाधनों के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और उद्यियों को बढ़ावा देने का काम है। यह काम मंत्रालय बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है। कोंकण एमएसएमई उद्यमों को बैंक ऋण की सुगम उपलब्धता होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है, जिसके कारण बेहतरीन सरकारी योजनाएं काबिल उद्यमी होने के बावजूद भी बैंकों के नकारात्मक अनुभव में यह एक प्रमुख बाधा बन गई है। सर, मेरा प्रश्न यह है कि एमएसएमई के लिए ऋण सुविधा, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सुदृढ़ करने के लिए कौन-से कदम प्रस्तावित हैं?

श्री जीतन राम मांझी: सभापति महोदय, यह बात सही है कि प्रश्न में महाराष्ट्र के कोंकण के संबंध में विशेष रूप में कहा गया है। हमारा जो एमएसएमई का कार्यक्रम चलता है, उसको हम लोग सेंट्रली चलाते हैं। इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि बेसिकली यह प्रश्न environment से संबंधित है, हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि यह हमारे यहां offset हुआ है, इसलिए इसके बारे में मैंने बताया है। इसमें यही कहना है कि जो वातावरण होता है, जो industrial कार्यक्रम होता है, उसमें बताया गया है कि सेंट्रली 33 परसेंट हरित पट्टी, यानी कि ग्रीन पट्टी होनी चाहिए। उसमें अगर कहीं कोई बात होती है, तो उसके लिए एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने संशोधन किया है और इसलिए किया गया है कि अगर 33 प्रतिशत हरित पट्टी के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, तो इंडस्ट्री के काम के लिए कोई स्पेस नहीं बचता है। इसमें एक कमेटी बनी और उसने एक सुझाव दिया। जो Forest Policy (Conservation) Act, 1980 है, उसमें भी यही कहा था कि 33 परसेंट हरित पट्टी के लिए स्पेस होना चाहिए और फिर बाद में नेशनल फॉरेस्ट एक्ट, 1998 बना, उसमें भी 33 परसेंट की बात कही गई थीं, लेकिन बाद में इसको मोडिफाई करते हुए दो कमेटी बनी थीं। उन्होंने अनुशंसा की जिसमें यह हुआ कि औद्योगिक क्षेत्र में जो 33 परसेंट हरित पट्टी के लिए छोड़ते हैं, उसके लिए 29.10.2025 को हमारे विभाग द्वारा इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए एक ओएम दिया गया है, उसमें individual unit के लिए 10 परसेंट किया गया है। उसमें रेड और ऑरेंज किया जाता है। रेड का मतलब है कि जहां ज्यादा प्रदूषण है और ऑरेंज का मतलब है कि जहां कम प्रदूषण है, तो उसमें 15 परसेंट रेड के लिए और ऑरेंज के लिए 10 परसेंट किया गया है। उसके बाद एक ग्रीन पट्टी होती है और व्हाइट पट्टी होती है। ग्रीन पट्टी और व्हाइट पट्टी में कोई मेंडेटरी हिसाब नहीं है कि क्या किया जाए? यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए हुआ, लेकिन individual क्षेत्र के लिए भी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कहां बहुत ज्यादा गैस हो या बहुत ज्यादा प्रदूषण हो, वहां हम रेड में 25 प्रतिशत और ऑरेंज में 20 प्रतिशत की बात करते हैं। ग्रीन में 10 प्रतिशत की बात कही है, लेकिन व्हाइट के लिये कोई बात नहीं कही गई है। इसके साथ ही अन्य जगहों में भी है। महोदय, इसमें पहले तो इन्डिविजुअल के बारे में बताया गया है, जहाँ पर इंडस्ट्री है, लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ के लिए भी कहा गया है। उसमें रेड के लिए 20 प्रतिशत और ऑरेंज के लिए 15 प्रतिशत रखा गया है।

Contents Page

सभापति महोदय, यदि उसमें क्षेत्रवार बात करते हैं, तो हमने इसमें उसके बारे में भी बताया है, उसके लिए 36 जगहों पर काम किया है। मेरे पास उसकी सूची है, यहाँ पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, विलंब हो सकता है, लेकिन मैं इसके सारांश के तौर यह बता देता हूं कि हमने यह कम से कम 38 जगहों पर किया है।

सभापति महोदय, जहाँ तक अनुमोदित गारंटियों और संख्या की बात है, तो वह संख्या 10,76,980 है और हमने इसके लिए 1,48,314 की राशि प्रदान की है। हम उसमें इस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। यह पर्टिकुलरली कहीं-कहीं है, लेकिन हम as a whole, सारे राष्ट्र के लिए ऐसा करते हैं।

सभापति महोदय, जहाँ तक सुगम ऋण का मामला है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री तथा बैंक के साथ लगातार टेक-अप किया जा रहा है, उसके अंतर्गत कोंकण क्षेत्र है और महाराष्ट्र की अन्य जगहें भी हैं। हमने इसके लिए सभी जगहों पर व्यवस्था की है।

श्री धैर्यशील मोहन पाटिल: सभापति जी, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने यह प्रश्न स्पेसिफिक्ली कोंकण रीज़न के लिए पूछा है। कोंकण एक बहु विविधता और वृहद खनिज संपदा से संपन्न भूमि है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कई परंपरागत उद्योग लगाए जाते हैं। वहाँ पर गणेश मूर्ति का निर्माण, समुद्र अवशेषों से लाइम का निर्माण, नारियल के विविध उत्पाद, कताई कारखाना आदि परंपरागत रूप से विद्यमान उद्योग हैं। लेकिन, इसके बावजूद भी कोंकणवासियों का स्थानांतरण एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि मंत्री महोदय बहुत बड़े जानकार हैं, बहुत लोगों की समस्याओं का निबटारा करने में माहिर हैं, अतः इस समस्या को MSME मंत्रालय के माध्यम से सुलझाने में मदद हो सकती है। सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से प्रश्न है कि कोंकण क्षेत्र में पारंपरिक, प्राकृतिक और प्रगतिशील उद्योगों को बढ़ावा देना, स्थानीय रोजगार का सृजन करना तथा उसके माध्यम से मुंबई और अन्य शहरों में हुए माइग्रेशन को रिवर्स करके कोंकण की भूमि को लोगों से एक बार फिर से हरी-भरी करने के लिए एमएसएमई की क्या ठोस उपाय योजना है? यह उपाय योजना और संगठित करने के लिए मंत्री महोदय को 10-12 दिनों के अंदर एक बैठक बुलाकर इस पर चर्चा करने की बहुत आवश्यकता है। मेरी मंत्री महोदय से विनती है कि अगर इस विषय पर 10-12 दिनों के अंदर एकाध बैठक होती है, तो अच्छा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बैठक को बुलाने के लिए इनका क्या प्रस्ताव है और क्या यह मीटिंग होगी? महोदय, मेरी मंत्री जी से यह विनती भी है और प्रश्न भी है।

श्री जीतन राम मांझी: सभापति महोदय, हम माननीय सदस्य को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मीटिंग बुलाने का एक सुझाव दिया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि एस निश्चित तिथि तय करके उन्हें तथा संबंधित लोगों को जरूर बुलाएंगे और इस पर बात करेंगे। जहाँ तक MSME के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने की बात है, मैं उस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि एमएमएमई, प्रधान मंत्री जी ने खास तौर पर एक बहुत ही विचारणीय और प्रतिष्ठित संस्था बनाई है, जिसमें गरीब और छोटे लोगों के लिए, जिनके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा था, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के बारे में विशेष चर्चा करके, उन्हें आगे बढ़ाने की

बात कही है। उन्होंने पूछा है कि कैसे लाभान्वित होते हैं, मैं इसके लिए उन्हें बताना चाहता हूं कि इसके लिए हम लोगों ने पोर्टल्स बनाये हैं, जिनमें एक 'उद्यम पोर्टल' है और दूसरा 'उद्यम असिस्ट पोर्टल' है। 'उद्यम पोर्टल' में उन लोगों का, जिनके पास पैन नं. वगैरह कागज होते हैं, उन्हें रजिस्टर करते हैं और 'उद्यम असिस्ट पोर्टल' में वे लोग रजिस्टर होते हैं, जिनके पास कोई कागज़ात नहीं हैं। सर, अगर समस्त भारत की बात कही जाए, तो हम लोगों ने आज तक लगभाग 7 करोड़ इकाइयों को रजिस्टर किया है, जिसके माध्यम से लगभग 31 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। हम इन्हें रजिस्टर कर रहे हैं। जहाँ तक पहले प्रश्न की बात है, इन्होंने महाराष्ट्र के बारे में कहा है। यहाँ पर अहिल्या नगर है, अकोला है, अमरावती है, बीड है, भंडारा है, बुलढाना है, चंद्रपुर है, छत्रपति शंभाजी नगर है, धाराशिव है, धुवे है, गढ़चिरौली है, गोणिया है, हिंगोली है, जलगाँव है, जालना है, कोल्हापुर है, लातूर है, मुंबई है, मुंबई उप नगर है, नागपुर इत्यादि क्षेत्र हैं, जो कोंकण क्षेत्र में भी आते हैं....। इसमें पर्टिकुलरली कोंकण क्षेत्र ही नहीं है, लेकिन कोंकण क्षेत्र के जिले भी इसमें समाहित हैं। हमने इसमें सभी जिलों की अलग-अलग संख्या भी बता दी है। हम लोगों ने कुल 10,76,980 लोगों को गारंटियाँ दी हैं और 1,48,314 लोगों को रुपये दिए हैं, जिससे छोटे-छोटे लोग लाभान्वित होते हैं और लाभान्वित होकर गरीबी रेखा से ऊपर उठते हैं। जो हमारे गरीब लोग बाहर पलायन करते हैं, इससे उन्हें भी रोका जाता है। पलायन की स्थिति तभी आती है, जब हमारे यहाँ छोटे उद्योग नहीं होते हैं। महोदय, इस संबंध में हम आपके ध्यान में एक बात लाना चाहेंगे। हम आपको इतिहास में ले जाना चाहेंगे। हमारे हिन्दुस्तान को लेकर एक समय ऐसा कहा जाता था कि यह विश्व गुरु है या सोने की चिड़िया है। हुजूर, उस समय बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल स्टेकहोल्डर्स नहीं होते थे, बल्कि यही एमएसएमई होता था। छोटे-छोटे काम करने वाले लोहार, पोर्टर, कारपेंटर अपना-अपना काम करते थे, जिनके लिए किसी ने नहीं सोचा था। प्रधान मंत्री ने यही सोचकर पीएम विश्वकर्मा योजना लाने का काम किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से भी हम लोग इसी तरह से ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं और लोगों को लाभान्वित करते हैं।

महोदय, हमारा टारगेट है कि हम लोग 2028 तक तीस लाख लोगों को लाभान्वित करेंगे। अभी हम 12 लाख लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं। जो प्रश्नकर्ता हैं, उनका यही कहना है कि हम गरीब लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाएं, उनका पलायन रोकें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यही एमएसएमई का उद्देश्य है और उसी के लिए हम यह सब कर रहे हैं। हमने उन्हें इसका डेटा भी बताया है। हम सदन के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एमएसएमई गरीब लोगों को, खास करके वे लोग जो हजाम हैं, रास्ते पर बैठकर हेयर कटिंग या शेविंग करते हैं, जो चर्मकार भाई हैं, सड़कों पर बैठकर चप्पल सिलते हैं, उनके लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से इन लोगों से भी कहा है कि हम आपको पंद्रह हजार रुपये बिना सूद के एकदम दे देंगे, ताकि आपका काम आगे बढ़ सके। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे एमएसएमई के द्वारा ऐसे-ऐसे अनछुए लोगों को बढ़ाया जा रहा है, जिन्हें आज तक किसी ने बढ़ाने का काम नहीं किया था। हमारे प्रधान मंत्री जी की यह कल्पना है, जिसके माध्यम से एमएसएमई को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने भी की है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और पुनः दोहराते हैं कि उनका यह

सजेशन बहुत अच्छा है। निकट भविष्य में इस संबंध में एक बैठक बुलाकर, विशेषकर कोंकण के संबंध में, महाराष्ट्र के संबंध में हम कोई ठोस निर्णय लेंगे।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary. Shrimati Rajani Patil.

SHRIMATI RAJANI ASHOKRAO PATIL: Sir, multiple policy studies indicate that nearly 86 per cent of manufacturing-MSMEs remain unregistered, with only a small fraction covered under GST or income tax system, leading to serious credit exclusion due to lack of reliable data and outdated underwriting practices. In this context, could the Minister explain why the single-window clearance and registration mechanism have not reduced procedural delays as intended and what immediate steps are being taken to simplify the registration so that MSMEs can formalize fast and gain timely access to institutional credit?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री जीतन राम मांझी: महोदय, माननीय सदस्य ने जीएसटी की चर्चा की है। मैं सबसे पहले उन्हें यह जानकारी देना चाहता हूँ कि जहाँ तक एमएसएमई का संबंध है, जिसमें छोटे-छोटे एंटरप्रेन्योर्स का काम होता है, इसमें जीएसटी का बहुत महत्व नहीं होता है। उन पर जीएसटी लगता ही नहीं है। जहाँ तक इसे आगे बढ़ाने, इसके माध्यम से लोगों को इम्प्लॉयमेंट देने की बात है और जो अन्य बातों की चर्चा की गई है, तो इसीलिए हमने पूर्व में भी अपनी बातें कही हैं कि हम लोगों का उद्देश्य ही यह है कि गरीब लोगों को जॉब देकर हर तरह से आगे बढ़ाएं।

हुजूर, जहाँ तक बैंकों का सवाल है, तो इसमें हम लोग यह करते हैं कि बिना बैंक गारंटी के, बिना सूद के एक लाख रुपये तक का लोन देते हैं, ताकि वह आगे बढ़े। जब यह रकम दो लाख होती है, तब भी बैंक गारंटी की कोई जरूरत नहीं होती है। हम सिर्फ चार परसेंट सूद पर उन्हें आगे का काम करने के लिए लोन देते हैं। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, तो इसमें बहुत मिनिमम, नॉमिनल जीएसटी लगता है, जिससे हमारे एंटरप्रेन्योर्स को कोई दिक्कत नहीं हो और हम उन्हें फैसिलिटेट कर सकें। जिससे कि वे अपने उद्योग को आगे बढ़ाएं और अपने यहां unemployment को दूर करें। इसके जवाब में हमारा यही कहना है।

SHRIMATI RAJANI ASHOKRAO PATIL: Sir, my question was different.

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary, Dr. Bhim Singh.

डा. भीम सिंह: महोदय, हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, वे हमारे मुख्य मंत्री भी रहे हैं और हम इनके अंतर्गत मंत्री रहे हैं। कोंकण भारत का एक बहुत प्यारा क्षेत्र है। वह एक सुंदर क्षेत्र है और वहां जाने में बहुत अच्छा लगता है।

महोदय, हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार यह बताएगी कि 27 अक्टूबर, 2020 और 29 अक्टूबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापनों के अंतर्गत कोंकण क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों और एमएसएमई क्लस्टरों में सामूहिक हरित क्षेत्र, कॉमन ग्रीन कवर लागू करने के लिए अब तक कितने औद्योगिक एस्टेट्स या क्लस्टर्स चिन्हित किए गए हैं और उनकी क्या प्रगति है?

श्री जीतन राम मांझी: सभापति महोदय, यह बात सही है कि 27.10.2020 को जो ओएम जारी किया जाता है, वह औद्योगिक क्षेत्रों के लिए किया गया था। उस समय तक 33 परसेंट ग्रीन पट्टी की बात होती थी। उसी को रिवाइज़ करते हुए 29.10.2025 को ओएम जारी किया गया। यह देखा गया था कि 33 प्रतिशत बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको रिड्यूस किया गया। इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए 10 प्रतिशत और इंडिविजुअल यूनिट के लिए 15 प्रतिशत रेड के लिए किया गया है और 10 प्रतिशत ऑरेंज के लिए किया गया है। हमने रेड और ऑरेंज की डेफिनेशन बताने का काम किया है। जहां तक ग्रीन और वाइट का सवाल है, वहां पर कोई भी मेन्डेटरी नहीं है। उसमें वे जैसी भी, जितनी भी जमीन छोड़ सकते हैं या लगा सकते हैं। जहां तक यह प्रश्न है कि हमने कितने लोगों को लाभान्वित किया, इसमें खासकर कोंकण की बात करते हैं - तो जो पहला सप्लीमेंट्री आया था और जिस प्रकार से माननीय सांसद भीम बाबू ने प्रश्न किया – तो इस बात को emphasis करने के लिए और पब्लिक को कोऑपरेट करने के लिए हम कहना चाहते हैं कि अगर पहली मीटिंग करनी होगी, तो हम कोंकण में जाकर ही करेंगे, ताकि इसको और बढ़ा सकेंगे और कोंकण की समस्या को दूर कर सकेंगे।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary, Shri Subhasish Khuntia.

SHRI SUBHASISH KHUNTIA: Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to put a supplementary question after 20 months. सर, मैं आपके माध्यम से मान्यवर मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ओडिशा, विशेषकर पुरी में कितने लोगों को एमएसएमई से बेनिफिट पहुंच रहा है और कौन-कौन से क्षेत्रों से उनको बेनिफिट हो रहा है?

श्री जीतन राम मांझी: महोदय, यह प्रश्न मूलतः समस्त भारत से और खासकर एक सवाल कोंकण से भी था। जहां तक ओडिशा का सवाल है, तो माननीय सदस्य ने जिज्ञासा जाहिर की है, तो हम इनको बाद में प्रश्न का उत्तर भेज देंगे।

MR. CHAIRMAN: Question No. 152.

AirSewa web portal and Mobile App

*152. SHRI MAYANKKUMAR NAYAK: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:-

(a) the current number of complaints received through the AirSewa web portal and mobile app during the last three years;

(b) whether Government has recently undertaken any assessment of passenger satisfaction with the grievance-redressal system of AirSewa;

(c) if so, the key findings thereof;

(d) whether Government proposes to introduce new features on the portal, such as a real- time dashboard or penalties for stakeholders causing delays in grievance resolution, to enhance transparency and efficiency; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The year-wise details of complaints received on the AirSewa web portal and mobile application during the last three years are at **Annexure**.

(b) Yes, the Ministry regularly monitors the functioning of AirSewa grievance redressal mechanism. Ministry of Civil Aviation undertakes periodic assessment of user feedback received on the portal/mobile application, adherence to prescribed timelines for disposal of grievances and quality of redressal.

(c) The assessments indicate that a significant proportion of grievances are being disposed of as per the AirSewa Service Level Agreement (SLA). Overall level of passenger satisfaction with the grievance redressal mechanism has shown an improving trend over a period of time, particularly with regard to ease of filing complaints and tracking their status. At the same time, certain areas, such as flight delays, timely refunds and baggage delivery, have been identified as focus concerns.

(d) and (e) There is no such specific proposal presently under consideration of this Ministry. The AirSewa Portal undergoes continuous technological and functional upgradation in compliance with statutory and operational requirements. The most recent enhancements include introduction of new grievance categories, namely "Air Fare" for High Air Fare.

Annexure

Year (1st Jan to 31st Dec)	Total Received	Total Resolved	Pending
2022	9649	9649	0
2023	14116	14116	0
2024	19262	19262	0
2025 (1st Jan to 30th Nov)	16591	16309	282

श्री मयंककुमार नायक: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एयरसेवा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप द्वारा प्राप्त शिकायतों को निपटाने के लिए औसतन कितना समय लगता है? क्या कुछ एयरलाइंस द्वारा शिकायत निवारण में अनावश्यक देरी भी हो जाती है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

श्री किंजरापु राममोहन नायडू: चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं अगर एयरसेवा की बात करूं तो, एयरसेवा की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसको पैसेंजर्स के लिए अच्छे इनिशिएटिव के साथ शुरू किया गया था। जिनके ग्रीवेंसेज़ हैं, वे डायरेक्टली स्टेकहोल्डर के पास ही न जाएं, बल्कि मिनिस्ट्री भी उनको ग्रीवेंस सेंटर सेल में सपोर्ट करे। इस भावना के साथ नवंबर, 2016 में एयरसेवा की शुरुआत की गई। एयरसेवा के तीन वर्ज़न्स भी हो चुके हैं। जैसे-जैसे हमें पैसेंजर्स से फीडबैक मिलता गया है और इसको हम और बेहतर कैसे करें, तो इसके लिए अलग-अलग वर्ज़न्स हैं। AirSewa 1.0, AirSewa 2.0 के बाद अभी AirSewa 3.0 का mechanism चल रहा है। इसमें हमारे काफी सारे stakeholders involved हैं। जैसे इसमें Airlines और Airports तो होंगे ही, इसके साथ ही DGCA, जो हमारा safety regulator है; BCAS, जो हमारा security regulator है; Immigration और other stakeholders, जैसे Helicopter Division भी है, जिनके साथ इनकी problems हो सकती हैं, ये सभी involved हैं। इस संबंध में ये जो सारे stakeholders हैं, उनके साथ, मंत्रालय के साथ, AirSewa के साथ एक Service Level Agreement है। यह agreement इसीलिए बनाया गया है। आदरणीय सांसद महोदय ने यह जो प्रश्न पूछा है कि यह कितने समय में होता है या उस पर क्या कार्रवाई होती है, तो सारे stakeholders के साथ यह Service Level Agreement बनता है। चाहे वे airlines के संबंध में हों या airport के संबंध में हों या immigration के संबंध में हों, जो भी विषय उठाए जाते हैं, उन सबको हमने define कर दिया है कि हमें कितने समय में उन सबको address करना चाहिए। अगर मैं एक-दो उदाहरण दूँ, तो हमारे DGCA के साथ एक Service Level Agreement air worthiness के संबंध में है, जिसमें यह तय किया गया है कि 15 days के अंदर इसको सुलझाना चाहिए। अगर passengers' rights की बात आती है और airlines में delays हों, तो एक दिन के अंदर या फिर ticketing या fare या refund की बात है, तो 15 days के अंदर इसको सुलझाना चाहिए। AirSewa के तहत हमारे पास जो भी grievances आती हैं, सब कुछ Service Level Agreement के हिसाब से clearly defined है कि इस agreement के हिसाब से जो इस तरीके की grievances आएँगी, तो इतने दिन में

इनका समाधान कर देना चाहिए। अगर वे इसको comply नहीं करते हैं या वे time limit maintain नहीं करते हैं या वे grievance को उतने दिन के अंदर address नहीं करते हैं, तो Ministry इसके ऊपर inquiry करती है और तुरंत action भी लेती है कि इसको क्यों नहीं किया गया। इसके ऊपर stakeholder के साथ consultation में यह process होता है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Shri Mayankkumar Nayak.

श्री मयंककुमार नायक: सभापति जी, मैं उत्तरी गुजरात के मेहसाणा से आता हूँ। पूरे उत्तरी गुजरात और राजस्थान के सटे जिलों के लिए मैंने पहले भी यह माँग की थी कि उड़ान योजना के अंतर्गत मेहसाणा से मुम्बई के लिए कोई प्लेन सेवा शुरू की जाए। उत्तरी गुजरात में बहुत से व्यापारी हैं और वहाँ tourism भी developed है, साथ ही राजस्थान के सटे जिलों से मुम्बई और मुम्बई से आगे भी लोग आते-जाते रहते हैं। पूरे उत्तरी गुजरात को connect करने के लिए इनको अहमदाबाद जाना पड़ता है। उड़ान योजना के अंतर्गत अगर मेहसाणा से मुम्बई के लिए एयर सेवा शुरू की जाए, तो आने वाले दिनों में tourism के क्षेत्र में भी काफी फायदा होगा। माननीय प्रधान मंत्री जी भी यह कहते हैं कि tourism से देश में आमदनी बढ़ती है और रोजगार पैदा होता है। उसके लिए यह एक बड़ा माध्यम होगा। एयर सेवा शुरू होने से वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि यह एयर सेवा कब तक शुरू होगी?

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी।

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Hon. Chairman, Sir, Mehsana is available under the UDAN Scheme, पर स्कीम की जो मूल भावना है, वह यह है कि जहाँ पर भी air strip है या जो हवाई पट्टी है, उसको हम किस तरह से हवाई अड्डा बना कर वहाँ से वह service facilitate करें। हवाई strip को हवाई अड्डा बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन की भी जरूरत होती है, जिसके लिए हम राज्य सरकार से consult करते हैं और availability के हिसाब से इस पर काम करते हैं। अगर वहाँ से एक तरह की aircraft को चलनी है, तो हमें वहाँ एक minimum runway की जरूरत होती है। मान लीजिए कि अगर वहाँ से Airbus चलनी है, तो करीब 2,400 metres का runway चाहिए; अगर ATR चलनी है, तो 1,800 metres की minimum air strip की requirement है। Air strips काफी हद तक ब्रिटिश के समय के बने हुए हैं, जो कुछेक किलोमीटर तक के हैं, 1,000 मीटर तक ही हैं। इसलिए उनको expand करने की बहुत जरूरत है। UDAN document में यह लिस्ट किया गया है कि हम मेहसाणा को develop करेंगे। इसका एक और process है कि हम Airlines को भी इस route को bid करने के लिए देते हैं। अगर मेहसाणा-मुम्बई की demand है या मेहसाणा-अहमदाबाद या मेहसाणा-दिल्ली की demand है और कोई भी Airlines यह कहती है कि हम लोग यहाँ से वहाँ तक सेवा शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो हमें भी एक initiative मिल जाती है कि Airlines already ready है, तो हम उस हवाई पट्टी को भी develop करें। एक, इसके लिए Airlines को ready होना चाहिए और दूसरा, इसके लिए राज्य सरकार को जमीन भी देनी चाहिए, ताकि हम उस हवाई पट्टी को हवाई अड्डा बना सकें।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary; Shri Kartikeya Sharma.

Contents Page

श्री कार्तिकेय शर्मा: चेयरमैन सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो 'एयर सेवा पोर्टल' है, यह एक बहुत ही सराहनीय एक कदम है, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। लेकिन चूंकि सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि पहली बार बहुत सारे ऐसे air flyers आए हैं, जो पैसेंजर्स पहली बार यात्रा कर रहे हैं, उनके राइट्स को लेकर क्या सरकार ने कोई कदम उठाया है? वे राइट्स प्रबुद्धता से डिस्प्ले हो सकें, चाहे वह ऐप के माध्यम से हो या उनकी सीट के पीछे हो, क्योंकि एयर क्रू को तो अपने राइट्स पता हैं, लेकिन बहुत सारे first-time flyers होते हैं, जिनको अपने राइट्स पता नहीं हैं और उनको भाषा की भी प्रॉब्लम रहती है। तो उन लोगों की जानकारी के लिए कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या वे पानी मांग सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, उनका टिकट रिफंड मिलेगा या नहीं, इन चीजों के बारे में सरकार की क्या नीति है?

श्री किंजरापु राममोहन नायडू: चेयरमैन सर, सबसे पहले तो मैं आदरणीय सांसद जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। 'एयर सेवा पोर्टल' एक grievance redressal portal है। अगर कभी किसी पैसेंजर को कोई सुविधा होती है या उनको कोई grievance होता है, तो उसके तहत वह उसे दर्ज करा सकता है। हमारे मंत्रालय की ओर से, DGCA की ओर से, हमने Civil Aviation Requirements बनाये हुए हैं, जो CARs के नाम से जाना जाता है। वे CARs already बने हुए हैं, जो पैसेंजर्स को अपने rights बताते हैं, लेकिन ये CARs बहुत ही technical documents हैं और बहुत सारे पैसेंजर्स को इनकी जानकारी नहीं होती है। तो यह एक अहम सवाल उठता है कि हम पैसेंजर्स को कैसे aware करें कि उनके ये rights हैं और अगर कोई भी ऐसा scenario बनता है, तो उस scenario में या उस distress में या उस दिक्कत वाली situation में वे क्या-क्या rights avail कर सकते हैं। इसी के तहत DGCA ने पैसेंजर्स के हिसाब से CARs बनाए हैं कि अगर delay होता है, तो पैसेंजर्स के rights क्या हैं, अगर cancellation होता है, तो किस तरह से एयरलाइंस को उन्हें refund करना चाहिए, अगर delay overnight होता है या कुछ लंबे समय तक के लिए होता है, तो उनको hotel accommodation किस तरह से प्रोवाइड करना चाहिए। ये सब चीजें CARs में already listed out हैं। But, for the same initiation कि इनको और पैसेंजर्स के पास हम पहुंचाएं, हमारे मंत्रालय की ओर से अलग से एक Passenger Charter document भी बनाया है, जो publicly available है। Passenger Charter document एक बहुत ही अच्छा document है। इसमें clearly बताया गया है। मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता को ही बताना चाहूंगा, जो एयर ट्रैवल से जुड़े हैं। इसके बनाने का भी एक ही मकसद था कि जो CARs हैं, जिनको generally technical documents के हिसाब से देखा जाता है और पैसेंजर्स उसमें जाते नहीं है। यह इसके लिए बना है, क्योंकि हमारे देश में काफी सारे first-time flyers भी हैं और first-time flyers में anxiety और nervousness भी रहती है। तो अगर हम उनको पहले से ही CARs के बारे में बताएं, उनके rights के बारे में उनको पहले से ही बताएं, तो उनकी जो journey है, वह काफी हद तक relaxed हो सकती है। इसी में जिस तरह से contents हमने बनाये हैं, उनमें flight delay; flight cancellation; boarding denied due to overbooking, or, flight diversion; cancellation charges; lost, delayed or damaged baggage भी हैं। मैं कुछ ही topics पढ़ रहा हूं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और common man को किस तरह से समझाना है, उसके scenarios इसमें

Contents Page

बने हुए हैं। एक scenario है कि you have checked in on time, but the airlines expects a delay of two hours or more, three hours or more, four hours or more, then, what is your right? Your right is that you must be offered free of charge meals and refreshments in relation to the waiting time. तो हमने न केवल CARs को दिखाया है, बल्कि हमने scenarios भी बनाकर explain किया है कि किस scenario में आप किस तरह के rights avail कर सकते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि यह जो Passenger Charter document है, इसको हर कस्टमर, हर पैसेंजर air travel करने से पहले पढ़े और हम अपनी तरफ से CARs में जो भी update करते रहते हैं, CARs के उन updates को भी वह update करे। इस माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ने इसके संबंध में ऑलरेडी एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया है और जितना हो सके, हम इसके बारे में पैसेंजर्स को aware करें। हमारी तरफ से यह प्रयास continuously चलता रहेगा।

MR. CHAIRMAN: Now, fourth supplementary, Shri Sandosh Kumar P.

SHRI SANDOSH KUMAR P: On 6th of December, 2025, there was an order issued by the Civil Aviation Ministry to regulate the air fares. Para one states that this order will be applicable for travel till the fares stabilise. So, what is meant by the 'stable price' in air fares? Secondly, will this order be applicable during Onam, Christmas and other seasons also?

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: Sir, this is a question related to the air fares, and especially, when you talk about the surge in air fares that you see, this is generally because it is a deregulated sector and it is there because of mismatch in demand and supply. When the demand becomes too high as compared to the seats that you can supply in the market, which is when the airlines, with their models of air pricing, tend to increase the fares. That is why, exactly, the hon. Member has also mentioned that during Onam or during festivals, the fares rise. You observe this not only in Kerala but you can observe this in North India during Diwali time also.

Coming to the capping of airfares on 6th December, we all are aware of the Indigo crisis that has happened, and, we all know how much disturbance it has caused. One major thing which has happened during that period is the capacity constraint, the capacity at which the Indian aviation was operating. Indigo is a major airline and since their operations were curtailed, there was a huge disruption, huge cancellation of the regular flights. So, the capacity has come down and the number of seats, which people can use to travel, has come down. Generally, the other side of the trend would be that the airfares would rise. But we have capped the prices to keep the airfares at a very reasonable and affordable level. Regarding other seasons,

Contents Page

that might come up at other times, when the airfares might rise; the Ministry is closely observing all the seasons. We are continuously engaging... ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, please.

SHRI KINJARAPU RAMMOHAN NAIDU: We are continuously engaging with the stakeholders on this issue and whenever there might be a situation like this, the Ministry is there to take action. I can give you other examples also. During Kumbh Mela, we have done it; during Pehalgam incident, we have done it; during Covid also, we have done it. So, whenever there might be a situation that airfares might rise, the Ministry will act upon it and take necessary action.

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary, Shri Pramod Tiwari.

श्री प्रमोद तिवारी: सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी के जवाब से उपजा हुआ एक सवाल है और एक सुझाव है। इधर monopoly की वजह से इंडिगो में पैसेंजर्स के साथ और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यहाँ बोलें या न बोलें, पर इंडिगो का बर्ताव, उनके क्रू मेंम्बर्स का बर्ताव, उनकी सर्विस का बर्ताव समान्यतः, चूँकि उसकी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी वजह उनका बर्ताव पैसेंजर के साथ उतना संतोषप्रद नहीं होता, जितना होना चाहिए।

मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि क्या आप इसके लिए एक advisory जारी करेंगे कि सामान्य पैसेंजर्स के साथ और जो सांसद पार्लियामेंट अटेंड करने या अपनी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आते हैं, उस समय उनका बर्ताव और स्वभाव थोड़ा बेहतर हो। दूसरा, जो इसी से जुड़ा हुआ है, जिसका आपने जवाब दे दिया है। यह जो त्यौहार के समय पैसेंजर्स से £ होती है या अभी जब इंडिगो का क्राइसिस आया था, तो दूसरे एयरलाइन्स का किराया 5-6 गुना बढ़ गया था, वह 50,000 रुपए से 80,000 रुपए हो गया था। महाकुंभ के दौरान बेंगलुरु से 65,000 रुपए का टिकट था। मैंने इससे संबंधित सवाल उठाया था। क्या आप इस किराए की * को नियंत्रित करेंगे और बेहतर सेवा के लिए एक सर्कुलर जारी करेंगे इस कंपनी को, जिसका नाम है इंडिगो है?

श्री किंजरापु राममोहन नायडू: चेयरमैन सर, यह सवाल काफी सांसदों के मन में भी होगा और खास करके जनता के मन में भी होगा। इसके संबंध में मैं इतना कहना चाहूँगा कि एयरलाइन्स की फ्रंटलाइन स्टाफ ही नहीं, अगर आप एयरपोर्ट पर देखेंगे या एयर ट्रैवल के संबंध में देखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे स्टेकहोल्टर्स हैं, जो एयर ट्रेवल में involved हैं, जैसे एयरलाइंस के स्टाफ, ग्राउंड हैंडलिंग के स्टाफ, बैगेज से संबंधित स्टाफ और सीआईएसएफ, जो हमारे एयरपोर्ट में सेफ ऑपरेशन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग है। एयरपोर्ट पर पैसेंजर के लिए जो भी टच-प्वाइंट्स होते हैं सीआईएसएफ के साथ या चेक-इन काउंटर के पास या सेक्युरिटी गेट के पास, बोर्डिंग

£ Exupnged as ordered by the Chair.

* Not recorded.

Contents Page

गेट के पास - इन सभी के लिए हमारी तरफ से यह प्रयास रहता है कि हर चेक प्वाइंट पर हर पैसेंजर को किस तरह से कम्युनिकेट करे, किस तरह से उसको रिलैक्स मोड में एयर ट्रैवल तक ले जाया जाए - ये सब हमारा प्रयास रहता है और काफी हद तक ट्रेनिंग भी उसी संबंध में चलती है।

अपने जो सुझाव दिया है, उस संबंध में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस संबंध में हमारा ऑलरेडी प्रयास रहता है। अगर ऐसी कोई specific situation हुई हो, तो उस उसके लिए हम कार्रवाई भी करते हैं। अगर कहीं पर ऐसा होता है कि किसी के behaviour की वजह से या बात करने के तरीके की वजह से situation aggravate होती है, तो हम उनके ऊपर एक्शन भी लेते हैं। क्योंकि हमारी समझ से पैसेंजर्स को सही तरह ट्रीट करना चाहिए और यह सारे चेकप्वाइंट्स पर होना चाहिए। सिर्फ एयरलाइंस की तरफ से ही नहीं, बल्कि जितने भी चेकप्वाइंट्स ओरिजिनेट होते हैं, उन सब पर यह होना चाहिए।

दूसरा विषय, जो कि एयर फेयर्स के बारे में उठाया गया था, इसको भी मिनिस्ट्री बहुत सीरियसली ले रही है। हमारे डीजीसीए में जो टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट है, उसको और भी सशक्त करके हम सारे रूट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। हमने अब इंटरनेशनल रूट्स को भी मॉनिटर करने की व्यवस्था की है। हम वह दबाव एयरलाइंस पर लाना चाहेंगे कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी से जो प्राइसिंग की सिचुएशन कभी-कभी बन जाती है, वह न हो। हमारी मिनिस्ट्री की ओर से इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और हमने एयर सेवा में भी एक स्पेसिफिकली टैरिफ मॉनिटरिंग करने की एक सुविधा भी दे रखी है, ताकि अगर किसी पैसेंजर को लगता है कि यह प्राइस हद से ज्यादा है, यह इस समय में होना नहीं चाहिए, तो वह हमें उसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकता है, जिसके ऊपर हम जरूर कारवाई करेंगे और एयरलाइंस के ऊपर एक्शन लेंगे। इस तरह के बहुत सारे मेकैनिज्म हमने बनाए हैं।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 153, Shri Kapil Sibal. ...(*Interruptions*)... Any supplementaries? John Brittas, please take your seat. ..(*Interruptions*)... Please take your seat. ...(*Interruptions*) ... No cross-talking please.

*153. *[The questioner was absent.]*

Storage levels in major reservoirs and water shortage for Rabi sowing

*153. SHRI KAPIL SIBAL: Will the Minister of JAL SHAKTI be pleased to state:-

(a) the current storage levels in the 150 major reservoirs of the country as on 15th November, 2025 compared to the levels on the corresponding date in 2024;

(b) whether any States are facing acute water shortage for Rabi sowing this year; and

(c) if so, the details thereof and the Central assistance provided under the Jal Jeevan Mission (JJM) and Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) to the affected States?

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI C R PATIL): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As of 13th November, 2025, the Central Water Commission (CWC) is monitoring the live storage status of 161 reservoirs across the country and publishes a weekly bulletin every Thursday. The total live storage capacity of these monitored reservoirs is 182.48 Billion Cubic Metre (BCM), which is about 70.78% of the total live storage capacity created through dams in the country. Further, as per the CWC's bulletin dated 13th November, 2025, the total Live storage available in 161 reservoirs was 163.824 BCM compared to 154.171 BCM on the corresponding date i.e. 13th November, 2024. The region-wise storage details as on 13.11.2025 is given at **Annexure—I.**

(b) and (c) As per the latest weekly reservoir bulletin dated 04th December, 2025, the live storage status in most of the States is better than their normal storage (average storage of last 10 years). Further, as per the India Meteorological Department, the country recorded 937.2 mm of rainfall during the southwest monsoon season of 2025, which is 108% of the long period average value of 868.6 mm.

As such, No State has reported acute water shortage for Rabi sowing this year.

Jal Jeevan Mission (JJM) aims towards providing assured drinking water supply by functional household tap connection to rural households of the country.

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) aims towards enhancing physical access of water on farm, expanding cultivable area under assured irrigation, reducing wastage of water and improving on-farm water use efficiency. Funds released under PMKSY (under AIBP & CADWM) in the financial year 2025-26 is given at **Annexure — II**.

Contents Page

Annexure-I

Region-wise storage details as on 13.11.2025

STATUS OF CURRENT STORAGE										
13.11.2025										
S.NO.	REGION/STATE	NO. OF RESERVOIRS MONITORED	LIVE CAPACITY AT FRL(BCM)	LIVE STORAGE (BCM)			STORAGE AS % OF LIVE CAPACITY AT FRL			% DEPARTURE FROM NORMAL STORAGE
				CURRENT YEAR	LAST YEAR	NORMAL STORAGE	CURRENT YEAR	LAST YEAR	NORMAL STORAGE	
Northern Region										
1	Himachal Pradesh	3	12.475	10.060	6.653	8.573	80.64	53.33	68.72	17.34
2	Punjab	1	2.344	1.999	0.695	1.320	85.28	29.65	56.31	51.45
3	Rajasthan	7	5.017	4.890	4.713	4.162	97.47	93.94	82.95	17.51
	Sub Total	11	19.836	16.949	12.061	14.055	85.45	60.80	70.85	20.59
Eastern Region										

Contents Page

1	Assam	2	0.339	0.163	0.254	0.194	48.08	74.93	57.20	-15.94
2	Bihar	3	0.504	0.287	0.191	0.204	57.02	37.90	40.43	41.02
3	Jharkhand	6	2.012	1.475	1.548	1.635	73.31	76.94	81.25	-9.77
4	Meghalaya	1	0.142	0.142	0.135	0.126	100.00	95.07	88.47	13.03
5	Mizoram	1	0.750	0.579	0.715	0.574	77.15	95.33	76.55	0.79
6	Nagaland	1	0.535	0.367	0.311	0.321	68.60	58.13	59.93	14.47
7	Odisha	10	15.702	13.668	11.595	12.207	87.05	73.84	77.74	11.97
8	Tripura	1	0.312	0.285	0.296	0.252	91.35	94.87	80.77	13.10
9	West Bengal	2	1.463	0.761	1.035	0.824	52.01	70.74	56.30	-7.61
	Sub Total	27	21.759	17.727	16.080	16.336	81.47	73.90	75.08	8.52

Western Region										
1	Goa	1	0.227	0.227	0.227	0.229	100.00	100.00	100.71	-0.71
2	Gujrat	17	17.964	17.210	16.967	13.245	95.80	94.45	73.73	29.94
3	Maharashtra	32	19.166	18.661	18.630	16.072	97.37	97.20	83.86	16.11

Contents Page

	Sub Total	50	37.357	36.098	35.824	29.546	96.63	95.90	79.09	22.18
Central Region										
1	Chattisgarh	6	4.770	4.114	3.369	3.257	86.26	70.64	68.29	26.32
2	Madhya Pradesh	11	31.175	29.672	29.439	26.777	95.18	94.43	85.89	10.81
3	Uttar Pradesh	8	7.656	6.051	5.259	4.319	79.04	68.69	56.41	40.11
4	Uttarakhand	3	4.987	4.686	4.446	4.085	93.96	89.15	81.91	14.71
	Sub Total	28	48.588	44.523	42.513	38.438	91.64	87.50	79.11	15.83
Southern Region										
1	Andhra Pradesh	7	17.091	15.762	14.128	10.765	92.22	82.66	62.98	46.42
2	Karnataka	16	24.625	21.182	22.243	17.642	86.02	90.33	71.64	20.07
3	Kerala	6	3.829	3.050	2.908	2.793	79.65	75.95	72.95	9.18
4	Tamil Nadu	9	4.741	4.264	3.797	3.137	89.95	80.09	66.17	35.93
5	Telangana	7	4.653	4.267	4.617	3.695	91.71	99.23	79.41	15.49
	Sub Total	45	54.939	48.526	47.693	38.032	88.33	86.81	69.23	27.59
	COUNTRY AS WHOLE	161	182.479	163.824	154.171	136.407	89.78	84.49	74.75	20.10

Contents Page

Annexure-II

Funds released under AIBP & CADWM of PMKSY during FY 2025-26

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Name of States	Central assistance released under AIBP	Central assistance released under CADWM
1.	Bihar	35.94	--
2.	Himachal Pradesh	303.74	--
3.	Jharkhand	5.11	--
4.	Madhya Pradesh	7.74	17.43
5.	Maharashtra	23.36	37.05
6.	Punjab	60.54	2.17
7.	Rajasthan	33.21	--
8.	Uttarakhand	257.91	--
9.	Chhattisgarh	--	2.9
	Total	727.55	59.55

श्री सत पाल शर्मा: माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी के ध्यान में इस सवाल के बारे में एक जानकारी चाहता हूँ। The total number of major reservoirs in whole of the country is 161, while in north zone, there are only 15 major reservoirs. मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहता हूँ कि how do you define major reservoirs? दूसरा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे क्षेत्र, जहाँ पर फसलों को लेकर पानी की शॉर्टेज रहती है, किल्लत रहती है, तो जो मेजर रिज़रवॉयर्स हैं, उनकी डेफिनिशन और छोटे क्षेत्रों में उनकी अवेलेबिलिटी के संबंध में माननीय मंत्री जी जवाब दें। सर, मैंने छोटे क्षेत्रों में देखा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से भी बहुत कम या न के बराबर डिस्ट्रीब्यूशन एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम के माध्यम से हुआ है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे इसके बारे में हमें थोड़ी-सी जानकारी अवश्य दें।

Contents Page

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी): माननीय सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सम्मानित सांसद जी से कहना चाहते हैं कि जो specified dams या major dams हैं, उनको डिफाइन करने के लिए यह कहा जाता है कि जो 15 मीटर से ज्यादा tall है या ज्यादा बड़ा है या जिसकी 10 से 15 मीटर की हाइट है, with a specific challenging feature, जैसे long crest है, large reservoir है, difficult foundation है, high flood discharge है, तो ऐसे dams को हम specified dams या major dams कहते हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Next Supplementary, Shri Iranna Kadadi. ...*(Interruptions)* ...

श्री ईरण्ण कडाडी: महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, कर्णाटक में वर्तमान में 200 से अधिक बड़े बाँध हैं। इन सभी बाँधों में एक मुख्य समस्या तलछट जमा होने की है, जिससे सभी बांधों की भंडारण क्षमता प्रभावित होती है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ने नदियों, जल निकायों और बांधों की तलछट साफ करने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत कोई योजना बनाई है? और कर्णाटक में कितनी नदियों और बांधों के तलछट साफ करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है?

श्री सी. आर. पाटिल: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने गाद के बारे में प्रश्न उठाया है। गाद हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। गाद की वजह से करीब 15-20 परसेंट carrying capacity कम हो गई है। गाद निकालना अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए मंत्रालय की ओर से वर्ष 2022 में एक नीति बनाई गई थी, उसके ज़रिये गाद निकालने और राज्य सरकार को टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करते हुए इस योजना पर अमल किया जा रहा है। बहुत जगह पर राज्य सरकार टेंडरिंग करके गाद निकालने की कोशिश कर रही है, किंतु गाद निकालने की बजाय गाद कम हो, उसके लिए भी साइंटिफिक सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इन दोनों को साथ लेकर गाद की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने कर्णाटक के बारे में स्पेसिफिक डिटेल मांगी है, जो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary. Shri Digvijaya Singh.

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति महोदय, सामान्य तौर पर जितने मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको सेंट्रल वाटर कमीशन के पास भेजा जाता है और DPR मंज़ूर होने के बाद ही फाइनेंशियल सैंक्शन दिया जाता है। मध्य प्रदेश में ऐसे अनेक प्रकरण मेरे सामने आए हैं, जहां मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सेंट्रल वाटर कमीशन की मंज़ूरी के बिना ही मेजर प्रोजेक्ट्स में मंज़ूरी दे दी गई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या major water recourses projects में सेंट्रल वाटर कमीशन की DPR की मंज़ूरी बाध्य है या नहीं? Is it mandatory or not?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री सी. आर. पाटिल: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं बताना चाहता हूं कि CWC की मंज़ूरी के बिना कोई भी स्टेट काम नहीं कर सकता, वह बहुत ज़रूरी है। वह अपने पैसे से काम कर सकता है, फिर भी वह DPR बनाकर CWC से सैंक्शन करवाने के बाद ही काम कर सकता है। अगर उनके ध्यान में ऐसे कोई मामले हैं, वे हमें उनके बारे में बताएंगे, तो हम निश्चित ही उन पर ध्यान देंगे।

MR. CHAIRMAN: Q.No.154.

Progress status of Ashoknagar oil field after grant of PML

*154. SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:-

(a) whether all land acquisition for Ashoknagar Oil Field project has been completed andthe latest progress made since the grant of PML on 24th February, 2025;

(b) whether ONGC has commenced activities under the approved integrated Field Development Plan (FDP) and the specific milestones achieved so far;

(c) expected timeline for commencement of production of commercial oil and gas, given that FDP had projected oil within 10 months and gas within 17 months of PML deed execution; and

(d) steps being taken to ensure that the deferred production of approximately 17,922 m^3 ofoil envisaged under the Early Development Plan (EDP) is realized without further delay?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) ONGC had submitted a Petroleum Mining Lease (PML) request to the Government of West Bengal in November 2024 with regard to On-land Block WB-ONN-2005/4 (Ashoknagar). The State Government issued provisional PML to ONGC in February 2025 for an area of 99.06 sq. km.

Pursuant to this, land measuring 13.49 acres required for drill-site preparation for five development wells and associated surface facilities, has been handed over to ONGC on long-term lease.ONGC has commenced preparatory activities under the approved Integrated FDP which, *inter-alia*, include land arrangements, vendor

shortlisting and tendering for drill-site preparation and surface facilities, as well as initiation of the process for mobilization of the drilling rig. These steps constitute key milestones achieved post the grant of provisional PML.

Earlier, ONGC had first reported a discovery Ashoknagar-1 (oil & gas) in the WB-ONN-2005/4 block in West Bengal in 2018. This was the outcome of continuous exploration efforts of ONGC in the Bengal Sedimentary basin over five decades. ONGC has invested about Rs.1000 crore till now in this block for exploration activities.

An Early Development Plan (EDP) was approved in 2020 which enabled extended oil testing from Ashoknagar-1, producing 289.74 MT till July 2022. After approval of EDP, Petroleum Mining Lease (PML) was requested in 2020, which was not received from the State Government, thus, commercial production (except test production) of 17922 m^3 basis EDP could not be undertaken.

As ONGC had an ongoing Petroleum Exploration License (PEL), they continued exploratory drillingsin this block which confirmed additional discoveries, Kankpul-1 (gas, 2022) and Ranaghat-2 (gas, 2024), leading to an Integrated Field Development Plan (IFDP) approval in July 2024. The IFDP subsumed the proposals under the EDP.

(c) and (d) After receiving provisional PML, necessary documents for signing of Lease Deed have been submitted to the Government of West Bengal in May 2025. The approval of Lease Deed is still awaited from the State Government. Only upon signing of the Lease Deed, production from the block as per the IFDP can be commenced and then the production can be eventually ramped up.

On 10 December 2025, the Government of West Bengal have issued a letter to ONGC regarding computation of stamp duty basis the lease rent or the annual royalty, which-ever is higher. ONGC has submitted their reply to the State Government on 12 December 2025 seeking the levy of Stamp Duty in accordance with the provisions under recently notified Petroleum & Natural Gas Rules, 2025 (PNG Rules) wherein the rent is to be paid for the entire term of the lease and that the rent is the consideration for the petroleum lease. Sub-rule 4 under Rule 6 of the PNG Rules provides that the value of the lease shall be the total lease rent payable for its term.

In addition to the rent fixed under the PNG Rules, Royalty shall, in any case, accrue to the State in on-land blocks on basis of production from the block.

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, my question is related to Ashoknagar Oil Field in West Bengal where the Government of India has already invested more than Rs.1,000 crore. Sir, through you, I want to know about this from the hon. Minister. Can the hon. Minister confirm whether the recent issue was raised by the Government of West Bengal on stamp duty computation despite a clear provision under the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025? Can any further delay in production compromise India's energy security?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I would like to thank the hon. Member not only for this specific question, which I am happy to answer, but also for his persistence on this issue. Projects related to Exploration and Production (E&P) are, by very definition, complex. They have a long gestation period and they involve heavy capital expenditure. Insofar as the Ashoknagar Project is concerned, in this House, some of us, at least, have been very familiar with this. The production sharing contract was signed for exploration Block WB-ONN-2005/4 between ONGC and OIL during the NELP Round VII. This was done in 2008 and ONGC was the contractor for this Block. This Block is located in North 24 Parganas District and the discovery was made in 2018. As the hon. Member has said, it is true that ONGC has spent Rs. 1,000 crore already on it. It is our estimate that the Bengal basin contains a total of 240 million barrels of oil equivalent proven reserves in place. If you go by this figure, at 30 per cent recovery, the cumulative production value can be around Rs. 45,000 crore. Out of which, the State of Bengal would get Rs. 4,500 crore. The limited point I am seeking to make here is that initially a lot of time is taken and there is long gestation and heavy capital expenditure, but once you begin to see the oil and gas being extracted, it is pure joy after that because that expenditure is recovered. Now, the operator applied for a Petroleum Mining Lease to the Government of West Bengal in 2020. The provisional PML -- Petroleum Mining Lease -- was received from the West Bengal Government in February, 2025. I have had the opportunity in July this year of convening a meeting of all the States along with all the other stakeholders, and I am very happy to say that there is a new enthusiasm, a new spirit of cooperation and everything is moving ahead. I can understand the hon. Member's anxiety of whether we are going to get delayed further. The exchange of letters between ONGC and the West Bengal Government has only taken place on December 10 and 12. I have copies of the letters with me. My reading, based on where we have reached so far, in the light of the latest legislation which we have, -- the oilfield development rules has come about after that date; I think, it was notified only about 5-6 days ago -- I don't

Contents Page

see any problem. The situation is quite clear that stamp duty has to be paid on the duration of the entire lease. So, if the lease in this case is 30 years, the stamp duty will be paid on the entire lease period. The issue is about royalty. Stamp duty will be paid on royalty as and when the royalty is received. I mean, the whole idea is to facilitate both the concerned State Government and the operator and, I think, the hon. Member, who has been pursuing this, will also realise that there has been all-round movement on this. Personally, I am not a soothsayer and I don't like to anticipate. But, I think, considering when we started -- it has been going on for 50 years — in 2008, we had the production sharing agreement; in 2018, we moved forward on PML; now we have everything in place; maybe, another few weeks, and hopefully, we can say that this is something that we have achieved and that production will go on.

Sir, I am very happy to tell you that States, when they cooperate with the exploration and production activity, get revenue. They get revenues from petroleum and diesel. I can just share with you that the State of Andhra Pradesh is getting Rs. 16,000 crore, Gujarat is getting Rs. 24,500 crore, Maharashtra is getting Rs. 37,000 crore, Rajasthan is getting Rs. 18,900 crore, Tamil Nadu is getting Rs. 24,861 crore, Uttar Pradesh is getting Rs. 31,200 crore and West Bengal is getting Rs. 13,000 crore. I am sure once this is fructified and we have other discoveries, it would increase. Now, an amount of Rs. 1,000 crore has been invested and an area of 99 square kilometres is there. This is only one small area when this began. I am sure West Bengal's revenues will also go up as a result of this. So, I am reasonably confident. As I said, based on the latest law, stamp duty on lease rent and stamp duty on royalty will be payable as and when the extraction takes place and the royalty, as a fixed amount, accrues to the State Government.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Shri Samik Bhattacharya.

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, in view of the repeated delays by the State Government, what remedial security measures is the Union Government considering ensuring that the States do not hold national strategic energy projects hostage to procedural or revenue-related disputes? *...(Interruptions)...*

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I think *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Minister is giving the reply *...(Interruptions) ...*

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I think, in a normal seminar kind of discussion, this is a very valid question. But, the thrust of my reply is, I think, we have already reached

Contents Page

the point where this deal is going to be finalised based on the exchange of letters on 10th and 12th December. However, I think, the hon. Member deserves to be commended for asking a question which is overall, namely, if States do not cooperate, do they or do they not undermine the country's national economic and energy security! That is a general point. Let me just say that I am particularly worried because I see a situation where we are producing, let us say, a total of 55,000 barrels a day from the KG basin, another 100,000 barrels from Rajasthan -- these are rough figures in my mind -- 100,000 barrels from Assam and, maybe, 1 lakh more barrels from Gujarat. These are approximate figures. It is precisely for that reason that I convened an Urja Manthan with partnerships of the States where these discussions have taken place and, as a result of which, a large number of States have given clearances. I have already got 50 clearances after the Urja Manthan in July of 2025. So, if States withhold clearances, my submission, through you, to the States is, they are undermining their own economic well-being. I just read out how much States are earning from the revenue on petrol and diesel and it would be very clear that the States which have been slow would now have to recover. Some States are doing well but, overall, we have an economy growing at 8.2 per cent in the last quarter. Our energy consumption, according to the International Energy Association, is that in the next 20 years, we would be consuming more than 30 per cent of the incremental demand. So, the energy consumption is rising. Our imports are also rising even though domestic production is going up. But, today, we are consuming 5.6 million barrels of crude a day. Our refining capacity is going up. I would have our State Governments, in partnership with the Central Government, to get more and more of this revenue. And, I think, what the hon. Member has asked is valid but let the message go through this House that the States actually serve their own economic well-being and the welfare of their citizens when they grant these licenses expeditiously. I am also confident that with E&P going up, we have the next 10th round of bids going to come up very shortly. Overall, with the new law in place, all the stakeholders would benefit from the far-reaching changes that the Government, under the hon. Prime Minister, has made in the last few years.

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, the Lok Sabha reply dated 13th May, 2025 confirms that ONGC received the petroleum mining lease for the Ashok Nagar field on 24th February and the Minister also has just said that. The FDP projections reported publicly indicate first oil within ten months and gas within 17 months. So, these timelines seem to be slipping. May I ask whether the Mining Ministry has assessed how this

delay will affect the earlier realization of the 17,922 M^3 of oil envisaged under the FDP along with the associated revenue and local development benefits? Has the ONGC been directed to issue a revised time-bound production schedule?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I want to thank the hon. Member for referring to those timelines. She herself would have noted, that was a provisional petroleum mining lease. The Ministry concerned is not the Mining Ministry. Earlier, in 1948, we had a law which governed both mining, that is, extraction of ores and petroleum mining. But this latest Act that we brought, separates the two. Now, a petroleum mining lease has to be negotiated by the concerned State Government or other entities with the Central Government and the timeline starts only when the lease deed is signed. So, when the hon. Member refers to say 10 months or 15 months, that is a timeline from the date it starts because we are reasonably certain that the oil and gas are waiting to be extracted. But unless it is granted and signed, the latest step in that direction, I want to remind the hon. Member, is that there has been an exchange of letters on 10th and 12th of December, just barely three-four days ago. There, the State Government had referred to wanting, I think, stamp duty both on the lease period and the royalty. I want it to be pointed out that the latest law clearly stipulates, without any degree of ambiguity, that the lease stamp duty, which is a very small amount, would be paid for the entire duration. But, the stamp duty on revenue earned from oil extracted, as a percentage, I mentioned how much we have estimated will be paid as the extraction goes on. So, I am very clear that timelines have not slipped. It is just that if the petroleum mining lease deed had been signed, say two months earlier, it would have started from there. But, I am reasonably confident with these clarifications and the on-going interaction between the ONGC and the State Government of West Bengal, and I can tell you the same thing is happening with the other State Governments. The new law brings in a degree of clarity which leaves everyone clear and certain. It brings in predictability and, I think, all these leases will now go forward.

MR. CHAIRMAN: The fourth supplementary; Shri Chunnilal Garasiya.

श्री चुन्नीलाल गरासिया: आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का समय दिया। महोदय, राजस्थान में पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से एक रिफाइनरी लगाना सुनिश्चित किया गया था और इसे लगाने का समय भी निकल गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री यह जानना चाहूँगा कि चूँकि रिफाइनरी समय-सीमा निकलने के बाद भी प्रारंभ नहीं हुई है, तो यह

Contents Page

कब तक प्रारंभ होगी, क्योंकि उसमें राजस्थान स्टेट का रेवेन्यू शेयर है? मैं इसके लिए निवेदन करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से क्या स्टेप लेंगे, जिससे वह जल्दी-जल्दी चालू हो सके?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I have a feeling that the hon. Member is as familiar with the details of the refinery he is referring to in Rajasthan--I think the Barmer Refinery--as I am. But since he has asked the question, it gives me an opportunity to explain. Sir, this is a long-pending project. It is a project which started well before the Government headed by the hon. Prime Minister took over in 2014. But, it is a matter of great satisfaction that this is a very large refinery. I do not off-hand remember the capacity, but it is one of the biggest refineries that India is going to have. And, it is an integrated refinery where not only petroleum and diesel being refined, but it will also have an integrated 'pet-chem' project. We are now again at the point. Today, we are at 10th December. So, the discussion going-on with the State Government is whether we will be ready to cut it—the first crude has been brought—and, say, 30 days time or a little less or a little more. The good news is, and it needs to be shared here, that most of the work has been completed. But, I am one of those who believe in not coming forward till it is all ready. It is a refinery in which testing has already been done. It has, as I said, 9 Million Metric Tonnes Per Annum capacity. I believe that the crude has arrived there, whether we cut or dredge, we need to test all the systems. The systems are functioning, and it is only a matter of a few days. Then, I will accompany my colleague, the hon. member, who has been with me there many times. But, since he chose to ask this in the context of the Ashoknagar question, I am very happy to oblige him. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary; Shri Mohammed Nadimul Haque.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, contrary to the tone of the previous questions, the West Bengal Government has requested the ONGC to provide specific details of the land areas to be explored in Ashoknagar. I am happy to say, and as confirmed by the hon. Minister, that the ONGC gave the details in 2024 and the Government immediately gave the license. ...*(Interruptions)*... I just want to confirm with him that the Government of West Bengal is fully cooperating with the ONGC in this matter. Initially, the land area for exploration was 5.88 sq. km. which was expanded to 99 sq. km...

MR. CHAIRMAN: You please be specific about your question.

Contents Page

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir that is my question.

MR. CHAIRMAN: Do not give a big lecture. ...*(Interruptions)*... Please come to the point. You be very specific about your question, please.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Let the hon. Minister please confirm that there is full cooperation in this regard with the Government of West Bengal.

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Sir, I initially said that and I am happy to repeat it. It is something which has been going on since 2008. It started with 5 sq. km., and now it is at 99 sq. km. Specific details were sought, they have been provided. In the light of the latest correspondence, which is just a week old, I am reasonably confident, we will get started on this and then revolution would come in.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://sansad.in/rs/debates/officials*]*

1.00 P.M.

MR. CHAIRMAN: Further discussion on Election Reforms raised by Shri Ajay Makan on 11th December, 2025. I now call upon Dr. M. Thambidurai to resume his speech; time remaining is seven minutes.

$DISCUSSION ON ELECTION REFORMS

DR. M. THAMBIDURAI: Hon. Chairman Sir, I would continue my speech on election reforms on which I spoke in this House on Thursday. The AIADMK party has faith on the Election Commission. Whatever actions they take, we have full faith in them. First of all, the AIADMK party believes that clean and accurate electoral rolls strengthen democracy; transparency empowers the voters. Election campaign is one of the important processes in which the political parties must be given proper chance to campaign in their area. I want to raise certain points here regarding Tamil Nadu.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, please. ...*(Interruptions)*...

$ Further discussion continued from the 11th December, 2025.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, Election Commission is a very vital part of a healthy democratic system. It is a part of the election system. After the Karur incident, the Supreme Court directed the Tamil Nadu Government to formulate the Standard Operating Procedures (SOP) for conducting public meetings by the political parties. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One minute. Please, either take your seat or go to the Lobby.

DR. M. THAMBIDURAI: In this connection, the High Court of Madras issued directions to formulate the SOP. The Government also conducted an all-party meeting to hear the opinions of the parties. So far, no such SOPs have been formulated by the Tamil Nadu Government. So the political parties are facing hardships in Tamil Nadu to conduct public meetings to express their views to the public through campaigns. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, it is not related to that. ...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, my leader, Edappadi Palaniswami wanted to address a gathering in Erode district. He could not...

MR. CHAIRMAN: No. Please. ...*(Interruptions)*....

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, election campaign is one of the departments of elections... ...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Please stick to electoral reforms. Don't raise the issues of the State. Please come to electoral reforms.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I am talking about the Election Commission and the process of elections, how they are taking place. Election campaign is one of the important election processes. *This is a fact. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No crosstalk. . ...*(Interruptions)*...Please take your seat. I will handle it.

DR. M. THAMBIDURAI:* ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: This is baseless...

---

* Not recorded.

Contents Page

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, this is not baseless. With regard to the electoral rolls, when I spoke about the system, *

MR. CHAIRMAN: No. That is the job of the Election Commission.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, my time is getting wasted...

MR. CHAIRMAN: You please stick to the subject. Don't make false allegations. ...(*Interruptions*)...

DR. M. THAMBIDURAI: No, not false allegations. I can authenticate it. If you want it to be authenticated, I will authentic it.

MR. CHAIRMAN: You will authenticate! ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, he is making false allegations. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: You all please sit down. ...(*Interruptions*)... Why are you interfering? There cannot be arguments and counter arguments. You all take your seats.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir,...

MR. CHAIRMAN: You please take your seat. ...(*Interruptions*)... Tiruchi Siva*ji*, you please take your seat. Madam, you please take your seat.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I told you, election campaign is one of the electoral reforms. *...(*Interruptions*)... Sir, the former Minister of AIADMK... ...(*Interruptions*)...

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shaktisinh*ji*, please. ...(*Interruptions*)... Hon. Chairman has already requested you to confine yourself to the boundaries of discussion. Please.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I want to come to the point. The Election Commission is allowing campaigning for the political parties. But, what I am...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Already, hon. Chairman has told... ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, he is making allegations... ...(*Interruptions*)...

---

* Not recorded.

DR. M. THAMBIDURAI: But, they are all denying the chance for us.* ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. We are discussing Electoral Reforms. ...(*Interruptions*)...

DR. M. THAMBIDURAI: As a candidate, I have every right to go, campaign and meet voters. *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, we are not discussing State issue.

DR. M. THAMBIDURAI: *...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please confine yourself to Electoral Reforms.

DR. M. THAMBIDURAI: We have already raised this issue in the Election Commission. Sir, I am requesting. When we are discussing Electoral Reforms, this kind of things have taken place. In elections, voters' list revision is a regular process. I am not speaking on SIR. The Election Commission is conducting this every year. This is part of the process. *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please confine yourself to the subject. Only that will go on record.

DR. M. THAMBIDURAI: That is the thing; that is going to happen. *You cannot do that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have told you.

DR. M. THAMBIDURAI: *He said this. Is this a fact? Are you going to allow it to go on record?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That will not go on record. You know, Thambidurai*ji*. Please.

DR. M. THAMBIDURAI: Therefore, I am telling that Tamil Nadu is a fair place, where the elections must take place. *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject.

---

* Not recorded.

DR. M. THAMBIDURAI: They know that they are going to lose the elections. That is why, we are raising this issue.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri H.D.Devegowda, not present. Now, Shri Yerram Venkata Subba Reddy. ...(*Interruptions*)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Reddy, he has a point of order. Now, hon. Tiruchi Siva*ji*, under which rule?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I don't deny, he has got the right to speak anything. He was reading out a newspaper and it was about a former Member of Parliament.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will see.

SHRI TIRUCHI SIVA: He is not a Member of this House and he cannot come and give his explanation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already told him. I have already reminded him. Please, we will see.

SHRI TIRUCHI SIVA: Kindly go through that, Sir, and expunge it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Yerram Venkata Subba Reddy.

SHRI YERRAM VENKATA SUBBA REDDY (Andhra Pradesh): Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity. Electoral reforms do not mean that you bring some changes after Lok Sabha elections and conclude that you have done electoral reforms. We have to bring reforms at the State level and also at the national level. And, only such electoral reforms will protect and preserve democracy and the democratic process in the country.

We all know that electoral reform is a continuous process. The Election Commission has to learn from its discrepancies and mistakes; mistakes committed during Assembly elections, be it in Andhra Pradesh or anywhere else, mistakes committed in the General Elections or even mistakes committed during panchayat and local body elections.

I am representing Andhra Pradesh State in this House. So, whatever examples I give here, I will give only relating to my State, pertaining to the 2024 General

Elections. I am not casting any aspersions on anybody or any party. But, I am only quoting the facts and suggesting what is to be done by the Election Commission to maintain its integrity and transparency and address shortcomings. So, I will be brief and pointed in my submissions.

First, I will come to Form 20. It contains the exact polled vote data, excluding postal ballots. The Election Commission issued a Press Note on 25th May 2024, indicating the absolute number of voters who participated in the first phase of the 2024 General Elections, which also includes the fourth phase elections held in Andhra Pradesh. The exact number of votes polled has been shared with polling agents through Form 17C. This Press Note is said to be absolute and final. But, there is a huge discrepancy in the final votes counted and the exact polled votes, declared by the Election Commission of India through Form 20. The discrepancy occurred in 25 constituencies, that means all 25 parliamentary constituencies in Andhra Pradesh. I suggest for the consideration of the Election Commission, through you, to look into why this discrepancy has happened, who is responsible for this, and what action it has taken against the erring officials.

My second point, I wish to make, is relating to Form 17A. It deals with the Voters' Register. Simultaneous elections for Lok Sabha and Assembly were held in some States, including Andhra Pradesh. We have a common voter list. We have some polling stations, and polling is simultaneous. In such a scenario, the votes registered in Form 17A, the accounts of the votes recorded in Form 17C, and votes entered in EVM should be the same for both Lok Sabha and Assembly elections. And, if there is any discrepancy, that has to be recorded in Form 17A under Rule No. 49O. So, if there is any mismatch between Lok Sabha and Assembly votes, it raises procedural and legal concerns. But such lapses were observed in the 2024 General Elections in Andhra Pradesh. This indicates that voters' data was altered or manipulated, or there was a deviation in the electoral procedure. There are many examples in many constituencies -- Raptadu, Dharmavaram, Rayadurga, Tadipathri, Allagadda, Kadapa, Pulivendula, etc. Like this, in so many constituencies, there were a lot of discrepancies. So, I appeal to the Election Commissioner to conduct an enquiry as to why it had happened in order to ensure that such things do not occur in future. All I want, the YSR Congress Party wants, and the people of Andhra Pradesh want, is that there should be fairness in the conduct of elections, clarity in outcomes, and transparency in public disclosure.

So, through you, Sir, I would like to put forth my suggestions, my party's suggestions, to the hon. Prime Minister, to the Government, and to the Election Commission. (a) Mandatory public release of CCTV footage, Form 17A, and 17-C., and Presiding Officer's Diaries; (b) statutory enforcement of Supreme Court-mandated EVM's verification; (c) the most important of them all is to replace EVMs with paper ballots in all future elections, because the electoral system that cannot be audited cannot command trust. EVMs may be efficient, but cannot be trusted. Paper ballot may not be efficient, but can be trusted. You need trust in democracy; and, (d) live streaming or 100 per cent webcasting at all polling stations.

With these submissions, Sir, I conclude by just saying that the YSR Congress Party has brought this to the notice of the Election Commission, not once or twice, but multiple times. The YSR Congress Party had got a 40 per cent vote share in the last General Elections held in 2024. And, the mismatch that we have mentioned above is questioned by political analysts and experts. ...*(Time-Bell)*... Just last point, Sir. We are only highlighting these things to bring reforms in the electoral process and to make our elections free, fair, and transparent. The Election Commission is an independent body responsible for conducting elections in the country. It should uphold the principles of transparency and accountability. ...*(Time-Bell)*... Thank you very much, Sir.

श्री संजय यादव (बिहार): उपसभापति महोदय, 'चुनाव सुधारों' की इस महत्वपूर्ण चर्चा में अवसर देने के लिए मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, अपने नेता श्री तेजस्वी यादव जी और आपका धन्यवाद करता हूँ।

उपसभापति महोदय, जैसा कि इस चर्चा में सभी वक्ताओं ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यह वाक्य हम सभी गर्व से दोहराते हैं, लेकिन एक सच्चे और जीवंत लोकतंत्र की पहचान केवल मतदाताओं की संख्या से तय नहीं होती, बल्कि यह उसकी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और संस्थागत ईमानदारी से तय होती है। हमारा मानना है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र होने से ज्यादा जरूरी है सबसे ईमानदार लोकतंत्र होना। आज भारत की चुनावी व्यवस्था अपनी तमाम मजबूती और गौरवशाली इतिहास के बावजूद कई ऐसी चुनौतियों से जूझ रही हैं, जो लोकतंत्र की आत्मा को भीतर से चोट पहुँचा रही है। इसलिए यह समय है कि हम सब इन चुनौतियों का ईमानदारी से सामना करें और उन सुधारों पर गंभीरता से चर्चा करें, जिनकी आज देश को सख्त जरूरत है।

महोदय, 1952 से लेकर अब तक कुल 13 बार एसआईआर हुआ है, * और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र लोगों के विश्वास पर चलता है। अगर यह विश्वास टूटने लगे,

* Not recorded.

Contents Page

तो संस्थानों की वैधता भी कमजोर होती है। मैं यह जो कह रहा हूँ कि लोकतंत्र पर लोगों का अविश्वास बढ़ा है, इसके लिए मैं कुछ आँकड़े रखना चाहता हूँ। अभी विगत समय में पाँच राज्यों में विधान सभा चुनाव हुए - महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, झारखंड और हरियाणा। महोदय, हमें यहाँ पर एक अप्रत्याशित वोट इंक्रीमेंट देखने को मिला है।* दिल्ली में भी पानी और बिजली निःशुल्क थी। वह भी सबको पता है। अगर यह वोटिंग पैटर्न हो, मतदाताओं का वही बिहेवियर हो, तो वह सर्वव्यापी हर जगह वैसा ही रहना चाहिए। यह तो आश्चर्यजनक था* कि एक पार्टी विशेष की तो स्ट्राइक रेट 89 परसेंट रहा, आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। उस 35 दिन में, जैसा कि सब जानते हैं कि बिहार का 73 प्रतिशत जो भूभाग है, वह बाढ़ प्रभावित है। वह सावन का भी महीना था, तब लोग कावड़ लाने जाते हैं। उस समय धान की रोपाई का भी समय था।

श्री उपसभापतिः माननीय संजय जी, एसआईआर एक सबज्यूडिश मामला है और माननीय चेयरमैन ने शुरू में ही रिक्वेस्ट किया था कि हम बोलते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें।

श्री संजय यादव: जी हाँ, सर। चूंकि हम चुनाव सुधारों पर बात कर रहे हैं, तो हमारा जो अनुरोध था, वह उसी के संबंध में है। यह भी चुनाव सुधारों की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, इसलिए हम यह बात कर रहे हैं।

*महोदय, हम जब चुनावी सुधारों की बात करते हैं, तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म सही तरीके से हो, पक्ष-विपक्ष दोनों संतुष्ट हों और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता संतुष्ट हो। चुनाव सुधारों पर यह चर्चा केवल औपचारिकता नहीं रहनी चाहिए। * रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन उससे देश का लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए न कि कोई विशेष पार्टी। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि जनता की हर दुविधा, हर शंका, हर सवाल का निवारण करे और तुरंत करे, लेकिन इसमें कहीं न कहीं हमें सही समय पर सही उत्तर नहीं मिल पाता। किसी ने कहा है:

"किसी पेड़ के काटने का किस्सा नहीं होता,
अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता।"

इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव सुधार की ही नहीं, चुनाव आयोग में भी सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। *

श्री उपसभापतिः यह चुनाव आयोग पर बहस नहीं है। आप उन सारी चीजों का ध्यान रखें, जो माननीय चेयरमैन ने कहा था और केवल वे ही चीजें रिकॉर्ड पर जाएँगी।

श्री संजय यादव: सर, यह हम नहीं, जनता कह रही है। *

श्री उपसभापतिः माननीय संजय जी, आप इलेक्शन रिफॉर्म पर बात कीजिए। वे ही चीज़ें रिकॉर्ड पर जाएँगी।

---

* Not recorded.

श्री संजय यादव सर, हम उसी पर बात कर रहे हैं। हमें चुनाव सुधार चाहिए, *

श्री उपसभापति : आप सबज्यूडिश मामले पर न बोलें, ऐसा मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया है।

श्री संजय यादव : सर, एसआईआर के जरिए गलतियां ठीक होनी चाहिए और जो ठीक हो, उसे गलत करने की मंशा को रोका जाना चाहिए। अगर सुधार सच है, तो डर किस बात का, लेकिन यह सरकार वोटर को जुटाकर नहीं, बल्कि वोटर को हटाकर जीतना चाहती है। आप वोट सुधार नहीं, आप वोट मैनेज करना चाहते हैं। *सर, हमने मैंने स्वयं चुनाव आयोग को एक चार पेज का लेटर लिखा कि कैसे-कैसे धांधली हो रही है, लेकिन कभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सर, अविश्वास क्यों बढ़ रहा है, जनता क्यों सवाल उठा रही है? मैंने विगत जिन छह राज्यों के चुनावों का जिक्र किया, उसमें जनता इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर सवाल उठा रही है। हम सिर्फ उनकी आवाज को, उनकी भावनाओं को, उनकी शंकाओं को आपके माध्यम से यहाँ सदन में रख रहे हैं। महोदय, दुनिया की हर मशीन ऑडिट होती है, लेकिन ईवीएम पर यह ऐतराज क्यों? दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी अचूक नहीं है। हमने देखा है, हमारे देश में ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर साइबर अटैक होता है,उसे हैक करने की कोशिश होती है और उसे 2018 में किया भी गया है । हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर भी साइबर अटैक्स हुए हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी अचूक नहीं होती। दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली प्रणालियाँ भी हैक हुई हैं, तो EVM को पूरी तरह "अभेद्य" कहना तकनीकी रूप से सही नहीं लगता।

महोदय, EVM पर सवाल लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं, बल्कि मज़बूत करता है। अगर कोई वोटर कहे कि "मुझे EVM पर भरोसा नहीं", तो क्या आप उसे अपराध मानेंगे? अगर कोई वोटर कहे कि मेरे पास सारे काग़ज़ात हैं, फिर भी आप मेरा वोट डिलीट कर रहे हैं, तो क्या आप उसे अपराध मानेंगे? — नहीं। EVM को बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है, जनता के भरोसे को लोकतंत्र में बचाना। जनता का भरोसा किसी मशीन में नहीं, बल्कि निष्पक्ष प्रक्रिया और प्रणाली में ही संभव है। जब वोट काग़ज़ पर दिखता है, तो गिनती में काग़ज़ क्यों नहीं? 5 प्रतिशत मिलान भरोसा नहीं देता, 100 प्रतिशत मिलान ही भरोसा देता है। लोग कह रहे हैं कि EVM पारदर्शिता नहीं दे रही है। लोकतंत्र पारदर्शिता के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर हम चुप रहेंगे, तो मशीन जीत जाएगी और अगर हम बोलेंगे, तो लोकतंत्र जीतेगा। अगर कहीं शक है, तो हम सबको बिल्कुल निडर होकर बोलना चाहिए। जब वोट की प्रक्रिया ही संदेहों से घिरी हो, तब लोकतंत्र की आवाज़ साफ़ कैसे सुनाई देगी?

महोदय, मशीन जीत जाए और हमारा मतदाता, यानी मानव, हार जाए - यह लोकतंत्र और मानवता, दोनों के लिए खतरनाक है। महोदय, मानव ने मशीन बनाई है, मशीन ने मानव नहीं बनाया। मतदाता मशीन से बड़ा होता है। बिना मतदाता लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। जनता को Election चाहिए, Selection नहीं।

* Not recorded.

महोदय, कई कामयाब और लोकतांत्रिक विचारधारा का सम्मान करने वाले विकसित देशों ने पारदर्शिता के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को अस्वीकार कर दिया है। चुनाव सुधारों के लिए निष्पक्षता दिखानी पड़ती है, सिर्फ कहना ही काफ़ी नहीं होता। रेफरी अगर नियम पूछने पर नाराज़ हो जाए, तो मैच के नतीजों पर सवाल उठाना लाज़मी है। दुनिया के अधिकांश लोकतंत्र आज भी पेपर बैलेट का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह सत्यापन योग्य भी होता है, भरोसेमंद भी होता है और जनता को दिखता भी है। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। चुनाव सुधार कोई तकनीकी प्रक्रिया मात्र नहीं है। यह उस लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है, जो नागरिकों को यह विश्वास दिलाती है कि सत्ता उनकी इच्छा का प्रतिबिंब है, न कि धन, बल और प्रभाव का परिणाम। भारत को चुनाव सुधारों की एक नई पीढ़ी की ज़रूरत है - ऐसे सुधार, जो चुनाव आयोग को और मज़बूत करें, राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाएँ, धन और बल की अंधेरी सुरंगों को रोशन करें और मतदाता के विश्वास को पुनः केंद्र में स्थापित करें। लोकतंत्र की शक्ति उसका सबसे बड़ा विश्वास है और चुनाव सुधार वही रास्ता है, जो इस विश्वास को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकता है।

SHRI H.D. DEVEGOWDA (Karnataka): Respected Deputy Chairman, Sir, I would like to express my sincere thanks to you for giving me the opportunity to speak on electoral reforms and the allegations made by our recognized Opposition about revision in the voters list.

Sir, I was a Congress Party worker in 1952, 1957 and 1962 when Pandit Jawaharlal Nehru was Prime Minister. Everybody knows what happened in 1964; I do not wish to state that. After the demise of Pandit Jawaharlal Nehru, the tallest leader, Shri Lal Bahadur Shastri, became Prime Minister. He was there for a short period. We know what happened during the Tashkent Agreement. After that, Madam Gandhi became Prime Minister.

During her period, I think, more than 318 seats or more than 316 seats, for three or four elections, Madam Gandhi was able to score in the election. When there was a decline in the number of candidates, then, she thought of bifurcating the Parliament and the Assembly separately to fight the election. Even then, I fought the election. I never raised any objection. I was in the opposition. Earlier, there was Samata Party and Janata Dal. I was the President of Janata Dal when Janata Dal was formed during Morarji Desai. I never raised any objection about the bifurcation of Parliament and Assembly elections. Even then, we bowed our heads and fought elections. I was defeated once in the Assembly. I won the Assembly seven times. I won Parliament four times and I was defeated three times by the Congress. I never blamed the Congress for defeating my by manipulating the voters' list.

Contents Page

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA (Rajasthan): Sir, it is a discussion on Electoral Reforms. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. *...(Interruptions)...* Surjewala *ji*, nothing is going on record. Let him speak. *...(Interruptions)...* Surjewala*ji*, please take your seat. *...(Interruptions)...* Hon. Devegowda*ji*, please speak; only that will go on record. *...(Interruptions)...*

SHRI H.D. DEVEGOWDA: There was no other Party in Karnataka. There was Samata Party, Indira Congress and Janata Party. If you know the history since 1952, then you would not have raised any objection. Please pardon me. I have not come to the language you have used, that is, 'Vote Chori'. I have not come to this. I am saying manipulation of the voters' list. That is all I have said. In 1991, I came to the Lok Sabha. I was the only Member from Janata Dal. In 1994, I went back to Karnataka and I became Chief Minister. I had not completed two years there. I do not know what sin I had committed in the past life. I am a believer in that. The Congress lost the election.

The Congress lost the election, and the Congress Working Committee, if my memory is correct, on 12th May 1996, passed a resolution stating, "We are going to support a non-BJP Government, if secular parties are going to come together." Then, there was a 13-party coalition. In those days, the left parties were very strong. And, the DMK, along with Moopanar Congress, totally got 40 seats. The TDP had got 40 seats. I got 16 seats as the Chief Minister. And the Congress extended their support, through a resolution, for the non-BJP Government. We all sat together and we took a decision to make Jyoti Babu as the Prime Minister. For two days, the discussion went on. Ultimately, there was difference of opinion within their party and Jyoti Babu declared my name as the Prime Minister. I was in tears. People had given me the mandate in Karnataka to rule Karnataka. I had not got the mandate to rule this great nation. But, the circumstance forced me to head the 13-party coalition as the Prime Minister. I took oath on 1st June, 1996. I was there for hardly 10 months and 20 days. Why am I narrating all these things? The manipulation of the voter list. *...(Interruptions)...*

श्री उपसभापति: शक्तिसिंह गोहिल जी, प्लीज़ सीट पर बैठकर मत बोलिए। Sir, please conclude. Your time is over.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I would have never raised this issue. There is a letter written by Pandit Jawaharlal Nehru. The letter is about inclusion of 18,000 votes in

Kerala when Shri Namboodiripad was the Chief Minister. The letter is here. He asked Govind Ballabh Pant, the then Home Minister, to verify the letter. ...*(Interruptions)*...

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, this is a discussion on the Election Reforms and not on the electoral history of the country. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Sir. ...*(Interruptions)*...

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Sir, I request our hon. Colleagues ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. Your time is over.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I may be aged, but my memory is alert. I will never speak irresponsibly. ...*(Interruptions)*... This is the letter written to Govind Ballabh Pant about 18,000 votes, which were added during Namboodiripad's time in Kerala, to see that this was verified.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sir, your time is over. Please conclude.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Sir, why am I telling this? During Nehru's period also, there were certain lapses in the electoral system. That is what I am telling.

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, is this a discussion on all the sins that have been committed? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Let him speak.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Please listen to me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Surjewala ji, you do not have permission to speak. It is not going on record. ...*(Interruptions)*... Please conclude, Sir.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Sir, they are little bit worried to hear what I am narrating. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Devegowda ji, your time is over. Please conclude. ...*(Interruptions)*...

---

* Not recorded.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Sir, I requested the Leader of the House and the Parliamentary Affairs Minister, in presence of the hon. Chairman, Rajya Sabha, who is also the Vice President of this country, to give me some time from their Party's time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Has the party given time to hon. Member, H.D. Devegowda ji? ...(*Interruptions*)...

SHRI H.D. DEVEGOWDA: That is what I requested, and, I hope, they will cooperate with me. ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. L. MURUGAN): Sir, since the former Prime Minister is requesting, we will give some time from our Party.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You can continue.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Sir, let me come to the point. In Bihar elections, how much they fought about the issue of electoral mistakes that have been committed by the Election Commission. Ultimately, the Election Commission reviewed it. Nearly 62,000 votes were deleted and 12,000 were added. Having done that... ...(*Interruptions*)... 65 lakhs ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति: सुरजेवाला जी, आप क्यों दुखी हो रहे हैं ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... जब आपका मौका आएगा, तब आप बोलिएगा। Nothing is going on record. ...(*Interruptions*)... आपको मौका मिलेगा। आपको बोलना है, तो आप बोलिएगा। ...(**व्यवधान**)... यह आपकी जॉब नहीं है। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़ जब आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा। Please do not disturb.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Sir, they are perturbed. ...(*Interruptions*)... What happened afterwards? Even after so much of review of the voters list, what is the end result? Think yourself. ...(*Interruptions*)... You have got 6 MLAs. That is the position. Sir, in 2014, for the first time, Narendra Modi ji came to national politics. Before that, for 12 years, he was in Gujarat and was serving the State as Chief Minister. When he came to Delhi, in the first election, he got 286 seats. ...(*Interruptions*)...

श्री शक्तिसिंह गोहिल (गुजरात): सर, ये क्या सब्जैक्ट है? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़ आप बैठकर टिप्पणी न करें। ...(**व्यवधान**)... आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI H.D. DEVEGOWDA: He got 286 seats. ...(*Interruptions*)... Was there any manipulation? Nobody raised the doubt of manipulation. I am in this House. In 2019... ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति : शक्तिसिंह गोहिल जी, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Please hear me, brother. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Devegowda ji, conclude. ...(*Interruptions*)... Please conclude.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Have patience. In 2014, I came to Parliament. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please address the Chair. ...(*Interruptions*)... Hon. Devegowda ji, please address the Chair. ...(*Interruptions*)... आपस में बात नहीं करें।

SHRI H.D. DEVEGOWDA: In 2019, I was defeated. My friend, Jairam Ramesh, is there. In 2014, I won the Lok Sabha Elections. In 2019, I was defeated. In 2009, I came to Lok Sabha. In 2014, I came to Lok Sabha. ...(*Interruptions*)... Please hear me. In 2020, I came to this House. With this vast experience ...(Interruptions)... Why are they becoming so angry?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Sir.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: They want to make allegations against the Prime Minister on the issue of the voter list. The Election Commission is there; the Supreme Court is there. The Election Commission has given directions to all the State units to rectify all these things. I have got sufficient documents. Sir, with his personality, when Modi ji won 282 seats, he could have formed the Government. But he thought over to get back those allies, those political parties, which supported Vajpayee ji. He took them to form the NDA, though he had got the majority. In 2019, the elections were again held. Under the leadership of Modi ji, they got 303 seats. He could have formed the Government on his own, but he formed it with all the coalition parties to give an opportunity to all those friends who supported Vajpayee ji. He continued the coalition and gave a stable Government, a strong Government, to implement so many programmes. Sir, in 2024, he got 240 seats. Again, all those people who earlier formed the Government, they all came together. In the last leg of my life, about two years back, I gave my support to the NDA. ...(*Interruptions*)... There is nothing to hide.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Sir.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: The Congress people who tried to destroy Devegowda or the Janata Dal . ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : माननीय रामजी लाल सुमन जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... Nothing is going on record. . ...*(Interruptions)*... सिर्फ माननीय एच.डी. देवेगौड़ा जी का भाषण रिकॉर्ड पर जा रहा है। प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

SHRI H.D. DEVEGOWDA: ... who has been in public life for the last 70 years, they want to destroy. ...*(Interruptions)*... My own party, Janata Dal is a regional party. . ...*(Interruptions)*... Sir, I never raised, when I was defeated by the so-called Congress leaders ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापतिः सर, आपको बीजेपी की तरफ से समय मिला है। ...(**व्यवधान**)... आप कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI H.D. DEVEGOWDA: They have agreed in the presence of the Vice-President and Chairman. Please don't disturb me. Give me some more time. Sir, today, in this country, if these friends want to make a mockery of the Prime Minister in the streets and the public platforms, they are making the Prime Minister Office to denigrate. Sir, we never did it. In the last 70 years of my public life, we never did it. We never used such a word even when Rajiv Gandhi got 400 seats, when Indira Gandhi got 350 seats. I was defeated. I have never used such words. Our system is very strong. Our constitutional forefathers, including Dr. Ambedkar, have given us a strong foundation for our democratic system. This cannot be eroded by anybody. They were saying in public that RSS, Janata Dal and Bharatiya Janata Party combined are going to destroy the democratic system and that the democracy is in danger. Who bothers about this type of slogan?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now. ...*(Interruptions)*...

SHRI H.D. DEVEGOWDA: People have never turned hostile to Narendra Modi Government. It shows that they have full confidence in Narendra Modi's Government. ...*(Interruptions)*... I have given my full support to Narendra Modi's leadership. ...*(Interruptions)*... The country needs him. ...*(Interruptions)*... This is a very big country. ...*(Interruptions)*... It a large country. ...*(Interruptions)*... Congress may be in three States. Remember, my friends, by using words like 'Vote Chori'; you are going to suffer in the coming days. ...*(Time-bell rings.)*... You are not going to win the battle.

Contents Page

I am telling you because I know what the country's politics is. I can speak, Sir, for hours together. But you are ringing the bell. There are so many things.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are a number of speakers.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: My friend from DMK is here who supported me when I was the Prime Minister. ...*(Interruptions)*... I know what stand they have taken. I know that to maintain their political strength, the DMK in Tamil Nadu is fighting. ...*(Interruptions)*... I know that. I am not blaming them. ...*(Interruptions)*... But the only thing is that they are blaming Narendra Modi's leadership. ...*(Interruptions)*... They are creating suspicion in the minds of the voters in this country. It is a large country. They are saying Vote Chori, Vote Chori, Vote Chori. ...*(Interruptions)*... What has happened to their mind? Let them rectify their illful or willful mind...*(Interruptions)*... This has been corroborated. Don't do that. It is not going to help. Modi's Government is going...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: They will fight the battle under his leadership in 2028 and will come back to power. This is the oldest person in the Lok Sabha and the Rajya Sabha speaking. I could speak more. ...*(Interruptions)*... The letter of Pandit Jawaharlal Nehru is also here. ...*(Interruptions)*... If you want, I can place it on the Table of the House. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, place it on the Table for record. ...*(Interruptions)*...

SHRI H.D. DEVEGOWDA: It includes Shri Namboodiripad and West Bengal Chief Minister, Shri Roy. The letter is here. If anybody wants it, I can place it on the Table of the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, place it on the Table for record.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: With these words, I conclude. I wanted to speak a little more.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The time given to you is over.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Thank you very much, Sir, for giving me the time.

SHRI K.R. SURESH REDDY (Telangana): Sir, after the Vande Mataram debate, the House taking up the debate on electoral reforms is most welcome. It is reassuring to

speak about the health of a democracy. It is a legacy that was handed to us not easily, but the one that was forged in the fire of sacrifice by our freedom fighters. It is the solemn promise of our Constitution that every citizen remains a true master of this Republic. Talking about electoral reforms and the power of the ballot, I would take this honour to present before this House our own experiences from Telangana.

Sir, the power of the ballot was clearly demonstrated to the nation by our leader KCRji when the struggle for Telangana began. Our struggle for Telangana for the last 14 years saw unprecedented kind of *dharnas*. Women, farmers, students, employees and every person in the society of Telangana fought for it, but the only important thing which could awaken the Government of India and which could bring a sense of responsibility was the power of ballot. To quote the power of the ballot, my leader KCRji, to demonstrate that the will of the people is so clearly visible, resigned twice as Member of Parliament. He resigned twice from different regions of Telangana so that the country gets a sense that it is not one particular region or one particular area. He resigned when he was not in power. Our party was neither ruling Telangana nor at the Centre, but the courage of KCRji, the trust and belief he had on ballot was visibly demonstrated. It is not only him, seeing his resignation, the people of Telangana compelled leaders of other political parties to resign as that would demonstrate the kind of will of the people which was prevailing there. So, this being the power of the voter, my leader and my party are very keen that every eligible voter of Telangana and every eligible citizen of this country should be enrolled as a voter.

Sir, the debate has been continuing for the last two days. We support and say that electoral reforms are, definitely, a backbone for a healthy democracy. But, to ensure this, the voter list should be accurate, inclusive and transparent. A large and diverse nation like ours needs clean electoral rolls. We totally agree with that. Having said that, we have to ensure registration and updation to facilitate voting access to migrants, disabled, senior citizens, urban poor and people with limited documentation should be entitled to their voting rights. Strict re-verification should not become a mechanism for exclusion. Ensure that no eligible voter loses his right to vote simply because accessing paperwork is difficult. Today, there are initiatives by every State Government and Government of India, like ease of doing business, ease of communicating, etc. We have seen people through MeeSeva in Telangana getting their certificates electronically. In an age like this, why is it a challenge for a person whose name has been removed from the electoral roll to get back into the electoral roll when he is an entitled citizen of this country? That should be the concern and that should be the mechanism to be adopted. So, while the concern definitely is on the

Contents Page

voters' exclusion, but then we should also be equally concerned about the percentage of voting. When we look at the voting pattern across the nation, we have noticed that it is only the rural people who tend to vote more than the urban. We notice that it is poor people at the bottom of the pyramid who tend to vote more than the other middle class and the rich people. So, what are the reasons? We have seen, for the people at the bottom of the pyramid and the poorest of the poor, vote means his existence; his existence because he depends totally on the Government. Hence, he goes there to vote; whereas, the taxpayer, the middle class and other people have less percentage of voting even though they are contributing to the country. It is their taxes. Out of every rupee he earns, 30-40 paisa is going to taxes. So, he also should be equally involved in the voting process. There should be introspection amongst them. Of course, the Election Commission of India has initiated various campaigns. We had the superstar, Amitabh Bachchan, campaigning for it. Shri Amitabh Bachchan has campaigned for the essence of voting and the need of voting. In spite of all this, we feel that the voting percentage is still not rising to the desired levels.

2.00 P.M.

We have seen in local bodies. I was reading about a model in Gujarat -- when, I believe, Modi*ji* was the Chief Minister — where, in municipal areas they tried to make voting compulsory. Voting compulsory, in my opinion, may not really come. We have not come to that level or that maturity enough. But having said that, there should be ways and means where a voter should not only be entitled but also be made sure that he comes and votes. This should, probably, be one of the main things to be taken up by the Election Commission. A voter does not mean that he just votes and his job ends. We have to respect the voter. And what is happening in voting today is, once the election ends, then, the drama begins. The biggest challenge that Indian democracy has been facing in spite of two major constitutional amendments has been the anti-defection. Anti-defection is the name of the game today, in smaller States, especially when the legislatures are small in number. We have always been talking about the reforms in anti-defection. I am not speaking for this side or that side. Every one of us is equally responsible for the flourishing of anti-defection. So, to ensure that anti-defection becomes watertight, I would suggest probably a committee from the Parliament side which would constantly look into the defection, how defection evolves and ways and means of cutting that. We are always talking about judicial interference in Parliament but the Supreme Court was compelled to interfere when they said that within three months you take the decision on anti-defection. So, that has becoming compelling now. Of course, why allow the court,

Contents Page

which is already overburdened, to come into a jurisdiction which is purely the parliamentary domain? Why not have a committee and continue to take this up. About anti-defection, in the manifestos, what we give and do not deliver, in my opinion, is the real vote chori. We have seen way back and you must have noticed also, when Shri Somnath Chatterjee was the then hon. Speaker, he had conveyed a session of all the Speakers of the country on the right to recall. He felt that probably a right to recall could be one of the mechanisms where we can understand and see that whenever there is defection, whenever in the election manifesto you are promising the sky but delivering nothing, in my opinion, that is literally a kind of cheating the voter. These factors probably could come up in this. Then, there has been a debate on EVM or ballot paper. Well, I have gone through ballot paper, I have gone through EVM. My experiences are not majorly different. I have seen in ballot paper times, one big leader saying कि पाँच घंटे दंगा-फसाद करो और पाँच साल सत्ता में रहो। I mean there was both capturing, we have noticed all that and we have seen all that. From that, when the Election Commission tightened that booth capturing, then we have also seen how the political parties evolved as what we call the cycling of votes. एक आदमी जाकर बैलट पेपर निकाल कर बाहर लाता है, फिर आप उनको वही वोट दीजिए, फिर वह जाकर डालते रहता है। So, it is a circle where you can capture that. These are the kinds of issues which came up. When we transferred into EVMs, what is the fate of EVMs? Of course, like the saying goes, our stand depends on where we sit. But even in the EVMs, there have been certain doubts which are coming out. I have seen, since the EVM is there, there are certain areas where you know that people will not vote for you and in those areas, people are being stopped from voting. So, you see the percentage dropping in those areas. It is the ECI which should look into areas where people are forced not to vote. So, these concerns, definitely, are something which we would be looking in the coming days. Finally, let me conclude on our Party's view on 'One Nation, One Election'. We know that regional parties tend to lose on 'One Nation, One Election' but my leader KCR*ji* was very categorical. He saluted the voter and he says: "Definitely, the voter has a sense to differentiate between the regional elections to the national election." So, we support 'One Nation, One Election' theory purely because we feel too much of politics, especially at the grassroots, would definitely not augur well for democracy. Once an election is done, let it continue for five years. Whoever wins, whoever loses, let the country be governed. Let no further expenses be put upon the people of India. So, with these words, Sir, I thank you for giving me the opportunity.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, K.R. Suresh Reddy*ji*. Dr. John Brittas*ji* will speak in Malayalam.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, Malayalam also. Sir, please be considerate 25 per cent, as to Devegowda*ji*. The most......*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Brittas*ji*, please confine to time. ...*(Interruptions)*... Just for information, we have almost 75 speakers, please.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, we will sit till mid-night. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, Mr. Devegowda got time from BJP. ...*(Interruptions)*... His time also... ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the most pertinent question is whether the Government of India is for governance or it is on a grand election mission. That is a doubt in the minds of the people and the political parties. * ...*(Interruptions)*... That should be the best way. Sir, I will quote the former Chief Election Commissioner. ...*(Interruptions)*... He said so.

श्री उपसभापति: आप जानते हैं कि ऐसे मेम्बर्स, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम **नहीं** लेना चाहिए। Please. ...*(Interruptions)*... As per rules. ...*(Interruptions)*... Go as per rules. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the former Chief Election Commissioner said that four 'M's ruled the roost. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please.

DR. JOHN BRITTAS: Money power, Muscle power, Misinformation, MCC violation. It was said by none other than the former Chief Election Commissioner. Sir, let me just come to a point which may not be very palatable to my friends in Congress. *There was collusion between Congress and BJP. They amended FCRA. The retrospective effect was 40 years from 1976! Can you believe? Now, I would say, in all earnestness, that you amend FCRA again because rupee has gone bust. You get money in dollars. Otherwise, you cannot run the machinery. Sir, the corporate collusion is something which I want to say. My party has been firmly against electoral bonds. ...*(Interruptions)*... We said that this is polluting the election scene. Sir, I will tell you. Electoral bond is the darkest, unholy chapter in the history of Indian

---

* Not recorded.

democracy. From threats to inducements, from rewards to retaliation and, overall, it was *quid pro quo*, I will tell you an instance. *Sir, you will understand. Now, airline debacle happened; predatory pricing, windfall gains by Tata Airlines, that is Air India! I know they cannot take any action against them. You know why? * ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on Election Reforms. ...*(Interruptions)*... That will only go on record. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I am losing my time. ...*(Interruptions)*... *...*(Interruptions)*... I do not want to explain......*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the Election Reforms. ...*(Interruptions)*... That will only go on record. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I am losing my time. ...*(Interruptions)*... Please pause it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. On Electoral Reforms! ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: *I am telling you, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on Election Reforms. ... *(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: This is a country where the Finance Minister... ... *(Interruptions)*...

श्री उपसभापतिः माननीय जॉन ब्रिटास जी, इलेक्शन रिफॉर्म के पक्ष और विपक्ष पर आप जो बोलेंगे, वही रिकॉर्ड पर जाएगा।

DR. JOHN BRITTAS: *...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापतिः माननीय चेयरमैन ने ऑलरेडी बहस शुरू होने से पहले clear norms बताए हैं, please follow that. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the institutions are important. I will tell you. When we talk in terms of Election Commission, other institutions like media also are important. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is on election reforms. Please speak on Election reforms. ... *(Interruptions)*...

---

* Not recorded.

Contents Page

DR. JOHN BRITTAS: Sir, why are you not allowing?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am allowing; allowing on the subject as per rules. Please go as per rules. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I will tell you. When I talk in terms of institutions, -- not only Election Commission, even the media -- If you had an independent media; I can bet you, the number of their seats would have been below 200, if there were semblance of independence. There was a question as to why the Chief Justice was not included in the Appointment Committee and the Government said that normally, the Chief Justice is not in the Committee. Is it not a fact that even the Supreme Court said that? Is it not a fact that L.K. Advani*ji* wrote a letter to Dr. Manmohan Singh to include the Chief Justice? Is it not a fact that for a less significant post of a CBI, Director, there is the Chief Justice in that appointment Committee? Is it not a fact? So my point is very simple. My party says that there should be proportional representation at least to a percentage of seats, to clean out. Basically, it can be on the list. Many countries including Germany have that procedure of proportional representation. We should try that. I have another point to say. When I talk in terms of media, let us say that free and fair election is a must for a meaningful democracy and if you want to have a free and fair election, you must have an independent Election Commission. That is why we have been always telling that we need to have an independent Election Commission and that is absolutely required. Now let me just come to certain things. * &Sir, we have indeed witnessed a temporary setback in the recent election, and we do not deny that. However, the collective celebration and shared happiness displayed by you both over this outcome is a matter of serious concern. The people of Kerala are closely watching these developments. History shows that whenever such joint celebrations have taken place, the country has often gone on to witness grave misfortunes.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on election reforms; confine to that. That only will go on the record.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, the most important thing is that we need to have an ideological clarity also and even after elections, the mandate needs to be respected. When horse-trading happens, when massive defection happens, when resource becomes sanctum sanctorum, the purity of the elections is in question. So how to

* Not recorded.
& English translation of the original speech delivered in Malayalam.

deal with that? My friend was talking about anti-defection law. At that time, we had this anti-defection law which prevented retail defection. Now, wholesale defection is happening. That is why when I am talking in terms of that. *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please confine to the subject. Only that will go on the record.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I am telling you. *When we are discussing in terms of Electoral Reforms, that is absolutely required to see that. End to end, the system has to be cleaned up. We need to have free and fair elections. *And also, large chunks of money need to be curtailed. The extent of money spent in elections is alarming. My friend from Telangana will say that. The election expenditure would be 200 times that of Kerala! And, this is spreading like a virus. What have we to do? That is why, Sir, our party has been honestly saying that we need to have State funding of elections. We need to have proportional representation, at least, for a percentage of seats like as is being done in countries like Germany. It will happen through this system.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Dr. John Brittas.

DR. JOHN BRITTAS: So, my submission to you, Sir, is this. Let us have wholesome reforms. Let us not talk in terms of one Election Commissioner or Chief Election Commissioner. Let us see what ails our electoral arena. Let us see the sanctity of elections. The mandates are respected, Sir. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 75 speakers हैं, please confine to your time. श्री संजय कुमार झा।

श्री संजय कुमार झा (बिहार): उपसभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए मौका दिया है। महोदय, चुनाव सुधार का कोई भी विचार या प्रयास तब तक अधूरा ही रहेगा, जब तक मतदाता सूची पूरी तरह स्वच्छ, सटीक और पारदर्शी नहीं होती। सर, जब से इलेक्शन शुरू हुआ और मैं जिस स्टेट से आता हूं, reported booth capturing है, जो रिकॉर्ड में है, वह सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ। यह रिकॉर्ड में है। मैं अभी देख रहा था ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please.

श्री संजय कुमार झा: कांग्रेस के रूल में 1957 में बेगूसराय में सरयू प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जिनके पक्ष में पूरे बूथ को कैप्चर किया गया। यह India Towards Anarchy किताब

* Not recorded.

Contents Page

है। जिसके author Saksena- 1967 to 1992. बिहार में ऐसे बूथ कैप्चरिंग होती थी कि जो पैसा चुनाव में खर्च के लिए होता था, तो थोड़ा पैसा ऐसा रखा जाता था कि जो गुंडे हायर करने हैं, बम खरीदने हैं, गोली खरीदनी है, कौन-कौन सा बूथ कैप्चर करना है, तो वहां पर प्रोफेशनल तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती थी। 95 परसेंट बूथ को छुपाकर चुनाव जीतते रहे और सरकार बनाते रहे। जो लोग दलित, पिछड़े और अति पिछड़े की बात करते हैं, वे ईवीएम से पहले बूथ तक वोट देने के लिए नहीं पहुंच पाते थे। यह बिहार की सच्चाई है। आप भी जानते हैं कि एक-एक इलेक्शन की अपने आप में बड़ी स्टोरी है। जब टी.एन. शेषन आए, तब 2005 से पहले एक भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ, जिसमें 200,400, 500 लोग न मारे गए हों। पहली बार जब बिहार में ईवीएम आई, तब ऐसा होता था कि लाइट तक ऑफ कर दी जाती थी। आपकी तरफ बैलेट है, उसको निकालकर दूसरी तरफ डाल दिया जाता था। वहां पर इस तरह की बड़ी-बड़ी घटनाएं हैं। बूथ कैप्चरिंग में ऐसे-ऐसे लोग indentify किए गए थे, जो known थे कि वे इस जिले से जाकर दूसरे जिले में बूथ कैप्चर करेंगे। पहली बार 2005 में जब हम लोगों ने चुनाव देखा, तो बिहार में इलेक्शन कमीशन ने के.जे. राव को भेजा था। वह आज भी हाउसहोल्ड नाम है। पहली बार बिहार ने फेयर इलेक्शन देखा और ईवीएम के थ्रू लाइन लगाकर सुबह से शाम तक वोट दिया। वरना, वहां तो सुबह 10 बजे ही चुनाव खत्म हो जाता था। उस समय यह होता था कि 10-11 बजे तक बूथ पर वोट डाल लेते थे और चुनाव खत्म। बूथ के बाहर से ही लोगों को भगा दिया जाता था। पहली बार लोगों ने वहां पर ईवीएम से चुनाव शुरू होते देखा। बिहार में लोगों ने लाइन लगाकर वोट देना 2005 में शुरू किया।

महोदय, मैं अभी देख रहा था कि 'वोट चोरी, वोट चोरी' की बात हो रही है। कल भी लगातार हो रही थी, मैं इस संदर्भ में एक चुनाव का जरूर रेफरेंस देना चाहता हूं। यह फरवरी, 2005 का रेफरेंस है। वोट चोरी तो समझ में आती है, लेकिन पूरा जनमत चोरी हो गया! यह फरवरी, 2005 के चुनाव में हुआ था। उस साल बिहार में दो चुनाव हुए थे। फरवरी, 2005 के चुनाव में हंग असेम्बली बनी थी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कुछ लोगों ने समर्थन दिया था, इन्हें सरकार फॉर्मेशन के लिए सपोर्ट मिल गया था। उस समय की जो सरकार थी – महोदय, उस समय आदरणीय महमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री थे, यूपीए की सरकार थी, उस समय रात के 12 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। उस समय प्रेसिंडेंट मॉस्को में थे, कैबिनेट मीटिंग करके, रात में ही फैक्स से निर्देश मँगाया गया और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। किसी एमएलए ने ओथ भी नहीं ली थी, सुप्रीम कोर्ट भी गए। महोदय, कोई चर्चा नहीं करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उस समय सरकार बचाने के लिए कितनी बड़ी धाँधली हुई थी! महोदय, आजकल वोट चोरी के नाम से बिहार में बहुत यात्राएं निकल रही हैं, लेकिन बिहार के पूरे चुनाव में जो एमएलएज जीतकर आए थे, उनके नाम आज भी भूतपूर्व एमएलए के नाम से दर्ज़ नहीं हैं, बल्कि उन्हें अभूतपूर्व एमएलए कहा जाता है, क्योंकि वे शपथ ही नहीं ले पाए थे। वे चुनाव अवश्य जीत गए थे, लेकिन काँग्रेस ने ऐसा काम किया कि वे शपथ ही नहीं ले पाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट है। कलाम साहब ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जजमेंट के बाद उन्होंने एक तरीके से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। महोदय, ये तो करतूत रही है!

Contents Page

महोदय, अब मैं एसआईआर पर आता है। मैं इस पर इसलिए चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि एसआईआर सिर्फ बिहार में हुआ है, अभी और जगह पर प्रक्रिया चालू है। यही एसआईआर 2003 में भी बिहार में हुआ था। यह पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि यह बिहार में 2003 में तब भी हुआ था, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। बिहार में 30 दिनों के अंदर एसआईआर का काम पूरा किया गया था। इसी एसआईआर में, अभी जब यह काम हुआ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you. Please sit down. *...(Interruptions)...* माननीय संजय जी, वे प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर हैं। ...(**व्यवधान**)... Hon. Member, Shri Saket Gokhale, wants to raise a point of order. *...(Interruptions)...* बताइए। Under which rule, are you raising your point of order?

SHRI SAKET GOKHALE (West Bengal): Sir, my point of order is under Rule 240. My limited submission here is that when my party colleague spoke about SIR, she was interrupted. If he speaks about SIR, then, everybody should be allowed to speak on it. That is my limited submission. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; thank you. *...(Interruptions)...*

श्री संजय कुमार झा: उपसभापति जी, मैं तो सिर्फ यह जानकारी दे रहा हूं कि वहाँ पर ऐसा हुआ और जब यह प्रक्रिया चल रही थी, तो उसमें सारी पोलिकिटल पार्टीज़ को इन्वॉल्व किया गया। हम लोगों को बुलाया गया, हमारे बीएलए को बुलाया गया। हमने इस पूरी प्रॉसेस में जो विपक्ष की पार्टी है, जो वहाँ पर थी, उसको इलेक्शन कमीशन में जाकर एक भी कम्प्लेंट देते हुए नहीं देखा। हम लोगों ने भी पार्टी में अपनी मीटिंग की थी, अपने सभी प्रखंड अध्यक्ष से पूछा था कि कोई कम्प्लेंट है? यदि किसी का वोट काट दिया गया है, तो आप लोग बताइए, हम लोग इलेक्शन कमीशन में बात करेंगे। हमारे पास एक भी कम्प्लेंट नहीं आई। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी, सब जगह पर एडवरटाइज़ किया गया था, लोगों को बुलाया गया था और 30 दिनों के अंदर यह प्रक्रिया पूरी हुई।

महोदय, मैंने देखा कि हमारे एरिया से पूरी यात्रा निकली। कांग्रेस पार्टी से जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, वे जिस-जिस जिले में गए, इस चुनाव में वहाँ-वहाँ से काँग्रेस साफ हो गई। ये जिस जिले में यात्रा करके आए, वहाँ से एक भी सीट नहीं आई।

महोदय, उसके बाद बिहार का 2025 का इलेक्शन हुआ। पूरे इलेक्शन में बिहार जैसे प्रदेश में - जो वॉयलेंस को लेकर जाना जाता था - वहाँ दो फेज़ में चुनाव हुए। पूरे बिहार में कहीं पर एक भी वॉयलेंस नहीं हुई, कहीं पर भी, एक भी जगह रिपोलिंग नहीं हुई। क्योंकि बिहार में चुनाव हो रहे थे, इसलिए पूरे देश का मीडिया वहाँ पर घूम रहा था। माननीय उपसभापति जी, एक भी वोटर ऐसा नहीं मिला, जिसने कहा हो - नहीं तो सोशल मीडिया का जमाना है, वहाँ पर सारा मीडिया था। एक वोटर ने भी आकर नहीं कहा कि वह अपने बूथ पर गया, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं था। ये लोग कितना बड़ा असत्य फैला रहे थे! इन्होंने पिछला सेशन बिहार में हो रहे एसआईआर के कारण पूरा बंद कर दिया। महोदय, मैं दो मिनट एक्स्ट्रा लूँगा। इसी हाउस में

शहाबुद्दीन साहब ने बिहार और बंगाल के वोटर लिस्ट शुद्धिकरण को लेकर एक प्रश्न पूछा था। उस समय लॉ मिनिस्टर जगन्नाथ कौशल जी थे। यह 1983 की बात है। मैं अभी वाले शहाबुद्दीन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि किशनगंज वाले सैयद शहाबुद्दीन की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि यह करना इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। वे उस समय कॉंग्रेस के ही मंत्री थे। पूरा चुनाव हो गया, लेकिन मीडिया में कहीं एक भी कम्प्लेंट नहीं आई। इतना बड़ा चुनाव हुआ, हाईएस्ट वोटर टर्नआउट था। अगर किसी ने आकर यह कहा होता कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, तो यह कहीं मीडिया में आता, कहीं सोशल मीडिया में आता। तो यह वोट चोरी का असत्य बहुत बड़ा असत्य है। मैंने तो आपको बताया ही है कि वहाँ पर कितनी बड़ी जनमत चोरी हुई थी।

महोदय, मैं सुझाव के तौर पर एक बात और कहना चाहता हूँ। हम लोग चुनाव से होकर आए हैं। चुनाव में जनता को जरूर प्रॉमिस करने चाहिए। हरेक पार्टी मेनिफेस्टो निकालती है। जो महागठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने चुनाव में वहाँ पर एक प्रॉमिस किया। उन्होंने सब कुछ प्रॉमिस कर दिया, लेकिन जनता तो देखती है कि किस नेता की क्रेडिबिलिटी है। चुनाव में किस पर विश्वास है, यह जनता देखती है। उन्होंने घोषणा कर दी कि हम बिहार के हरेक परिवार के एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। इस थ्योरी पर आज तक के सारे इकॉनॉमिक्स फेल हो जाएँगे। बिहार में दो करोड़ बीस लाख परिवार हैं और बीस लाख लोग नौकरी में हैं। इन्होंने दो करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का प्रॉमिस कर दिया! अगर उन्हें चालीस लाख रुपये तनख्वाह भी देंगे, तो इसमें दस लाख करोड़ रुपये लगेंगे और बिहार का बजट सवा तीन लाख करोड़ रुपये है। चुनाव से पहले लोगों के बीच में ऐसे-ऐसे प्रॉमिस करके आए हैं! हरेक पार्टी को सोचना चाहिए, विचार जरूर करना चाहिए। अभी बहुत कहा जा रहा था कि चुनाव से पहले ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। हालाँकि जनता इन सब बातों को रिकग्नाइज़ नहीं करती है। ...(**व्यवधान**)... लेकिन मैं बिहार के अनुभव से एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि 2003 से लेकर 2025 तक, बाईस साल में बिहार में जो 65 लाख वोट कटे, उनमें 40 प्रतिशत वोट ऐसे थे, जिनकी डेथ हो गई थी, जो ज़िंदा नहीं थे और उनके नाम पर बोगस वोटिंग होती थी। जो माइग्रेट कर गए थे या जिनका दो जगहों पर नाम था, उन्हीं की क्लीनिंग हुई है। खास करके हमारी पार्टी तो ईवीएम की सबसे बड़ी समर्थक है। ईवीएम तो कभी नहीं हटना चाहिए। हम लोग बिहार में यह देख चुके हैं। महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इस विषय पर बात करने का मौका दिया।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमान, मैं केवल चुनाव सुधार पर ही बात करूँगा, कुछ सुझाव दूँगा और यह उम्मीद करूँगा कि गवर्नमेंट आगे चलकर पीपल्स रिप्रेज़ेंटेशन ऐक्ट में या जिस तरह से भी उचित समझती हो, संशोधन करे, जिससे लोगों के मन में चुनाव को लेकर किसी तरह की दुविधा न हो।

महोदय, मेरा पहला सुझाव यह है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन के कम्पोज़िशन के बारे में संशोधन किया गया, चीफ जस्टिस को हटाकर उसकी जगह एक मिनिस्टर को लाया गया, इसमें आपकी नीयत ठीक हो या न हो, शायद नीयत बिल्कुल ठीक हो, लेकिन जनता में यह संदेश गया कि यह इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को खत्म करने का एक प्रयास है। इसलिए

मेरा अनुरोध है कि इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट की जो पहले व्यवस्था थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ़ अपोज़िशन लोकसभा और चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया हुआ करते थे, उसी व्यवस्था को फिर से लाया जाना चाहिए।

दूसरा सुझाव, जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति धर्म, जाति या अन्य किसी प्रक्रिया से हटकर निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। मैं आपको यह बता रहा हूं कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में भी कुछ उपचुनाव हुए। इसे इलेक्शन कमिशन की जानकारी में भी लाया गया। *

श्री उपसभापति: डाक्टर साहब, प्लीज़ आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बोलें। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादव: *

श्री उपसभापति: डाक्टर साहब, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पर ही बोलिए। वही बात रिकॉर्ड पर जाएगी। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादव: सर, मैं इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं। मैं एसआईआर की बात नहीं कर रहा हूं। जब अप्वाइंटमेंट किए जाएं, तो बीएलओज़ की सारी सूची है, उनमें आप कंप्यूटर द्वारा, रेंडम सिस्टम से चुन लीजिए। ऐसा नहीं कि आप यह करें कि इसको छोड़ दीजिए और उसको लगा दीजिए। Representation of the People Act में है कि वोटर को बूथ तक लाना या उसको रिश्वत देना, यह करप्ट प्रैक्टिस है। अगर यह सिद्ध हो जाता है, तो चुनाव रद्द हो जाता है। हम लोगों ने नहीं देखा कि क्या हुआ? रेल में लोग कैसे आ रहे थे? आते हुए भी देखा कि वे कितने प्रसन्न थे और जाते हुए भी देखा कि इन लोगों को कितनी गालियां पड़ रही थीं। यह सब ने देखा है। अगर टीएन शेषन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे होते, * इस तरीके से सत्ता में 100 साल बने रहिए, लेकिन जनता की निगाह में तो गिर ही जाते हैं। ...(**व्यवधान**)...

सर, पहले एक व्यवस्था थी और यह व्यवस्था शेषन ने की थी कि जब वोट पड़ता था, वोट वाले दिन बैलट पेपर को लेकर जो गाड़ी जाती थी, तो पोलिटिकल पार्टी के लोगों को सूची दी जाती थी कि इस बूथ से लेकर इस बूथ तक बैलेट बॉक्स को ले जाने वाली गाड़ी का नम्बर यह होगा और उसके पीछे पोलिटिकल पार्टी के आदमी मोटरसाइकिल या किसी अन्य तरह से स्ट्रांग रूम तक जा सकते हैं। जब स्ट्रांग रूम में जब ईवीएम या बैलेट बॉक्स रखे जाते थे, तो सारे एजेंट्स या कैंडिडेट्स की उपस्थिति में पहले स्ट्रांग रूम को दिखाया जाता था और उसके बाद उसमें सील लगाई जाती थी। अब वह प्रक्रिया इस तरह की नहीं रह गई है, जबकि वही होनी चाहिए थी।

[**उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा)** *पीठासीन हुए।*]

दूसरे, जो खाली ईवीएम हैं, उनको उस परिसर में नहीं रखा जाना चाहिए, जहां पर स्ट्रांग रूम हो। यह इलेक्शन कमीशन के निर्देश भी हैं। इसके बावजूद ऐसा होता है और वहां झगड़ा होता

* Not recorded.

है। बताइए कि बनारस में झगड़ा हुआ था या नहीं हुआ था? कई जगह झगड़ा हुआ। हालांकि वे ईवीएम मशीन्स खाली थीं, लेकिन लोगों के मन में संदेह होता है कि ये ईवीएम मशीनें कहां जा रही हैं, इसको कहां ले ला रहे हैं। स्पष्ट निर्देश हैं, तो उनका पालन होना चाहिए कि जिस परिसर, जिस premises में स्ट्रांग रूम है, वोट की ईवीएम रखी जा रही है, उस परिसर में खाली ईवीएम नहीं रखी जानी चाहिए।

सर, कानून में एक और व्यवस्था करनी चाहिए। यह सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि यह केवल हमारे लिए है। किसी राज्य में आप जीत जाते हैं, तो किसी राज्य में हार भी जाते हैं। जिलों में जो अधिकारी पोस्ट होते हैं, यह उससे संबंधित है। चुनाव आने से कुछ दिन पहले बड़े पैमाने पर उनको हटा कर दूसरे अधिकारी पोस्ट किए जाते हैं और अधिकारी पोस्ट करने का अधिकार वहां की सरकार को होता है। यह मेरा सुझाव है कि इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि चुनाव होने से चार महीने पहले तक चुनाव की दृष्टि से जो अधिकारी पोस्ट किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन उन सबको हटाए और इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से उन जिलों में नई पोस्टिंग करे।

यह जो प्रक्रिया अभी चल रही है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी कभी-कभी कुछ लोग आत्मघाती गोल भी करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोगों के लिए हम डिटेंशन कैंप बनवाएंगे, तो जो लोग सुस्त बैठे थे, उन्होंने भी अपने सब फॉर्म भर कर वोट बनवा लिए। अब इनको यह लगा कि हमारे पूरे वोट नहीं बन पाए और ये सब विपक्ष के वोट बन गए। अब आप देखिए, इस प्रक्रिया में मंत्री और मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है। यह इलेक्शन कमीशन, बीएलओ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच की बात है। इसके बाद मंत्री भेजे जाते हैं। सब जानते हैं कि अधिकारियों से कहा जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, अब आप यह करो। अब सिस्टम यह होने वाला है कि जो कैटेगरी-सी में वोट्स हैं, उनको as such कैटेगरी-ए में कर दिया जाए, जिसमें कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। इसलिए जो पारदर्शी तरीका है, उसके लिए आपको कोई न कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, वरना आप पर हमेशा ये आरोप लगते ही रहेंगे।

आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस देश के लगभग 60 परसेंट लोग आपके पक्ष में नहीं हैं, सरकार भले ही आपकी हो और ...(**व्यवधान**)... वे सब ईवीएम के खिलाफ हैं। इसलिए जनमत की इच्छा का ध्यान रखते हुए लोग जो मांग कर रहे हैं, आप उस पर विचार कीजिए। यहां लोग दुनिया भर के उदाहरण दे रहे हैं। अब यह सही बात भी है। आपके व्हाट्सऐप में, कॉलिंग ऐप में, मैसेजेज़ में जब आप यह कर सकते हैं कि यह एक घंटे में डिलीट हो जाए, तो यह हो जाता है कि नहीं! यह एक महीने बना रहे, फिर डिलीट हो जाए, तो यह हो जाता है। इसलिए क्या यह नहीं हो सकता है कि 50 वोट पड़ने के बाद जो वोट पड़ेगा, उसका हर दूसरा वोट कमल में ही चला जाएगा? Is it not possible? It is possible. ...(**समय की घंटी**)... इसीलिए ईवीएम जैसी मशीन दुनिया भर में कहीं यूज़ नहीं की जाती है। यह एकाध पिछड़े देश में यूज़ की जाती है और हिन्दुस्तान में की जाती है। जब जनता इसके खिलाफ है, तो आप तो जनता की सरकार हैं! सरकार तो जनता की होती है। इसलिए लोकतंत्र में जनमत का आदर कीजिए और ईवीएम को हटा कर पुनः बैलट पेपर से चुनाव कराने की कोशिश कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Shri Praful Patel — not present. Shri Gurvinder Singh Oberoi. Congratulations! This is your maiden speech.

SHRI GURWINDER SINGH OBEROI (Jammu and Kashmir): Hon. Vice-Chairman, Sir, and respected Members, I rise today with humility and gratitude to my party leadership, Dr. Farooq Abdulla and hon. Chief Minister, Shri Omar Abdullah, my party colleagues and the people of Jammu & Kashmir, whom I represent in this House.

Sir, I am the first Kashmiri Sikh to have come to the Rajya Sabha. That speaks volumes of the secularism of my Party, my Party leadership and the people of Jammu and Kashmir. In Jammu and Kashmir, our faiths may be different, our religions may be different, but it is humanity and brotherhood that bind us together.

Sir, I express my strong reservations on the so called SIR-electoral reforms. I say 'so-called' because what is being presented as reforms is actually restructuring democracy to suit the people in power. The Government tells us that these reforms are necessary to clean the electoral system. But the reality is different. There is no national debate; no expert Commission and draft prepared in secrecy is brought here for a hurried approval. This is how electoral reforms are done. This is how political engineering is done. If this electoral reforms become law, the implications will be dangerous and far-reaching. The Election Commission risks being weakened, centralized and placed under indirect executive influence. Provisions of funding, technology and campaign regulations will hit small and regional parties like us. Rapid digitisation of key electoral process without independent audit raises the fear of manipulations, surveillance and targeting. Reforms without consensus do not strengthen democracy. They fracture the very confidence in the very process that elects the Governments. Therefore, this exercise has, unfortunately, raised serious concerns for decades. Electoral rolls were revised with integrity, transparency and fairness. Institutions were respected and processes were sacrosanct. But, today, we are forced to ask: Are these institutions being compromised? Are age-old procedures being questioned only to create confusion and delay? Is the trust between the people and the system being weakened deliberately? This is not about names on a list; this is not about the soul, this is about the soul of our democracy. If electoral rolls are manipulated, democracy itself is manipulated. If institutions bend, the will of the people breaks. Let us be clear. Many years from now, many of us may not be here, but the people of the great nation will remember only one thing, who stood with the Constitution and who stood against it. Our forefathers conceived a Constitution so beautiful, so inclusive, that no matter whether we come from Kanyakumari or

Kashmir, we all were treated equally. That was their vision; this is our responsibility. Today, one party is in power, tomorrow another will be; Governments change, the nation remains. But the question history will ask is simple: When the foundations were shaken, who defended the Republic? We must say this loudly and clearly, the SIR process inspires suspicion. Let those who think electoral processes can be twisted, know that the voter may be silent, but the voter is never helpless. Those who try to erase the names from rolls, understand, you cannot erase the people's will, you cannot delete democracy.* *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, it is your maiden speech, but let us stick to the point. *...(Interruptions)...*

SHRI GURWINDER SINGH OBEROI:* *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please speak on the Electoral Reforms. *...(Interruptions)...* It has to be on the Electoral Reforms. *...(Interruptions)...*

SHRI GURWINDER SINGH OBEROI:* *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): It has to be on the Electoral Reforms. *...(Interruptions)...*

SHRI GURWINDER SINGH OBEROI: Sir, the National Conference stands for constitutional, peaceful and democratic engagement. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Maiden speech does not mean that you can speak anything. *...(Interruptions)...*

SHRI GURWINDER SINGH OBEROI: * *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Anything that is not on the Election Reforms will not go on record. *...(Interruptions)...*

SHRI GURWINDER SINGH OBEROI: Development, jobs and peace are inseparable from political rights. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please sit down. *...(Interruptions)...*

---

* Not recorded.

Contents Page

SHRI GURWINDER SINGH OBEROI: The progress comes only when the governance is accountable, inclusive and democratic. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please sit down. Hon. Member, anything that is not on the Election Reforms will not go on record. I do understand that it is your maiden speech. Please sit down.

SHRI GURWINDER SINGH OBEROI: *. *...(Interruptions)...* आप सुनने की क्षमता रखिए। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please sit down. I am giving the ruling. *...(Interruptions)...* I am sorry; anything that is not part of the Election Reforms will not go on record. *...(Interruptions)...*

SHRI GURWINDER SINGH OBEROI: *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I am sorry; I have will have to move on then. Though it is your maiden speech, I will have to move on because you are not speaking on the topic. *...(Interruptions)...*

SHRI GURWINDER SINGH OBEROI:* *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): He is not speaking on the topic. Rule 110 applies. Please come back on the Election Reforms. *...(Interruptions)...*

श्री गुरविंदर सिंह ओबेरॉय : सर,

"जम्हूरियत की राह में सोच नजर से मिलनी चाहिए,
हुकूमत बदलती रहती है वतन से वफा रहनी चाहिए।"

जय हिन्द! जय जम्मू-कश्मीर!

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri Milind Murli Deora.

श्री मिलिंद मुरली देवरा (महाराष्ट्र): सर, सबसे पहले मुझे इस बात पर प्रसन्नता हो रही है कि the topic has moved and has been elevated beyond SIR to the larger agenda of electoral reforms. Listening to the debate over the last few hours and last week, even in the Lok Sabha, हर एक की अलग-अलग राय होती है कि हमारे लोकतंत्र को हम किस प्रकार से अधिक मजबूत बना सकते हैं। But, one thing is clear. Somebody thinks that there are imperfections in our democracy, in our electoral system. उन imperfections के बावजूद

---

* Not recorded.

आज भारतीयों को इस बात पर बहुत गर्व है कि हम न केवल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बल्कि हम सबसे vibrant लोकतंत्र भी हैं। And, in a nation that is as diverse as ours, we are, for every Government, State or Central, still able to uphold the fundamental democratic promise that every five years, there is a smooth transition of power. This is something which we must keep in mind across all parties, regardless of which party or ideology we belong to, that this is not something that can be said even of western nations today. जहाँ तक इलेक्शन कमीशन, स्टेट या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की बात है, I would like to make one point which is slightly different. The health and the efficacy of the Election Commissions are directly correlated to the health and efficacy of the political parties. I would like to highlight a few examples. जब electoral rolls revise हो रहे हैं, लीगली यह इलेक्शन कमिशन का काम है, लेकिन practically, this is also the job of political parties. Political parties also mobilise their base. हम भी अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि लोगों को रजिस्टर करवा दो। This is also a power given to all the political parties by the Constitution. We also verify names. We also ensure that our bases are not excluded. हम सभी ने मिसिंग नेम्स और डुप्लीकेट वोटर्स के मामले में अपने-अपने राज्य में, अपने-अपने एरियाज में देखा। सर, हमारे खुद की constituency, साउथ मुंबई, जो एक प्रकार से भारत का सबसे विकसित निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ ऐसे बूथ्स हैं, जहाँ 95 परसेंट वोट्स विपक्ष को मिलते हैं और हमने देखा है कि उन बूथ्स में ऑलमोस्ट 3 टू 5 परसेंट जो वोटर्स हैं, वे decease हो गए हैं। उनका निधन हो चुका है and still they are on the voter rolls. इसका साफ मतलब है कि voter list revisions कभी भी केवल एक पार्टी को फायदा नहीं पहुँचाता है। Another very important point, which I must highlight ...*(Time bell rings)*... Sir, I have got some time from the BJP.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Muruganji, have you given some time to the hon. Member from your Party?

SHRI MILIND MURLI DEORA: Sir, I will take only a few minutes. The other point, which I must make, is about one thing, which is of extreme concern across the House. आज मैं मुम्बई का उदाहरण दे सकता हूँ, जहाँ ऐसे बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जो हमारे electoral rolls पर आ चुके हैं। कुछ ही समय पहले मुंबई में सैफ अली खान के ऊपर अटैक करने के accused हैं, उनको illegal Bangladeshi immigrant होने की बात हमारे लिए एक reminder है कि neighbourhood instability threatens not only national security but also electoral integrity. This is something, which the entire House must take very seriously. The second point is how the efficacy of Election Commission is directly correlated to the efficacy of political parties. Every Party has the ability to appoint polling agents, who sit in the booth on election day. They cross-check electoral rolls and highlight any irregularities. Sir, if a party does not have booth-level network, if a

party is disorganized, why should we disqualify and punish the parties that are better organized? This is the classic case of a bad carpenter blaming his tools.

Let us see the third way that the Election Commission is directly correlated to the health of parties. Counting agents are deployed on the counting day. Counting agents do the same thing. They monitor the entire process and therefore, इलेक्शन कमीशन की effectiveness सीधे political parties' की हेल्थ से जुड़ी हुई है।

I would like to make one last point, before I conclude. हमारे संजय भाई ने बिहार के बारे में बातें कीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में ऐसे बहुत सारे mass vote suppression हुआ था, लेकिन can anyone seriously believe कि बिहार जैसे politically sensitive, politically aware राज्य में, जहाँ अभी-अभी चुनाव संपन्न हुए, the Bihar voters will stay silent if their vote was being stolen because of SIR. संजय भाई ने कहा कि एक भी बूथ में रिपोलिंग नहीं हुई, एक भी जगह पर violence नहीं हुआ। खासकर, मैं आपके माध्यम से संजय भाई को बताना चाहता हूँ कि बिहार के इसी इलेक्शन में दो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स बिहार में पोस्टेड थे। One was from Indonesia and the other was from South Africa. The Commissioner of Indonesia's General Election Commission, Mr. Idham Holik, said, "My experience in Bihar has been very inspiring. Everyone could see that the elections were free and fair. India, truly, is the land of democracy." Similarly, Mashudubele Sedula Mamabolo, the Election Commissioner of the South Africa Election Commission, said, "The elections in Bihar were amazing. We learnt so many things that we can share in South Africa. The digital system used in India was par ahead of South Africa's paper based process."

Sir, before concluding, I would like to make a few points. These are four simple questions before the entire House. मैं सभी राजनीतिक दलों के सामने चार सवाल रखना चाहता हूँ। मेरे से पहले जम्मू-कश्मीर के माननीय सांसद बोल रहे थे, जो अपनी मेडन स्पीच दे रहे थे। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने ने जो बात कही, मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि MPs and Parties come and go but Parliament and our democracy must remain there. Question number 1. It is not directed towards any particular political party. Some may have guilty conscience. That is a separate issue. After 78 years of our Independence, we call ourselves the largest democracy, is it healthy that कई political parties डेमोक्रेसी की बजाय monarchies की तरह ऑपरेट करती हैं?

Question number 2. बहुत सारे राज्यों में cash transfers ने महिलाओं और उनकी फैमिलीज़ को empower किया है। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे सकता हूँ। इसमें हमने आम महिलाओं के हाथों को मजबूत किया है। ...(**समय की घंटी**)... But can we try to link such

support to entrepreneurial activities as a saying, if you give a man a fish, you feed him for the day. You teach him how to fish, he can feed his family.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI MILIND MURLI DEORA: Question Number 3. Electoral Bonds were an attempt to curb black money in politics. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह unconstitutional है। क्या हम एक नया transparent model नहीं बना सकते हैं? Question number 4. It is a point which nobody has spoken about. There are 1.5 crore Non-Resident Indians who live overseas. Despite their size, the fact that they have not given up their Indian passports, when they could have done that in the country they reside in and, they send 140 billion US dollars every year, making India the world's largest recipient of remittances, they remain excluded from voting! क्या उन्हें भारत के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहिए?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. I have to call the next speaker.

SHRI MILIND MURLI DEORA: Sir, in the end, I would say that the SIR is a timely process. It is essential also. If implemented transparently, I am sure that every living, every eligible Indian will get to vote and contribute towards healthy democracy. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now, Shri Samik Bhattacharya.

3.00 P.M.

श्री सामिक भट्टाचार्य (पश्चिमी बंगाल): सर, EVM या बैलट पेपर - कभी खुशी, कभी गम, यह चलता ही रहेगा। मैं पश्चिमी बंगाल से आता हूं। Fortunately or unfortunately, we have a border with Bangladesh which is more than 2200 kilometres. Basically, I do believe that it is not possible for any agency, any force, to control illegal immigration. Unless and until there is a State Government and Central Government joint operation, mass awareness and political consensus, we cannot stop this kind of illegal immigration. Sir, I want to quote some Jyoti Basu statement. बसु जी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। In mid 80s, उन्होंने बोला था कि जो घुसपैठ की समस्या है, it is an international phenomenon. From weaker economy to stronger economy, people do come. What we can do, एक मानविक रूप से इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। But in 1999, on 28th January, in a meeting with Sheikh Hasina in Kolkata, Jyoti Basu said, "Infiltration is taking place and illegal

settlers from across the border are a major headache of many Indian cities. West Bengal is bearing the brunt of the infiltration and the State's economy is being adversely affected. The infiltrators should be pushed back after discussions with Dhaka." And now they are speaking against pushing them back. जिस पार्टी के नेता किसी दिन infiltration के खिलाफ बातें कर रहे थे, आज उसी पार्टी के नेता यहां आकर दूसरी बातें बोल रहे हैं। कारण एक टिपिकल माइंडसेट है। वंदे मातरम् के ऊपर चर्चा हुई। थोड़ी देर पहले हमने CPI और CPIM के सदस्यों की बात सुनी। उनका **अब** divorce **हो गया है**, लेकिन पहले एक ही थे। उसी के नेता मुज़फ्फर अहमद, the founder member of the Communist Party, in his autobiography wrote, "The Anandamath, Bankim's novel, was full of communal hatred, from beginning to end, while the song, Vande Mataram, was unacceptable to a Muslim boy, *...(Interruptions)...* a monotheist by upbringing *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): They are asking you to authenticate it. Will you authenticate it? *...(Interruptions)...* SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, Indrajit Gupta *...(Interruptions)...*

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I have a point of order. *...(Interruptions)...* THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): What is the rule? *...(Interruptions)...*

SHRI SANDOSH KUMAR P: Rule 240 *...(Interruptions)...* THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): One minute, Samik ji. He is on a point of order.

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: No, no, Sir.I won't allow him *...(Interruptions)...* सर, कौन सा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, किस चीज़ का प्वाइंट ऑफ ऑर्डर? ...(**व्यवधान**)... सर, मेरा बोलने का समय नहीं जाना चाहिए।

SHRI SANDOSH KUMAR P: I can raise it through Rule 239 also because through Chairman, I can ask questions to him.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No, you cannot. Right at this stage, he is speaking. *...(Interruptions) ...*

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, under Rule 240...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No, no; I am not allowing it. That is not the rule right now *...(Interruptions)...* I am not allowing a question and answer right now when the debate is going on *...(Interruptions)...* No, no. I cannot allow any intervention *...(Interruptions)...*

Contents Page

श्री सामिक भट्टाचार्य : सर, इंद्रजीत गुप्ता, सीपीआई लीडर ...(**व्यवधान**)... हम आपके नेता की बात कर रहे हैं, आप सुनिए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): What is the point of order? *...(Interruptions)...*

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, time please. *...(Interruptions)...*

SHRI SANDOSH KUMAR P: I can challenge him. Is this his autobiography?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): He will put it on record. *...(Interruptions)...*

श्री सामिक भट्टाचार्य : सर, आप समय देखिए। ऐसे नहीं चल सकता।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): He will authenticate and place it on record. ...(Interruptions)... Please continue. *...(Interruptions)...*

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, Indrajit Gupta, CPI leader and Union Minister of Home Affairs during 1996-98, on 6th May, 1997, on the floor of the Lok Sabha, gave an estimation that the total number of illegal Bangladeshi immigrants across India was over one crore. His specific figures were on key border States. *...(Interruptions)...*

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, I have a point of order. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Give him a minute to speak. I will come to your point of order.

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: West Bengal — 54 Lakhs, Assam — 44 lakhs. Shri Sriprakash Jaiswal, MoS, Home Affairs under the UPA Government, admitted in the Parliament in July, 2004 that there were 1.2 crore illegal immigrants in India.

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: This is Dr. Manmohan Singh on 30th September 2005. *...(Interruptions)...* He says, 'India is opposed to all illegal immigration.'

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Let me just take up the hon. Member's point of order and then I will come back to you. *...(Interruptions)...*

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Just one minute, Sir. *...(Interruptions)...* It is basically connected with electoral reforms? *...(**व्यवधान**)...

---
* Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I will just take up his point of order and then I will come back to you. I am pausing your time.

श्री सामिक भट्टाचार्य: किसके ऊपर बात करेंगे? ...(**व्यवधान**)... We are compromising our national security. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I am just taking up the point of order. ...*(Interruptions)*... Just give me a minute. ...*(Interruptions)*...

श्री सामिक भट्टाचार्य: धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला नहीं है, जब जिसका मन करे, कोई भी घुस जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Last point of order. Very quickly tell me the rule number. ...*(Interruptions)*... Please sit down.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, I am on Rule No.240. ...*(Interruptions)*... Sir, tell the hon. Member to stay quiet so that I can read it out. ...*(Interruptions)*... My limited submission here is that the debate is not about immigration. It is about electoral reforms. ...*(Interruptions)*... This is not a platform to give an election speech. Let him speak on electoral reforms. ...*(Interruptions)*... And please ask him to authenticate what he is saying because this is not free for all. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Samik *ji*, very quickly, two points. One, you will place it on record for authentication. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Definitely, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Second is that whatever you are saying on illegal immigration while speaking on electoral reforms, you can relate to that as well. That is all. Please continue.

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, I do believe that it is totally related. ...*(Interruptions)*... Sir, Dr. Manmohan Singh says this on 30th September 2005, 'India is opposed to all illegal immigration into the country, be it from Bangladesh or elsewhere. The illegal immigration should not be encouraged.' यह हमारे देश के प्रधान मंत्री बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No crosstalk please. ...*(Interruptions)*...

श्री सामिक भट्टाचार्य: सर, मैं एक घटना के बारे में और बताना चाहता हूं। *...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Whatever should not be there, will not be there as per the Rules of the Parliament. ...*(Interruptions)*... I am giving my ruling. Please continue. ...*(Interruptions)*...

श्री सामिक भट्टाचार्य: जब पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट बांग्लादेशियों से भरी हुई है, तो उन बांग्लादेशियों को लेकर हम सीपीआई (एम) को चुनाव करने नहीं देंगे। ...(**व्यवधान**)... She was in tears by that time. And she threw all the papers towards Speaker's desk. ...*(Interruptions)*... सारे देश ने यह नजरिया देखा है कि क्या हुआ था? ...(**व्यवधान**)... ममती जी ने जो किया, उस समय and we expressed our solidarity with Ms. Mamata Banerjee. ...(**व्यवधान**)... जो करना चाहिए था। ...(**व्यवधान**)... आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? जो बात ममता जी बोल रही हैं, वही बात हम बोल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... On 4th August 2005, what Ms. Mamata Banerjee said वही बात आज हम दोहरा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को आप घुसपैठियों से मुक्त करो। जो लोग किसी समय यह देश छोड़कर चले गए थे, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। &1 "We took Sylhet by referendum, we will take Assam by the force of the stick (violence)". वही लोग हिंदुस्तान में वापस आ रहे हैं और we are in the same fraternity. हमारे पश्चिम बंगाल का एक नेता बोल रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग एक ही जगह से आ रहे हैं। इसी पार्टी के एक नेता बोल रहे हैं कि एक भी बांग्लादेशी का नाम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं रहना चाहिए। It is very much in the public domain.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please address the Chair. Anything that is not authenticated will not go on record. I am giving my ruling. Anything not authenticated will not go on record. Please continue.

श्री सामिक भट्टाचार्य: सर, अब तक 64 लाख ऐसे वोटर्स के नाम पाए गए हैं, जिसके पिता और पुत्र की एज का डिफरेंस 15 साल का है। इससे मुक्त होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक constitutional body है। It is a constitutional authority. SIR is going on. You have to accept it. आज 12 राज्यों में एसआईआर हो रही है, लेकिन एक ही राज्य पश्चिमी बंगाल में हंगामा हो रहा है। ...(**व्यवधान**)... यह हंगामा क्यों हो रहा है? इस वोटर लिस्ट में सभी भाई-बहनों की शादी हो गई, इसका सुधार होना चाहिए। इसके खिलाफ आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? सर, लैंड जिहाद नहीं ...(**व्यवधान**)... लैंड जिहाद, लव जिहाद किसकी भाषा थी? Coinage किसने निकाला था? कोई बीजेपी का नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक नेता था। आज जो लोग यहाँ बात कर रहे हैं - हम तो बोल रहे हैं, अभी तिवारी जी जैसे दिग्गज नेता वहाँ बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं? आप एक बार जाइए। आप मेहरबानी करके मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी जी के घर पर जाकर चाय पीजिए। अधीर रंजन चौधरी जी का क्या स्टेटमेंट है? ...(**व्यवधान**)...

---

* Not recorded.

& English translation of the original speech delivered in Bengali.

ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, हम काँग्रेसियों की बात कर रहे हैं। आप लोग वहाँ जाइए और देखकर आइए। जयराम रमेश जी कहाँ चले गए? हम जयराम रमेश जी को ढूँढ़ रहे हैं, I am highly grateful to him. In the year 2009, जयराम जी ने इंडियन बोटेनिकल गार्डन का नाम आचार्य जगदीशचंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन रख दिया था। अब आ रही है पश्चिमी बंगाल की जनता जयराम रमेश जी के पास। जयराम रमेश जी से बोलिए कि एक बार आप भी तो आइए देखने के लिए कि कैसे उसके भीतर घुसपैठिए घुस गए, मस्ज़िद बन गई, इलेक्ट्रिसिटी भी पहुँच गई। वह तस्वीर पब्लिक डोमेन में है। पानी का कनेक्शन किसने दिया - हावड़ा कॉर्पोरेशन। इंस्टीट्यूशन के लोग कितनी बार थाने में गए हैं? कोई एक्शन नहीं लिया है। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्युक्लियर फिजिक्स, जिसके साथ सीधा संबंध था, ...(**व्यवधान**)... जो उसके साथ है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please refer to election reforms. ...*(Interruptions)* ...

श्री सामिक भट्टाचार्य: उस जगह पर उनकी बैठक हुई है। उसका नाम वोटर लिस्ट से निकालना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I am directing him to speak on Electoral Reforms. Yes, please. ...*(Interruptions)* ...

श्री सामिक भट्टाचार्य: किसी भी हाल में रोहिंग्या से मुक्त करना चाहिए, ...(**व्यवधान**)... बंगलादेशी घुसपैठियों को छोड़कर वोटर लिस्ट होनी चाहिए। कोई आवाज़ उठाने की बात नहीं है। आप सैटेलाइट पिक्चर से देखिए। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please, please. ...*(Interruptions)*... Please speak on the topic. ...*(Interruptions)* ...

श्री सामिक भट्टाचार्य: आप नामखाना, कोच्चादा, पाथरप्रतिबा जाकर देखकर आइए। वहाँ लोगों को बिठाकर जमीन घेर रहे हैं। वहाँ से पूरा मैंग्रोव डिस्ट्राय हो गया है। आज इन्होंने पर्यावरण के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। ये जो पार्टियाँ हैं, ये सभी पश्चिमी बंगाल की आम जनता नहीं, सिर्फ लोकतंत्र के खिलाफ नहीं, बल्कि खुले आम चुनाव आयोग के खिलाफ बयान दे रहे हैं। खुले आम पत्रकार के खिलाफ ...(**व्यवधान**)... बोल रहे हैं। दोला जी, आप बात कर रही हैं।! दो दिन पहले उन्होंने बोला कि भारत की जो सारी मीडिया है, वह बिक गई है। क्या इन लोगों से लोकतंत्र की बातें सीखनी पड़ेंगी? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Electoral Reforms please! ...*(Interruptions)*...

श्री सामिक भट्टाचार्य: हमारे जो सीपीआई के भाई उधर बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता को लास्ट चुनाव में जिंदा जला दिया। ...(**व्यवधान**)... आज जाएगा बात करके। ...(**व्यवधान**)... जॉन ब्रिटास भाई कहाँ गए? वे चले गए। हमारा कहना है पोलिटिकल वॉयलेंस...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): You have three-and-a-half minutes. Please focus on Electoral Reforms. ...*(Interruptions)*...

श्री सामिक भट्टाचार्य: सर, एक समय था, जब पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पहले ही इंस्टेंट दे देते थे कि पश्चिमी बंगाल में कुछ नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please. ...*(Interruptions)*... I have directed him to do that. ...*(Interruptions)*...

श्री सामिक भट्टाचार्य: बिहार का चुनाव देखकर आइए, उत्तर प्रदेश का चुनाव देखकर आइए। ...(**व्यवधान**)... आज पश्चिमी बंगाल में क्या हो रहा है?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): One minute! ...*(Interruptions)*... There is a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री सामिक भट्टाचार्य : पश्चिमी बंगाल में लोकतंत्र के नाम पर कौन-से चुनाव चल रहे हैं? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): There is a point of order. ...*(Interruptions)*... What is the point of order? Under which rule? ...*(Interruptions)*...

SHRI SAKET GOKHLE: Rule 238A -- Procedure regarding allegations against Members ...*(Interruptions)*... Sir, the request here is: For the last 14 minutes that he has been speaking — this is the second time I am raising a point of order on a different rule altogether — he has been making unsubstantiated statements; he is making allegations against Members. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I am giving the ruling.

SHRI SAKET GOKHLE: Sir, you have the right to stop him. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I am giving the ruling that anything which is not authenticated will not go on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAKET GOKHLE: Sir, you can ask him to discontinue his speech because it is an election speech that he is giving here. ...*(Interruptions)*.... It is not related to the subject. ...*(Interruptions)*... He is making wild allegations. ...*(Interruptions)*... He is speaking untruth... ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I have taken your point. ...*(Interruptions)*... There is another point of order.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Rule 258. When a Member is speaking, deliberately, he is being disrupted multiple times ...*(Interruptions)*... So, he may be allowed only once. Point of order should be allowed only once. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Understood. Mr. Bhattacharya, please continue. ...*(Interruptions)*...

श्री सामिक भट्टाचार्य: सर, आप समय देखिएगा। ...(**व्यवधान**)... वे नहीं हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sure, I will give you time. ...*(Interruptions)*...

श्री सामिक भट्टाचार्य: महोदय, चुनाव आयोग एक प्रक्रिया चला रहा है। इसे लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, यह सब जानते हैं। हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव से पहले ऐसा कौन-सा एसआईआर था? बिहार में चुनाव के बाद कितने लोगों ने कम्प्लेंट दर्ज की? ...(**व्यवधान**)... यही उनकी स्थिति है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please, I cannot keep on interrupting him. He is speaking on the election reforms. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, one of the senior Members of the other House and the then Leader of the Opposition, Adhir Ranjan Chowdhury, was physically manhandled in his own constituency during the election. ...*(Interruptions)*... सर, पश्चिम बंगाल की यह स्थिति है! ...(**व्यवधान**)... वोट के नाम पर यह तमाशा चल रहा है। ...(**व्यवधान**)... सर, मुझे एक पिता का नाम मिल गया है। एक नहीं, बल्कि ऐसे हज़ारों केसेज़ हैं। नॉर्थ 24 परगना जिले के एक व्यक्ति की दस संतान मुर्शिदाबाद में हैं। आप सोचिए, पिता रहते हैं नॉर्थ 24 परगना जिले में, दस बेटे रहते हैं मुर्शिदाबाद में और पाँच बेटियाँ मोहल्ले में रह रही हैं! इसमें सुधार होना चाहिए। अगर इस बारे में बातें करने पर ये बोलेंगे कि किसी को कोई जरूरत नहीं है, पश्चिम बंगाल में एसआईआर नहीं करने देंगे, लेकिन खुद ने फ़ॉर्म भर दिया! पश्चिम बंगाल में एसआईआर करना संभव नहीं है, बीजेपी दंगा चाहती है! क्या एसआईआर बीजेपी ऐसा कर रही है?

महोदय, दूसरे हाउस के एक नेता हैं। उन्हें तजुर्बा बहुत ज्यादा है। वे करीब-करीब छः बार सांसद रहे हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी थे, छः बार पार्टी भी बदल चुके हैं। अभी भी एक पार्टी में हैं। वे उस दिन अच्छे बोले थे। दादा को बाबू -- ठीक किया था। लेकिन हुआ क्या था, उनका कहना

क्या था - इसमें हल्ले की क्या बात है, it is a common phenomenon. एसआईआर तो होता है, इसे हो जाने दीजिए। लेकिन दूसरे लोग कुछ अलग बात बोल रहे हैं। आप एक कॉंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? आप खुद संविधान की शपथ लेकर एक पद पर बैठे हुए हैं। आप कैसे एक संवैधानिक संस्था को चैलेंज करते हैं? ...(**व्यवधान**)... यह हमारी बात है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Silent demographic invasion is on. ...*(Interruptions)*... सर, पश्चिम बंगाल को लेकर बात चल रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के सारे सीमावर्ती जिलों का जन-संतुलन बिगड़ गया है और वे वोटर लिस्ट में घुस गए हैं। ...(**व्यवधान**)... सर, झारखंड के साथ बांग्लादेश की कोई बॉर्डर नहीं है। ...(**व्यवधान**)... आज सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि झारखंड और बिहार, सीमांचल और पूर्वांचल की डेमोग्राफी भी बदल रही है। ...(**व्यवधान**)... मुर्शिदाबाद को सेंटर बनाकर आज लोगों को झारखंड में भेजा जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... ...(**समय की घंटी**)... सर, दो मिनट चाहिए। I need only two minutes to conclude. सर, लॉ एंड ऑर्डर देखना तो राज्य का विषय है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। काम करते-करते आप किसी बीएलओ के हसबैंड को गोली मार देंगे! जिसने फॉल्स डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, तो आप उसे गोली मार देंगे! किसी ने प्यार में धोखा खाकर खुदकुशी कर ली, तो आप उसका कारण एसआईआर को बना देंगे? आपने एसआईआर के नाम पर डेथ सर्टिफ़िकेट कभी सुना है? अभी जो भी मर रहे हैं, चाहे सीकेडी की वजह से मरे हों, हार्ट अटैक की वजह से मरे हों, चाहे उसका cereberal हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई बहुत दिनों से कैंसर से पीड़ित है और मर गया, तो डेथ सर्टिफिकेट पर डॉक्टर्स एसआईआर लिख देते हैं। ...(**व्यवधान**)... क्या ऐसा चल सकता है? सर, हम सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... हम सभी को इस बारे में सोचना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... आज मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, पूर्वांचल और सीमांचल की स्थिति क्या हो गई है? ...(**व्यवधान**)... सर, आप बालासाहेब ठाकरे का "सामना" पढ़ लीजिए। ...(**व्यवधान**)... We cannot and will not accept this kind of silent demographic invasion on our country. ...*(Interruptions)*... यह बालासाहेब ठाकरे का कहना है। कॉंग्रेस के जितने भी नेता वहाँ बैठे हैं, हमने उनकी स्टेटमेंट पढ़ दी है। ...(**व्यवधान**)... यह कॉंग्रेस की स्टेटमेंट है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I would take your point of order. ...*(Interruptions)*... As soon as he ends, I would take your point of order. ...*(Interruptions)*... Please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्री सामिक भट्टाचार्य: कॉंग्रेस की स्टेटमेंट है - हम लोग बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर चुनाव नहीं होने देंगे। ...(**व्यवधान**)... भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. ...*(Interruptions)*... I would take your point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री सामिक भट्टाचार्य: भारत के ऊपर सिर्फ भारतीयों का अधिकार है। ...(**व्यवधान**)... भारत के ऊपर सिर्फ भारतीय मुसलमानों का अधिकार है। ...(**व्यवधान**)... भारतीय मुसलमान की रोटी छीनी जा रही है। ...(**व्यवधान**)... आप तमिलनाडु जाइए, वह नॉन-बीजेपी रूल्ड स्टेट है। ...(**व्यवधान**)... वहाँ पर कितने ही बंगालियों को हटाया गया। इसका कारण था कि वे बांग्लादेशी मुसलमान थे। ...(**व्यवधान**)... हम लोग, जो देसी लोग हैं, उनके साथ खड़े थे। ...(**व्यवधान**)... जो लोग उधर बैठकर साम्प्रदायिकता की बातें कर रहे हैं, एक बार कोविड काल देख लीजिए। तिरुपुर में, आरएसएस कैंप में सिर्फ हमारी कॉन्स्टीट्यूएंसी से डेढ़ हज़ार मुसलमान छः महीने तक रहे, उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। सर, मजहब के नाम पर हमारा देश टूट गया था। जो लोग किसी समय खड़े होकर बातें करते थे कि Minority has a right to self-determination. We want the right of self-determination, आज वही लोग देश में घुस रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्री सामिक भट्टाचार्य: जो उन्होंने किया,आज ये लोग वही कर रहे हैं, लेकिन यह होने नहीं देंगे। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. ...*(Interruptions)*...

श्री सामिक भट्टाचार्य: सब भारतीयों का इकट्ठा होना चाहिए। सब पोलिटिकल पार्टियों को...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. ...*(Interruptions)*... I will take your point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: India for Indians. Indian voter list is for Indians only. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: You have to accept it. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. ...*(Interruptions)*...

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: I cannot and will not compromise with my country's internal security. ...*(Interruptions)*... That is full and final. Thank you, Sir.

SHRI SANDOSH KUMAR P: I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I am taking the point of order. ...*(Interruptions)*... Then, I will come to you. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Point of order! What is the rule number? *...(Interruptions)...*

SHRI SANDOSH KUMAR P: I am on Rule No. 238; Rules to be Observed While Speaking. Sir, the hon. Member made a very derogatory, indecent remarks against the people of Bengal. *...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Okay! *...(Interruptions)...* What is your point? *...(Interruptions)...*

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, *...(Interruptions)...* * ...(**व्यवधान**)... It is derogatory and an insult to the people of Bengal. *...(Interruptions)...* That must be expunged. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Okay. *...(Interruptions)...*

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Yes, Point of order! *...(Interruptions)...*

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, he has made sweeping remarks against Bengal. *...(Interruptions)...* I want all to be expunged. *...(Interruptions)...* Everything which is not related to Electoral Reforms should be expunged from his speech. *...(Interruptions)...* And, Sir, you have given him three minutes extra. When our speaker speaks, you should also give him three minutes extra.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I have instructions from his party to allow that. If your party allows you three minutes, I will be happy to do that.

SHRI MOHAMMED NADIMUL HAQUE: Sir, this is my submission to you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Noted. *...(Interruptions)...* Right! So, as far as both the points of order are concerned, my ruling is very clear. *...(Interruptions)...* Samik *Daa*, please. *...(Interruptions)...* My point is very clear. I am giving the ruling that we will examine it. If something should not be on record, which is not appropriate, will not be there. That is my ruling to both the points of order made. I hope, we have settled on that. We will move forward to the next speaker. Shri Digvijaya Singh.

---

* Not recorded.

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इलेक्टोरल रिफॉर्म पर माननीय अमित शाह जी ने लोक सभा में जो भाषण दिया, मैं वहीं से शुरू करूंगा और अंत भी वहीं पर करूंगा। राहुल जी के जितने भी सुझाव थे, जो उनके बिंदु थे, उनमें से एक का भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): You continue. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

श्री दिग्विजय सिंह: डिजिटल मशीन-रीडेबल पारदर्शी वोटर रोल होना चाहिए। इसमें क्या आपत्तिजनक था? यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ...(**व्यवधान**)... ईवीएम के आर्किटेक्चर का अब ट्रांसपेरेंट ऑडिट होना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है? इसका भी कोई जवाब नहीं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने और करने पर कोई जवाब नहीं। यहीं के एक माननीय भूतपूर्व संसद सदस्य ने एक साल में दिल्ली में वोट डाला और बिहार में भी वोट डाल दिया। ...(**व्यवधान**)... उस पर कोई जवाब नहीं। सीजेआई की चयन प्रक्रिया के बारे में कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन के मेम्बर्स की इम्यूनिटी के बिंदु पर कोई जवाब नहीं। सीसीटीवी फुटेज न देने का बहाना बना लिया, उस पर कोई जवाब नहीं। आखिर में, उन्होंने कहा कि मैंने भाषण देने से पहले एक रात को माननीय चुनाव आयोग से पूछा कि तुम्हारे पास कोई सुझाव आया कि नहीं आया? उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 2025 तक हमें न किसी पार्टी ने सुझाव दिया और न कोई प्रस्ताव आया। सर, मैं माननीय सभापति जी को 21 पत्रों की प्रति दे रहा हूं। Citizens' Commission on Elections के Justice Lokur के द्वारा चुनाव आयोग को 21 petitions दिए गए, उनका acknowledgement तक नहीं हुआ। मैंने खुद 23-24 सितंबर, 2023 को माननीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा, मैं उसकी प्रति भी यहां दे रहा हूं। आपकी इजाजत से मैं ये सारे पत्र, जो माननीय चुनाव आयोग को लिखे गए थे, उनकी प्रति दे रहा हूं। *माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं तो यहां तक कहता हूं कि इंडी एलायंस के सारे लोगों ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा, उसमें नीतीश कुमार जी के भी दस्तखत थे, झा साहब यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन समय देने के बजाय हम लोगों को पावती तक नहीं मिली। मैंने खुद वहां वह चिट्ठी पहुंचाई थी। * के चुनाव आयुक्त बनने के बाद ये सब काम चालू हुए हैं। नहीं तो, पहले तो जब भी हम समय मांगते थे, तो हमको चुनाव आयोग से कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सिर्फ चुनाव आयोग तक ही नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहा था, * माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम भारत में जो रास्ता देख रहे हैं, वह उसी तरफ इंगित करता है। आज पुतिन भी कहते हैं कि मैं चुनाव जीत कर आता हूं; नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन भी कहते हैं कि मैं चुनाव जीत कर आता हूं। उपसभाध्यक्ष जी, इसी प्रकार के चुनाव यहां हो रहे हैं। मुझे भी राजनीति में 50 साल हो गए, किसी भी चुनाव में किसी राजनीतिक दल का 94 परसेंट स्ट्राइक रेट कभी हमने तो देखा नहीं! यह कहां से हो गया!

अब वोटर लिस्ट के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए निष्पक्ष चुनाव होने के लिए फूलप्रूफ मतदाता सूची होनी चाहिए, इसमें किसी को आपत्ति

---

* Not recorded.

नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 324 भी यही जवाबदेही इलेक्शन कमीशन को देता है कि यह चुनाव आयोग की जवाबदेही है कि वह हर नागरिक का वोट मतदाता सूची में शामिल करे। अभी तक यही होता आया है। अभी तक तो बूथ लेवल ऑफिसर हमारे घर आता था, फॉर्म वह भरता था, हम नहीं भरते थे और वही हमारे नाम जोड़ता था। अब यह एसआईआर कहां से आ गया! हमसे नागरिकता का प्रश्न पूछा जा रहा है, हमारे बाप-दादा के बारे में पूछा जा रहा है कि मतदाता सूची में इनका नाम था कि नहीं था। हमारे कई ऐसे परिवार हैं, जिन्होंने मैट्रिकुलेशन नहीं किया, न उनके बाप ने किया, न दादा ने किया। उनसे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। क्या यह उसकी नागरिकता का चयन हो रहा है या मतदाता सूची बन रही है? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Just one minute! You referred to the name of a specific person, who is not a Member of this House.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Okay, fine.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I would just like to bring it to your notice. That is all.

श्री दिग्विजय सिंह: सर, पूर्व चुनाव आयुक्त। ...(**व्यवधान**)... इनके पहले के पूर्व चुनाव आयुक्त। Accepted, Sir.

सर, summery revision का जो issue है, मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता नहीं है। जब माननीय चुनाव आयोग एक साल में चार बार summery revision करता है, तो फिर SIR की आवश्यकता क्या है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि SIR का निर्णय किसने लिया, यह भी मालूम नहीं है। इसके लिए RTI Act के अंतर्गत 2 RTI applications लगे - 3095(1) और 3095(2). अंजलि भारद्वाज एक civil society activist हैं, उन्होंने RTI applications लगाईं। एक RTI application यह लगाई कि 2025 का SIR पूरे प्रांतों में जो कराया जा रहा है, उसके लिए फाइल पर कोई आदेश हुआ है या नहीं हुआ है। उस पर CPO, जोकि Election Commission का ऑफिसर होता है, उसका जवाब आया कि हमारे पास फाइल पर इस प्रकार का, SIR-2025 कराने का, कोई आदेश नहीं है। उनकी दूसरी application यह थी कि आपने बिहार में SIR कराने का जो निर्णय लिया, तो क्या उसमें आपने कोई आदेश किया है - तो फाइल पर कोई आदेश नहीं हुआ है।

महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अब वोट चोरी की बात है। वोट चोरी की बात सामने है। हम चारों तरफ देख ही रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कर्णाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र में अनेक प्रमाण दिए। अब यह भी एक चिन्ता का विषय है कि एक व्यक्ति के तीन-तीन, चार-चार जगहों पर, यहां तक कि 25-50 जगहों पर नाम जुड़े हुए हैं। आप बड़ी आसानी से, de-duplication software के उपयोग से, एक मिनट में सारे नाम पता लगा सकते हैं। लेकिन जब यह

बात सामने आई, * महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। एक चीज तो अभी यह हो रही है कि जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद वोटर लिस्ट उम्मीदवार को दी जाती है, लेकिन Presiding Officer को, जिस दिन वोटिंग होती है, उस दिन अलग लिस्ट दी जाती है, जिसको वोटर लिस्ट अलग मिलती है, जबकि उसके बीच में, उस पीरियड में, deletion और addition का अधिकार आपने क्यों दिया हुआ है? जिस दिन आपका Model Code of Conduct लगता है, उसी दिन उसको freeze कर देना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। आप Model Code of Conduct किसलिए करते हैं? * अब आप बताइए, नरेन्द्र मोदी जी, मैं उनका नाम तो ले सकता हूं? प्रधान मंत्री जी कर्णाटक में वोटर्स को कहते हैं - कर्णाटक के मतदाता भाइयो और बहनो, बजरंग बली का नाम लो और भाजपा का बटन दबा दो। पुरी साहब, यह Model Code of Conduct के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, आप बताइए? दूसरा, हर भाषण में मुसलमान शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान - क्या यह Model Code of Conduct के अंतर्गत नहीं आता? क्या यह the Representation of the People Act, के Sections 123 और 125 का उल्लंघन नहीं है? ये राजस्थान में पुलवामा के शहीदों के नाम से, युवकों से वोट मांग रहे हैं, लेकिन उनको तो नोटिस नहीं दिया गया! क्या यह पक्षपात नहीं है?

सर, महाराष्ट्र में दल-बदल हुआ। सामान्य तौर पर जब भी किसी पार्टी का विभाजन होता है, तो उस पार्टी के symbol को freeze कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर शिवसेना का चुनाव चिन्ह शिंदे जी को दे दिया और एनसीपी का चुनाव चिन्ह अजीत पवार साहब को दे दिया। * इसी प्रकार, जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा है, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह Direct Benefit Transfer योजना के बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। * माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि जो पार्टी से डिफेक्ट करके जाता है, उसको छः साल तक के लिए चुनाव लड़ने से रोका जाए।

मैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी बात करता हूँ। Unrecognized parties 2,763 हैं। क्या मजाक बना रखा है? Recognition पर कठोरता से काम करना चाहिए। सर, आज मनी पावर का जिस प्रकार से उपयोग हो रहा है, वह तो हद हो गई है। हमें असत्य बात कहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कौन-सा लोक सभा चुनाव 70 लाख रुपए में पूरा हो जाता है? * इस पर जो सीलिंग है, उसको हटाया जाना चाहिए। मैं तो यह भी कहता हूँ कि इस पर सुपर रिच टैक्स लगाए जाने की आवश्यकता है। जहाँ तक नेशनल इलेक्शन फंड की बात है, तो उसका, जितना परसेंटेज ऑफ वोट जिसके पास आए, उसके हिसाब से वितरण कर दिया जाना चाहिए।

माननीय महोदय, ईवीएम के बारे में मैं शुरू से कहता आया हूँ और आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बैलेट पेपर के पक्ष में हूँ, लेकिन साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर बैलेट पेपर से इतना ही विरोध है और ईवीएम से माननीय नरेन्द्र मोदी जी को इतना ही प्रेम है, तो मेरा एक ही निवेदन है कि आप वीवीपैट की स्लिप वोटर के हाथ में दे दीजिए। हमारे तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो वोटर वेरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल की बात है, उसमें उनका निर्णय था कि It is to the satisfaction of the voter. अब आप हमको 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं, कोई देख

* Not recorded.

पाता है, कोई नहीं देख पाता है। आप उस वीवीपैट स्लिप को डिब्बे में गिराते हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि वह हमारे हाथ में दे दीजिए, हम उसको हाथ से फोल्ड करके डिब्बे में डाल देंगे। उसकी भी काउंटिंग होनी चाहिए। इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? नीतीश कुमार जी भी ऐसी मांग कर चुके हैं। इसी के साथ-साथ 100 परसेंट काउंटिंग भी होनी चाहिए। आप यह गलत बात कहते हैं कि इसमें बहुत समय लगेगा। मैं कहता हूँ कि इसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा। महोदय, मैंने तो स्टॉप वॉच से देखा है कि जो आखिरी पांच राउंड की काउंटिंग होती है, उसमें स्ट्रांग रूम से निकल कर काउंटिंग टेबल और काउंटिंग टेबल से स्ट्रांग रूम जाने में 47 मिनट का समय लगता है। यह कहाँ लिखा हुआ है कि 15 टेबल की काउंटिंग होनी चाहिए? आप इसको 50 टेबल कर दीजिए। सात राउंड के अंदर सारी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। सात घंटे के अंदर आपकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी।

माननीय महोदय, 'वन नेशन, वन इलेक्शन' - यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का अपमान है। 'विविधता में एकता' - यह भारत की शक्ति है और * ...(**व्यवधान**)... मैं डीलिमिटेशन के बारे में भी कहना चाहता हूँ।...(**व्यवधान**)... उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जनसंख्या अनुपात में जो फर्क है, डीलिमिटेशन उसके आधार पर नहीं होना चाहिए। डीलिमिटेशन जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि मौजूदा जो अनुपात दक्षिण भारत की सीट और उत्तर भारत की सीट का है, उस अनुपात से ही डीलिमिटेशन होना चाहिए।

अंत में, माननीय महोदय, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मैं माननीय अमित शाह जी के भाषण से ही समाप्त करूँगा, इसलिए मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए। वैसे मेरे पास अभी डेढ़ मिनट है। पहली बात तो यह है कि आरएसएस एनजीओ पंजीकृत है या नहीं है?

एक माननीय सदस्य: नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह: यह पंजीकृत नहीं है, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी 'लाल किले' से कह रहे हैं कि विश्व का सबसे ज्यादा लोकप्रिय एनजीओ आरएसएस है। ...(**व्यवधान**)... उस पर कोई कानून लागू नहीं होता क्योंकि वह पंजीकृत नहीं है। न तो उसकी सदस्यता है, न खाता है। यह तो बात वही हो गई, *...(**व्यवधान**)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान): आती नहीं है, बल्कि हम देते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह: * ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please address the Chair. . ...*(Interruptions)*...

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में, उन्होंने कहा था कि हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि नरेन्द्र मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं। उन्होंने खुद के लिए कहा कि वे भी 10 साल

* Not recorded.

Contents Page

की उम्र से शाखाओं में जाते थे। ...(**समय की घंटी**)... उपसभाध्यक्ष जी, आरएसएस में मेरे भी कई मित्र हैं। मैंने पता लगाया, मैंने जानकारी ली कि अमित शाह जी कभी आरएसएस में रहे कि नहीं रहे, सबने कहा कि वे कभी आरएसएस में रहे ही नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. ...*(Interruptions)*..

श्री दिग्विजय सिंह: मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)... सर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): The other side is saying, please authenticate it.

SHRI DIGIVJAYA SINGH: Sir, I will authenticate it. ...*(Interruptions)*... Sir, I am authenticating it. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Right. ...*(Interruptions)*... He is saying, He will authenticate it. ...*(Interruptions)*... Let us conclude.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I will authenticate it. ...*(Interruptions)*... अगर अमित शाह जी यहाँ खड़े होकर ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): One minute, the hon. Minister wants to say something. ...*(Interruptions)*...

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): उपसभाध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी ने लोक सभा में इस इलेक्शन रिफॉर्म की चर्चा का जवाब देते समय कहा था। ये एकदम असत्य बोल रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि मैं 10 साल की उम्र से एक नारा लगाता आया हूँ कि "शहर की गलियाँ सूनी हैं और इंदिरा गाँधी खूनी हैं।" उन्होंने यह कहा था। उन्होंने यह तो कहा ही नहीं था, जो ये कह रहे हैं! ये असत्य बोल रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि मैं आरएसएस का हूँ, इसका मुझे गर्व है। ...(**व्यवधान**)... "शहर की गलियाँ सूनी हैं और इंदिरा गाँधी खूनी हैं।" ये नारे लगाए, ऐसा अमित शाह जी ने कहा। उन्होंने कहा कि यह नारा मैं 10 साल की उम्र से लगा रहा हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Okay. ...*(Interruptions)*... Please conclude hon. Member.

श्री दिग्विजय सिंह: सर, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूँ कि अमित शाह जी आरएसएस में रहे कि नहीं रहे, इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. We are not getting anywhere with this. ...*(Interruptions)*...

श्री दिग्विजय सिंह: सर, मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि ...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. ***...(Interruptions) ...*** He is concluding. *...(Interruptions)...*

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I am concluding. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. ***...(Interruptions) ...*** I am coming to you. *...(Interruptions)...* Hon. Member, please conclude. ...(Interruptions)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I am concluding. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now, hon. Minister. ***...(Interruptions)...*** हाउस में सब लोग बैठ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... Hon. Minister. Everybody sit down.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सर, जो एक बार आरएसएस की शाखा में जाता है और ध्वज प्रणाम कर लेता है, वह आरएसएस का सदस्य होता है! यही उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस का सदस्य हूँ। यही कहा उन्होंने।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now, we move on. *...(Interruptions)...* Have you concluded?

श्री दिग्विजय सिंह: सर, हम बचपन में एक कथा सुना करते थे, * धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now, Shri Ritabrata Banerjee. You are speaking in Bengali.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): & "Sir, on behalf of the All India Trinamool Congress, while rising to discuss on the issue of electoral reforms, I first want to present some realities of 'Ground Zero' before the House, through you. 'Some are panicked, some are ill, some are dead.' From November 4th to December 11th, in these 37 days, these three words have been affixed before or after their names. They are, meaning the Booth Level Officers (BLOs); in the atmosphere of the special intensive revision of the voter list, since November 4th, those who are at the centre of the discussion. From the start of the enumeration or counting phase, BLOs are facing various problems, Sir. How to complete a massive task smoothly in a short

* Not recorded.

& English translation of the original speech delivered in Bengali.

time-that is the main question. For this, some have left work and sat in protest, some are crying their eyes out with a plate of rice in hand due to work pressure. Many have gone to the hospital ill. In West Bengal, so far, four BLOs have died, incidents of suicide have occurred. * According to the Commission, "BLOs are the friend, philosopher, and guide of the local people." But those very friends, philosophers, and guides of the people are today terrified, panicked, alarmed. *

श्री सत पाल शर्मा (जम्मू-कश्मीर): सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): He has a point of order now. He is raising a point of order. Are you yielding?

SHRI RITABRATA BANERJEE: No, Sir, let me finish. *...(Interruptions)...* Excessive work pressure, Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I will come to you in a minute. Let me allow him for a minute. *...(Interruptions)...*

श्री सत पाल शर्मा: माननीय उपसभापति महोदय ... ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Point of order. Rule No.?

SHRI SAT PAUL SHARMA: Rule No. 110, 'Scope of Debate.' "The discussion on a motion that a Bill be passed shall be confined to the submission of the argument, either in support of the Bill or in the rejection of the Bill." *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Understood. Thank you. *...(Interruptions)...* I take your point. *...(Interruptions)...* I have taken your point.

SHRI SAT PAUL SHARMA: Whatever he is speaking, that should not go on record. That should be expunged under Rule 241. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I have taken your point. *...(Interruptions)...* Mr. Ritabrata, please continue.

SHRI RITABRATA BANERJEE: Sir, please ensure that I can speak. I am speaking. If I speak something wrong, let it be expunged, but let me speak.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sure.

---

* Not recorded.

SHRI RITABRATA BANERJEE: Sir, this entire election reform has been pushed through with reckless haste, completely indifferent to the human cost of its choices. The result is predictable and unforgivable. * An absurdly-tight timeframe and an unrealistic target for door-to-door verification have been imposed. They failed to provide a proper training on nuances of the exercise.

Sir, this BLO App, this BLO App is not working most of the time. * This is the reality of the ground, Sir. Now Sir, there is a question. Was this hurried rollout a policy failure? People naturally want the answer to this question. Sir, when we are discussing electoral reforms, if the true intent of this is to remove illegal immigrant voters from the voter roll, why is Bengal the only border state under scrutiny? What about Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Arunachal, Nagaland, Manipur and Mizoram? With these States, nothing is happening there, Sir! Only Bengal has been targeted. How was the electoral roll that was valid during the 2024 Lok Sabha election suddenly become unreliable now? * Sir, I want to know here through you. We are hearing in Bengal, what we have never heard in Bengal before. Now we are hearing BJP leadership, some say one crore people's names will be dropped, some say 1 crore 10 lakhs will be dropped, some say 1 crore 20 lakhs will be dropped. These things that they are saying, our perception is if we had said so many names would be dropped, we would have been handed a notice. Yet the Election Commission is observing a golden silence. These words that are spreading panic, no action is being taken against them. How, Sir, are they saying that 1 crore people will be dropped, 1 crore 20 lakhs will be dropped? Will you drop 1 crore Rohingyas? In the whole world, there are only 17-18 lakh Rohingyas! So where will you drop 1 crore Rohingyas from? It is not understood in which school such math is taught, Sir, we are not aware.* Sir, since the 1905 Partition, Anti-Partition movement in Bengal, wall graffiti has been an integral part of the political discourse. Even before that, in 1828, when the Renaissance was happening on the soil of Bengal, one of the main characters of that Renaissance, Henry Louis Vivian Derozio, whose disciples were called 'Young Bengal', back then in Kolkata, what is now the Shaheed Minar, was then named the Ochterlony Monument. These disciples of Derozio, those who practiced Young Bengal, they climbed atop the Ochterlony Monument and flew the flag of Equality, Fraternity, Liberty. On the walls of Kolkata, the first wall graffiti, on the walls of Kolkata, Sir, was written- Liberty, Equality, Fraternity. The year 1828, Sir. Since the Anti-Partition movement, this culture became more intense. while I was at 'Ground Zero' one day recently, suddenly, I saw some boys, young boys, they were writing on

* Not recorded.

the wall. The wall writing was going on, I waited. When the wall writing finished, I saw it written: 'Look and see, the vow is ready in every home, today is for the struggle against the demon.' I went with them to the party office, I saw lampblack (soot), black ink is needed, Sir, to write on walls, various coloured inks are needed. I saw them keeping lampblack under the table in the party office. I asked them, "Candidates for the election haven't been announced yet, why are you keeping this ink?" They said, "We are saving it every day. When the result comes out in the election, when Ms. Mamata Banerjee becomes Chief Minister for the fourth time, when we play with green *abir* (colored powder), we will bring out that lampblack from the party office, Brother. We will lightly smear that lampblack on the cheeks of the anti-bengals while playing with green *abir*, Sir." Never ever, Bengal has heard. * Our 5000 year old DNA, Sir. 2000 year old classical language, 1200 years of written history. those who want to divide Bengal *... I just want to speak of Bengal's eternal...(time-bell).. Sir, I crave your indulgence. I shall not ask for two minutes. Half a minute I seek from you. The eternal concept of Bengal, the eternal struggle of Bengal's ceaseless journey, I will end my speech on electoral reforms with the words of that eternal struggle. Bengal has believed this, Bengal believes this, and will do so in the future:

"I give the Azan, I bow at the feet of Jesus Christ, As many views, so many paths—as per Ramakrishna's words, In Hari Om Tat Sat I am... I am the slave of Bade Ghulam Ali,By offering obeisance at the feet of Bagdevi (Goddess Saraswati), I became a Bengali. Allah give clouds, give water; Thakur (Oh Lord!) give shade; in everyone's home— "*Jai Hind! Vande Mataram! Joy Bangla!"

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Dr. Sandeep Kumar Pathak.

SHRI RAM CHANDER JANGRA (Haryana): Sir, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): One minute, Pathakji. I would start your time from zero. Shri Jangra, your point of order!

श्री रामचंद्र जांगड़ा: उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय दिग्विजय सिंह जी जब बोल रहे थे और जब उन्होंने आखिर में समाप्त किया, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि पुराने जमाने में एक * की कहानी थी और उसके प्राण किसी तोते में रहते थे, तो भाजपा के प्राण भी अमित शाह में रहते हैं। उन्होंने * से इनकी तुलना की है। यह असंसदीय शब्द है। रूल 261 कहता है कि यदि सभापति की राय होगी कि वाद-विवाद में किसी ऐसे शब्द या शब्दों को प्रयुक्त किया गया है, जो

* Not recorded.

मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या गरिमारहित हैं, तो स्वविवेक से आदेश दे सकेंगे कि ऐसे शब्द या शब्दों को सभा की कार्यवाही के विवरण में से निकाल दिया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Noted. My ruling, Shri Jangra, is, anything that is unparliamentary will not be there on the record.

श्री रामचंद्र जांगड़ा: सर * शब्द गलत है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I have given the ruling. मैंने रूलिंग दी कि जो असंसदीय है, unparliamentary है, वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। डा. संदीप कुमार पाठक।

DR. SANDEEP KUMAR PATHAK (Punjab): Sir, the time allotted to me was eight minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Yes, it was eight minutes, but, I think, you have now got three minutes.

DR. SANDEEP KUMAR PATHAK: Yes, Sir. That is what I was saying, that it was eight minutes before and now it has been reduced to three minutes. Anyway, I would start. उपसभाध्यक्ष जी, सरकार के उत्तर को इस विषय में सुनने के बाद बहुत हताशा और निराशा हुई। अगर आप सरकार के पक्ष से सरकार के उत्तर को देखेंगे, तो पूरे समय उत्तर इसी पर आधारित रहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने ऐसा किया, तो हमने ऐसा किया। पिछली सरकार ने ऐसा किया, इसलिए हमने ऐसा किया। सरकार ने किसी भी समय अपना राजधर्म क्या है, अपने नैतिक दायित्व क्या हैं और इस पर क्या रिफॉर्म होना चाहिए, उस पर सरकार ने कहीं कोई बात नहीं की। ऑनरेबल चेयर सर, जो चुनाव प्रक्रिया है, तो एक नए parliamentarian के perspective से मैं देखूं और देश के आम नागरिक की तरफ से देखूं, तो तीन महत्वपूर्ण विषय है, जिन पर इस सदन को डिबेट करनी चाहिए। महोदय, सबसे महत्वपूर्ण विषय तो पैसे का है। आजकल चुनाव में इतना ज्यादा पैसा लगता है कि एक आम आदमी, आम नागरिक चुनाव लड़ने की सोच ही नहीं सकता है। क्या आज के समय में यह संभव है कि एक साधारण व्यक्ति, किसान का बेटा, साधारण वर्किंग क्लास का बच्चा चुनाव लड़ सके? वह चुनाव लड़ ही नहीं सकता। यहाँ पर level-playing field की कमी है। चुनाव सुधार तब तक नहीं हो सकता, यहाँ पर प्रजातंत्र तब तक उत्साहित नहीं होगा, जब तक हरेक व्यक्ति को समान अधिकार और क्षमता न मिले। महोदय, उसी प्रकार से अगर आप पोलिटिकल पार्टीज़ को देखेंगे, तो पोलिटिकल पार्टीज़ में भी electoral bonds के तहत जिस तरीके से चारों तरफ से पैसों का डोनेशन हो रहा है और पोलिटिकल पार्टीज़ के पास इतनी अथाह संपत्ति आई है कि अगर कोई छोटी पोलिटिकल पार्टी इस देश में व्यवस्थागत परिवर्तन लाने के लिए राजनीति में उतरती है, तो उसके survival के चांसेज़ बिल्कुल कम हो जाते हैं। अगर पहला रिफॉर्म करना है, तो चुनाव में लगने वाले जो पैसे हैं, उन्हें रिफॉर्म की कैटेगिरी में लाना पड़ेगा।

---

* Not recorded.

Contents Page

महोदय, जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, वह यह है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है। इसमें कई सारी बातें हो सकती हैं। इसमें एक तो मशीन की बात हो सकती है और एक वोटर लिस्ट की बात भी हो सकती है। वोटर लिस्ट इतना महत्वपूर्ण विषय है कि अगर वोटर लिस्ट में 1 प्रतिशत भी गड़बड़ हो जाए, तो पूरे electoral outcome में large number of seats can be impacted directly. Therefore, it is important कि voters' list को ठीक से verify किया जाए। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, क्या आज एसआईआर जैसी scrutiny की जरूरत है? सर, जरूरत तो है। इस बात को कोई भी deny नहीं करता कि जरूरत नहीं है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या टाइम सही है, क्या process सही है और क्या पारदर्शिता अपनाई गई है? महोदय, अगर पारदर्शिता, टाइम और प्रोसेस – इन तीनों चीज़ों को इलेक्शन कमीशन सीधे तरीके से करता है, तो इस पर किसी को भी संदेह नहीं होगा। महोदय, मैं आपको उदारहण देता हूं कि बिहार में जो एसआईआर हुआ है – इस पर कई सदस्यों ने बोला है, मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूं कि बाकी के एसआईआर से यह एसआईआर कैसे डिफरेंट है। बाकी के जितने भी एसआईआर हुए हैं, वे इलेक्टोरल अपग्रेडेशन लिस्ट से हुए हैं। जैसे कि यह जो इलेक्टोरल लिस्ट है, उसी इलेक्टोरल लिस्ट को बेस मानकर उसमें जो कमियाँ थीं, उनको अपग्रेड किया गया। ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Do you have one more speaker from your Party after you?

DR. SANDEEP KUMAR PATHAK: No; nobody is there.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): So, next two minutes are all yours.

DR. SANDEEP KUMAR PATHAK: Thank you, very much. जो इलेक्टोरल रोल है, उनमें अपग्रेडेशन का काम हुआ है। अभी तक अपग्रेडेशन के काम हुए, लेकिन इस बार यह हुआ कि enumerations लाए गए, मतलब एक altogether, all over new process start हुआ, जिसमें एक फॉर्म दिया गया और इस फॉर्म को भरकर सब्मिट करना होता था। यह प्रोसेस पहले जैसा नहीं है, बल्कि यह पूरे तरीके से दूसरा प्रोसेस है। इसमें पहला प्रश्न यह है कि 30 दिन का समय दिया गया था, परंतु क्या इतनी बड़ी प्रक्रिया 30 दिनों में करनी संभव है? This is next to impossible. It is humanly impossible for any political party or any agency to complete this exercise. Therefore, I will not go into the details of this. महोदय अगली चीज़, अगर ये मान भी लेते हैं कि चलो एक बेनेफिट ऑफ डाउट एजेंसी को दे भी देते हैं, तो प्रश्न यह उठता है कि इन्होंने 11 डॉक्युमेंट्स enlist किए हैं, इसलिए इन 11 डॉक्युमेंट्स में से हार्डली एक या दो डॉक्युमेंट हैं, जो सिटिज़नशिप को प्रूव करते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट की intervention से आधार लिया, लेकिन आधार भी सिटिज़नशिप एप्रूव नहीं करता है, एस्टैब्लिश नहीं करता है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सिटिज़नशिप एस्टैब्लिश नहीं करता है, प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट भी एस्टैब्लिश नहीं करता है, सिर्फ पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट ही सिटिजनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। क्या आपने यह कम्पल्सरी बनाया? आपने पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट को कम्पल्सरी नहीं बनाया। क्या आपने प्रि-रिक्विज़िट बनाई? आपने वह भी नहीं किया। इससे आपकी इंटेन्शन पर तो प्रश्न

उठता ही है। आपके लक्ष्यों में से प्रमुख लक्ष्य यह था कि जो विदेशी मूल के नागरिक यहाँ पर आए हैं, उन्हें यहाँ से निकालकर बाहर करना है, लेकिन आपने जो डॉक्युमेंट एनलिस्ट किए, उनमें से कितने लोगों के पास इस देश में पासपोर्ट है? Therefore, it is very important. Hon. Supreme Court ने यह कहा था कि establishing citizenship is not Election Commission's duty. If someone is in the electoral roll, he is presumed to be citizen of this country. Therefore, if there is any objection, refer it to the Tribunal or the Court. ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, इसमें जो तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है, वह citizenship का ही है। आप सिटिज़नशिप भी establish नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से इलेक्टोरल रोल को भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं।

महोदय, इसमें जो अगला महत्वपूर्ण विषय है, वह निष्पक्षता का है। अगर इलेक्शन कमीशन बॉडी निष्पक्ष नहीं है और जो इसके stakeholders हैं, अगर उन्हें उस व्यवस्था में विश्वास नहीं है, तो हम चाहे कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, यह कभी पारदर्शी हो ही नहीं सकता है। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, * क्या चुनाव की प्रक्रिया के दौरान यह नियम के तहत आता है? दूसरी तरफ, अगर आप तमिलनाडु राज्य देखेंगे, तो तमिलनाडु को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आपको इस तरह का कोई भी काम नहीं करना है। तो दो राज्यों के चुनाव में दो तरीके के यार्डस्टिक्स, यह कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है! ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

DR. SANDEEP KUMAR PATHAK: I am just concluding. Then, there is a very important aspect on this election of the Chief Election Commissioner. सर, मैं पूरी ज़िम्मेदारी और संजीदगी से कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने लोअर हाउस में यह कहा कि चूँकि हम मेज़ोरिटी में जीतकर आए हैं, इसलिए यह हमारा अधिकार है कि इलेक्शन कमीशन के चयन की कमिटी में हमारे लोग ज़्यादा रहेंगे। मेरा पूरी संजीदगी से यह सबमिशन है कि देश ने हमें गवर्नेंस करने के लिए चुनकर भेजा है। इलेक्शन कमीशन के चयन के हिसाब से चुनाव नहीं हुआ है। इसलिए आपका यह नैतिक दायित्व है कि आप उन्हें इंडिपेंडेंट रखें। उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर ये संस्थाएँ इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगी, तो आपके विकसित भारत बनने की संभावना पूरी तरीके से नकार दी जाएगी।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shrimati Sulata Deo.

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा): ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, जय श्री जगन्नाथ। सर, चोरी तो हुई है, धांधली भी हुई है वोट की। चोरी के ऊपर सीनाज़ोरी! हमारे ओडिया में एक कहावत है – & "Your threat to tattle on me is pointless, because you're telling the person who is closest to me and shares my life. He already knows all about me, for better or worse,

---

* Not recorded.

& English translation of the original speech delivered in Odia.

Contents Page

and your complaint won't change anything." हम बोलें तो किससे बोलें, कहाँ बोलें? * मैं एक बात और बोलना चाहूँगी। ओडिशा एक नेचुरल कैलैमिटी फेसिंग स्टेट है। इसके लिए आपने जो पैरामीटर्स रखे हैं, उनमें बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह का ज़िक्र है। ये सब वे कहाँ से लाएँगे? ओडिशा एक नेचुरल कैलैमिटी फेसिंग स्टेट है। फ्लड और 1999 के साइक्लोन में सारे सर्टिफिकेट्स नष्ट हो चुके हैं। वे ये सब कहाँ से लाएँगे?

सर, एक और बात है। जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की, वे स्कूल सर्टिफिकेट कहाँ से लाएँगे? सर, किन्नरों के बारे में भी सोचना चाहिए। उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। न वे पढ़ाई करते हैं, न उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है। ऐसे में वे क्या करेंगे?

आपने आधार का झंडा गाड़ा हुआ है, फिर आधार के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा? आप आधार को ईसीआई क्यों नहीं मानते हैं? यह कैसे हो रहा है? पहले इन रिफॉर्म्स पर ध्यान देना चाहिए। एसआईआर से एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। यह विरोधियों का वोट काटने के लिए नहीं होना चाहिए। जो लोग साढ़े 18 वर्ष से भारत के नागरिक हैं, उनके वोट की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी ईसीआई की है। महोदय, 2024 के इलेक्शन के समय कहीं-कहीं 30 परसेंट ज़्यादा वोटिंग हुई है। साढ़े पाँच और छः बजे के फॉर्म 17(ए) और फॉर्म 17(सी) मैच नहीं कर रहे थे। आप हमें तथ्य दीजिए। वीवीपैट की स्लिप दिखाइए। सर, कोई सुबूत नहीं दिया गया। क्या यह वोट की धांधली नहीं है? मैं एक और बात बोलूँगी। नवीन पटनायक जी ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाईं। एसएजी को बहुत पैसा दिया गया, मगर जब वोट का समय आता है, * क्या यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है? ये फिर भी क्यों चुप है? आप अभी एसआईआर के बारे में बोल रहे हैं। असम में छः साल हो गए हैं। ...(**समय की घंटी**)... आप सिटिज़नशिप के लिए दो तथ्य माँग रहे थे। वे छः साल में भी नहीं मिले, तो अब यह छः महीनों में कैसे मिल जाएगा?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

श्रीमती सुलता देव : सर, कॉन्स्टीट्यूशनल असेम्बली में डा. अंबेडकर जी ने कहा था कि जो सभी भारतीय नागरिक हैं – तब इसकी उम्र 21 साल थी, जबकि अब 18 साल है - सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। सभी लोगों को वोट देना चाहिए। एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। मैं खास करके ओडिशा के बारे में बोलूँगी। वोट की जो धांधली हुई है, वोट की चोरी हुई है, मैं फिर से कहूँगी कि इनकी जीवन नाड़ी ईवीएम में बंद है। इनकी जीवन-नाड़ी ईवीएम में बंद है, अगर इसे दबा देंगे तो ये जीत नहीं पाएंगे। अगर इसे हटा देंगे, तो इनकी जीवन-नाड़ी ही खत्म हो जाएगी।

4.00 P.M.

हम इसी को बोलेंगे, क्योंकि किस तरह ये ईवीएम धांधली करते हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी violate किया जाता है। मैं यह डिमांड करूंगी कि पेपर बैलेट के ऊपर वोट हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

---

* Not recorded.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Under which rule?

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, it is under Rule 238, which says that a Member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority. Sir, the hon. Member also referred to the MCC violation in Bihar. Sir, I would like to tell you that this claim is misleading. The MCC came into force only on 6th October, 2025 while the Women Empowerment scheme of Rs. 10,000/- was announced early on 26th September, 2025, well before the MCC was enforced. Sir, firstly, she is misleading the House and, secondly, she is violating Rule 238 of Rules of Procedure.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): My ruling is that we will examine it and if there is any discrepancy found, that will be taken into consideration. That is my ruling. Now, the next speaker is Shri Sajjad Ahmad Kichloo. It is your maiden speech. Congratulations.

SHRI SAJJAD AHMAD KICHLOO (Jammu and Kashmir): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir. हमारा मुल्क एक जम्हूरी मुल्क है और इस मुल्क का डंका पूरी दुनिया में इसलिए भी बजता है कि यहां फेयर इलेक्शन होते थे। यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छी सरकारें देता था और जो सरकारें लोगों के लिए अच्छी तरीके से काम करती थी। यहां अच्छे-अच्छे इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। टीएन शेषन, जिनके कार्यकाल में अच्छे रिफॉर्म्स हुए। वोटर आईडी - मुझे याद है कि उनके वक्त में ही वह निकला और उनकी हमेशा यह कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट में डाला जाए, ताकि वे अपने हक का इस्तेमाल करें। जनाब-ए-वाला, जहां तक जम्मू-कश्मीर की बात है, तो 10 साल के बाद जम्मू-कश्मीर की असेंबली के चुनाव हुए और उसके एक साल बाद राज्य सभा के इलेक्शन हुए। आपको इसी से अंदाजा लगाना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर की तरफ यह सरकार कितनी सीरियस है। मैं फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमें कोई उम्मीद नहीं है। जहां पर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो आईन है, जो कांन्स्टिट्यूशन है, *उनको कोई उम्मीद नहीं है। जनाब-ए-वाला, यहां एसआईआर की बात चल रही है। मैं कहता हूं इस सेक्युलर मुल्क में कम से कम एसआईआर की डिबेट नहीं होनी चाहिए! *इलेक्शन रिफॉर्म्स पर यहां चर्चा चल रही है। * नतीजा यह हुआ कि उसके बाद इलेक्शन हुआ। बहरहाल इलेक्शन में क्या हुआ! * जनाबे वाला, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी जम्मू-कश्मीर के लोगों से मुखातिब हुए, चाहे वे इलेक्शन रैलियों में आए, मगर एक बात हर वक्त उन्होंने की कि जम्मू-कश्मीर के जो लोग हैं, उनके साथ हम दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां कम करना चाहते हैं। जनाबे वाला, मगर हो क्या रहा है? *

---

* Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Let us focus on Election Reforms, please.

श्री सज्ज़ाद अहमद किचलू : *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Speak on Election Reforms, please.

श्री सज्ज़ाद अहमद किचलू : *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We have to talk on the Election Reforms. The same thing was for the other colleagues as well.

श्री सज्ज़ाद अहमद किचलू : *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Let us talk about Election Reforms, please.

श्री सज्ज़ाद अहमद किचलू : *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, we are speaking on Election Reforms. I only request you to focus on the subject.

श्री सज्ज़ाद अहमद किचलू : सर, मैं बस खत्म कर रहा हूं।*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, speak on Election Reforms, please.

श्री सज्ज़ाद अहमद किचलू : लिहाजा मुझे आप बताइए कि कैसे दिलों की और दिल्ली की दूरियां खत्म हो जाएंगी?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Let us conclude please.

श्री सज्ज़ाद अहमद किचलू : जनाबे वाला, *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): This is not a part of the Election Reforms, hon. Member. It makes it very difficult for me to allow you to continue this way. Please speak on Election Reforms.

श्री सज्ज़ाद अहमद किचलू : इससे हमारे जो नौजवान हैं, वे डिप्रेशन में आ गए हैं।

---

* Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I am sorry, this is not being allowed. This cannot be allowed. I am sorry, hon. Member. You talk on Election Reforms, I will allow you.

श्री सज्जाद अहमद किचलू : सर, मैं बस एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please speak on Election Reforms. . ...*(Interruptions)*... Please sit down.

श्री सज्जाद अहमद किचलू: सर, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से यही अपील करना चाहता हूं कि वे देश के हुक्मरान हैं, वे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनकी नुक्ता-चीनी भी कर सकते हैं, मगर हमें उम्मीद भी उनसे है। *

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्री सज्जाद अहमद किचलू: जनाबेवाला, लास्ट में बस एक शेर पढ़ना चाहता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): He is singing a song. ...*(Interruptions)*...

श्री सज्जाद अहमद किचलू: सर, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं। उसके बाद अपनी बात खत्म कर दूंगाः

"वह जो गीत तुमने सुना नहीं,
मेरी उम्र भर का रियाज था।
मेरे दर्द की थी वो दास्तान,
जिसे तुमने हंसी में उड़ा लिया।।"

शुक्रिया जनाब।

SHRI SAT PAUL SHARMA: Sir, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Yes, what is the rule no. of your point of order?

SHRI SAT PAUL SHARMA: Sir, i*t is Rule No.110. Whatever the hon. Member has spoken is outside the ambit of this debate. I would like to submit that the hon. Prime Minister has never said it that after the election, Statehood will be given.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): He did not refer to that. Your point is taken.

* Not recorded.

Contents Page

SHRI SAT PAUL SHARMA: He said that - जब भी ठीक परिस्थितियां आएंगी, तो जम्मू-कश्मीर को उसका हक मिलेगा। इससे पहले का वाकया अगर आप लोगों के ध्यान में हो कि 370 में हम लोगों ने क्या भुगता है...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I take your point.

SHRI SAT PAUL SHARMA: That must be expunged.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We will examine it factually and if that is not appropriate, it will not be there. That is my ruling. Thank you very much. Now we will move on. Next speaker is the hon. Member, Dr. Kavita Patidar.

डा. कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, आज जब मैं इस गरिमामय सदन में उपस्थित हुई हूं, तो मुझे न्याय के दो शब्द याद आ रहे हैं – 'सत्यमेव जयते', यानी विजय हमेशा सत्य की ही होगी। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह उसी सही और गलत पर आधारित है। यह चुनाव सुधार सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इस देश के लोकतंत्र के महायज्ञ में, चुनाव सुधार के माध्यम से, अशुद्धियों को दूर करके, पुनः शुद्धिकरण का एक शंखनाद है। उसके बावजूद भी अगर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, तो मुझे हंसी आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं।

महोदय, अभी कुछ संसद सदस्यों ने अपनी बात को रखते हुए यह कहा था कि हमारी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी जनमत हमारे साथ नहीं है। मुझे हंसी इस बात पर भी आती है कि अभी जितने चुनाव हुए, चाहे वह महाराष्ट्र का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो, उनके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। दूध का दूध और पानी का पानी की तरह सब साफ है। उसके बावजूद भी उनका यह कहना कि जनमत हमारे साथ नहीं है, इस बात पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, जो इनकी स्थिति है कि :

" इनके पांव के नीचे जमीन नहीं है,
लेकिन कमाल तो यह है कि
इस बात पर इनको यकीन नहीं है।"

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इनको यकीन हो या नहीं हो, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता को माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व पर और उनकी सरकार के सुशासन पर पूरा यकीन है, इसलिए जनमत हमारे साथ है।

महोदय, अभी एक और माननीय सदस्य बोल रहे थे। यह जो चुनाव सुधार विषय है, उस पर बोलते हुए माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि 'One Nation, One Election' सही नहीं है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहती हूं कि जब 'One Nation, One Election' आज सही नहीं

है, तो 1957 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे और कुछ विधान सभाओं के चुनावों को पहले कराया गया और कुछ के चुनावों को बाद में करा कर, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए गए थे, तब क्या वह गलत था? अगर आज यह गलत है, तो क्या वह गलत था और अगर वह उस वक्त सही था, तो फिर वह आज गलत कैसे हो गया? सिर्फ यही नहीं, इस देश में 1957 और 1962 में भी एक साथ चुनाव हुए और 1967 में भी एक साथ चुनाव हुए, तो क्या वे गलत थे और अगर वे चुनाव एक साथ होना गलत नहीं था, तो आज एक साथ चुनाव होना गलत कैसे हो सकता है? मुझे ताज्जुब तब भी होता है कि ये सही-गलत की बात कर रहे हैं! जिनके इतिहास के पन्ने लोकतंत्र की हत्या की झूठी स्याही से लिखे गए हों, वे आज सही और गलत की बात कर रहे हैं! मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि 12 जून, 1975 का वह दिन, जब इलाहाबाद के जस्टिस जगमोहन जी ने फैसला सुनाया था और तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द किया था, तब सही और गलत कहां गया था?

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, उस वक्त क्या होना चाहिए था? इन्हें इस्तीफा देना था और इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस देश पर जबरन आपातकाल लगा दिया, इमरजेंसी घोषित कर दी और इतना ही नहीं इन्होंने संविधान का 39वाँ संशोधन किया ताकि इनके चुनाव को कोई चुनौती न दे सके। ये सही और गलत की बात कर रहे हैं। लाखों लोगों को बिना कारण, बिना कसूर के जेल में ठूंसने का काम किया। इन्होंने मेरे पिता को भी 19 महीने जेल में डालने का काम किया। वह दोष इन्होंने किया। मेरे साथ वे लाखों परिवार, जिन्होंने यातनाएँ झेली हैं, जिनके परिवार के लोगों ने भी जेल में रह कर यातनाएँ सही हैं, जब उनके बारे में सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सही और गलत की बात कर रहे हैं। जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, वह आज ईवीएम का रोना रो रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यह सही नहीं है। ये कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब है। माननीय महोदय, जब परतें खुलनी शुरू हुईं, तो ईवीएम नहीं, इनकी नीयत खराब है। आज यह परिदृश्य सामने आ रहा है। इसमें क्या गलत है? यह पहली बार तो नहीं हो रहा है? कोई हौवा तो नहीं है कि आज हो रहा है। इस देश में कितनी बार चुनाव सुधार का काम हुआ है। हमारे संविधान ने चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया है। उस अधिकार के तहत समय-समय पर चुनाव सुधार का कार्य हुआ है। इसमें गलत क्या है? उसमें इनको क्यों तकलीफ है? माननीय दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि हमें प्रमाण देना पड़ेगा। हमसे प्रमाण लिया जा रहा है। डर तो उन्हें होना चाहिए, जिन्होंने चोर दरवाजे से इस देश में प्रवेश करने का काम किया, जिन्होंने असत्य की स्याही से दस्तावेज बनाने का काम किया - उनको डर होना चाहिए। जो भारतीय सच्चे हैं, उन्हें किस बात का डर है? जो इस देश के नागरिक हैं, उन्हें किस बात का डर है? अगर जिनके प्रमाण सत्य हैं, उन्हें किस बात का डर है? यह पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। माननीय महोदय, उसके सीमावर्ती जो जिले हैं, उनमें जाकर जरा देखिएगा, तो पता चलेगा कि वहाँ पर अप्रत्याशित तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। क्या वह वास्तविक है? नहीं, वह इनकी तुष्टीकरण की राजनीति का एक नतीजा है। इनको यह डर नहीं है कि हमारे लोगों के नाम कट जाएँगे, सच्चे भारतीयों के साथ अन्याय होगा, बल्कि इनको अपने वोट बैंक की चिंता है। इनको उन घुसपैठियों की ज्यादा चिंता हो रही है, जिनके दम पर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रहे हैं। इस बात का डर है। इन्हें भारत के अधिकार, भारत के लोगों की चिंता

नाम मात्र नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपनी चिंता है। मैं तो इनको बताना चाहूँगी कि अगर देश में सत्य हो रहा है, सही चीज हो रही है, तो उसमें इनको निराशा नहीं होनी चाहिए।

'बहुत आरज़ू थी इन्हें हमें बेनकाब करने की।
मगर जब खुद के चेहरे से नकाब उठा तो हंगामा हो गया।'

ये हंगामा कर रहे हैं कि यह क्यों हो रहा है? यह क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? माननीय महोदय, मैं तो आपको बताना चाहूँगी कि ये जनमत की बात कर रहे हैं। हंगामा इस बात का भी है कि यह जो चुनाव सुधार का कार्य हो रहा है, लेकिन 2004 से ईवीएम की मशीन का प्रयोग हो रहा है। अभी ये ईवीएम मशीन का रोना रो रहे थे। मैं इनसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जब ये जीतते हैं, तो ईवीएम मशीन सही और जब हम जीतते हैं, तो ईवीएम मशीन खराब। ये जीते, तो ईवीएम मशीन देवता और हम जीते, तो ईवीएम मशीन * हो जाती है। ये जीते, तो अदा और हम जीते, तो सदा। अगर इनकी बात बच्चे भी सुने, तो वे भी हँस पड़ेंगे कि इनकी बातों में कोई मूल तो होना चाहिए, कोई सिर पैर तो होना चाहिए। ये ईवीएम मशीन को खराब कह रहे हैं। 2004 में जब ईवीएम मशीन के आधार पर चुनाव हुआ, तब किसकी सरकार थी? उस समय कांग्रेस की सरकार थी। क्या वह उस समय गलत था? आज ये ईवीएम मशीन की बात पर प्रश्नचिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। कितनी बार चुनाव हुए, मैं उस बात पर जाना नहीं चाहती कि कहाँ इनकी सरकार, कहाँ हमारी सरकार। ईवीएम मशीन के आधार पर निष्पक्षता से चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें इनको तकलीफ किस बात की है? इनको तकलीफ सिर्फ इसी बात की नहीं है, अपने वोट बैंक की चिंता नहीं है, बल्कि इनको तकलीफ इस बात की भी है, क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी के उस भाव के कारण यह जनमत की बात कर रहे हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इस देश के सारे व्यक्ति, 140 करोड़ जनता माननीय मोदी जी पर विश्वास करती है, उनका जनमत उनके साथ है और उनके नेतृत्व के साथ है। इनको माननीय प्रधान मंत्री जी के उस सेवा भाव से भी डर लगता है, जब माननीय प्रधान मंत्री जी अपने आपको इस देश का प्रधान सेवक बोल कर काम करते हैं। उस बात से भी इनको डर लगता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो आज विकसित भारत का संकल्प लिया है, उन्हें इस बात से भी डर है। जनमत इनके साथ नहीं है। अब इनमें इस देश में एक परिवार के नाम पर वोट माँगने की ताकत नहीं रही है। दुनिया के साथ-साथ इस देश की जनता भी अब समझ चुकी है। जनमत इनके साथ नहीं है। जनमत इस देश के विकास के साथ है, इस आत्मनिर्भर भारत के साथ है, इस विकसित भारत के संकल्प के साथ है और माननीय नरेन्द्र मोदी जी के साथ है। इस देश की जनता ने नरेन्द्र मोदी जी को चुना है, इनको नहीं चुना है - इस बात का इनको डर है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी विकसित भारत का संकल्प लिए प्रधान सेवक बन कर इस देश में काम करते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि दीपावली के दिन जब वे उन प्रहरियों के साथ, हमारे सैनिकों के साथ दीपावली मनाने का काम करते हैं, तो सिर्फ उन सैनिकों को नहीं, बल्कि पूरे देश के लोगों को अपनापन का भाव नजर आता है। जब वे इस देश के

* Not recorded.

वैज्ञानिकों का आंसू पोंछने का काम करते हैं, तो उससे सिर्फ हमारे वैज्ञानिकों का नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता का मनोबल बढ़ता है, उन्हें इस बात का डर है। आज भारत की जनता माननीय मोदी जी के साथ है। माननीय मोदी जी का ही वह भाव है, जो 140 करोड़ जनता को एकसूत्र में पिरोने का काम कर रहा है। ये उससे लड़ नहीं सकते, तो कहते रहते हैं, ईवीएम मशीन खराब है, ईवीएम मशीन खराब है। ये वोट चोरी, वोट चोरी का भाव पढ़ते चले जा रहे हैं। कौन-सी वोट चोरी? वोट चोरी का काम कहां और किसको कहते हैं, जरा पश्चिमी बंगाल में जाकर देखिए, वहाँ की जनता से पूछिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वोट चोरी किसे कहते हैं। ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं! हम तो निष्पक्षता के साथ चुनाव करने की ताकत रखते हैं और उसके दम पर हम आज सुशासन का काम करते चले जा रहे हैं। ये ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन की क्या बात करेंगे? आज देश की जनता हमारे सुशासन के कारण, हमारी गरीब कल्याण नीतियों के कारण, हमारी योजनाओं के कारण और देश के हित में हमने जो निर्णय लिए, चाहे हम मिशन सिंदूर की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें या आतंकवाद को खत्म करने की बात करें, हमने जो-जो निर्णय लिए हैं, उनके आधार पर आज जनता ने हम पर विश्वास किया है, उस विश्वास के आधार पर जब एक व्यक्ति मतदान केंद्र पर जाता है और ईवीएम मशीन में कमल के फूल का बटन दबाता है, तो उस बटन पर कमल फूल का मात्र निशान नहीं होता है, बल्कि वह एक भरोसा है, जिसके आधार पर वह हमें मतदान करता है। आप उसका क्या करेंगे, जो माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने कार्यों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के दिल, दिमाग और मस्तिष्क में कमल खिलाने का काम किया है? आप उसे कैसे रोकेंगे, उसे कैसे हटाएंगे? आप ईवीएम मशीन की बात कर रहे हैं, आप उसे कैसे हटाएँगे?

"मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ,
शीशे से कब तक तोड़ोगे,

मैं मिटाने वाला नाम नहीं हूँ,
तुम कब तक मुझको रोकोगे?"

सर, ये कमल के निशान और माननीय प्रधान मंत्री जी को कब तक रोकेंगे? माननीय प्रधान मंत्री जी के सुशासन में आज चुनाव सुधार का काम हो रहा है। हम नियम-कायदे में चलने वाले लोग हैं। इस देश के हित में उन कार्यों को हम सदा करेंगे, जो इस राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाएँगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद! जय भारत!

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष जी, भारतीय लोकतंत्र और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मूल हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है और उनके वोट से चुनी हुई सरकार है, क्योंकि अंग्रेज सरकार में, चाहे वह Government of India Act, 1919 था या 1935, इस देश के 3 से 10 प्रतिशत लोगों को ही वोट का अधिकार था, 90 प्रतिशत से अधिक लोग वोट से वंचित थे। हर व्यक्ति को वोट का अधिकार देने के पीछे भी दो सोच रहीं, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से जुड़ी हैं। पहली सोच स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी, जो 1931 के कराची कन्वेंशन के अंदर बाकायदा लिखित तौर से एक प्रतिबद्धता के तौर पर दोहराई गई कि हर भारतीय नागरिक

को वोट का अधिकार होगा, चाहे वह पढ़ा-लिखा हो, चाहे वह अनपढ़ हो, चाहे उसकी कोई जाति हो, कोई क्षेत्र हो, कोई प्रांत हो, कोई धर्म हो, बगैर किसी भेदभाव के सबको अधिकार होगा। एक दूसरी सोच भी थी। उपसभाध्यक्ष महोदय, वह दूसरी सोच क्या थी? वह सोच यह थी कि हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह कहा गया कि जिस देश में अशिक्षित जनसमुदाय हो, वहाँ सबको वोट का अधिकार देना सही नहीं है। यह बात गुरुजी ने कही है। इस सदन में भी बैठे कुछ लोगों के वे आज भी गुरुजी हैं और वे एक विशेष दल के भी गुरुजी हैं। "श्री गुरुजी समग्र खंड - 9", पेज़ 64 - मैं लेकर आया हूँ। मैं हर वह बात authenticate करूँगा, जो मैं कहूँगा। उसमें बाकायदा कहा गया है - I quote: "प्रश्न : क्या आप वयस्क मताधिकार के पक्ष में हैं? उत्तर : वयस्क मताधिकार सभी देशों में नहीं है, केवल वहीं है, जहाँ शताब्दियों का अनुभव है और जहाँ अशिक्षित जनसमुदाय को मताधिकार प्रदान करना अनुचित प्रतीत नहीं होता। सर्वप्रथम, जनसमुदाय को शिक्षित करना आवश्यक है।" यानी, गुरुजी ने कहा, अनपढ़ को, कम पढ़े-लिखों को कोई मत का अधिकार नहीं होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... उपसभाध्यक्ष महोदय, बात यहीं नहीं रुकी। Constituent Assembly ने 26 नवंबर, 1949 को भारत का संविधान पारित कर दिया, जिसमें हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया गया। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please. *...(Interruptions)...* He is authenticating it. *...(Interruptions)...*

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: 26 नवंबर, 1949 को संविधान पारित होने के तीन दिन बाद आरएसएस के मुखपत्र, Organiser में ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): वे authenticate कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, मैं उसकी प्रतिलिपि भी लेकर आया हूँ, सदन के पटल पर रखूँगा। ...(**व्यवधान**)... 30 नवंबर, 1949 को एक नीतिगत लेख लिखा गया और वहां कहा गया कि भारत के साधारण नागरिक की बुद्धि और विवेक पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया और उसे वोट का अधिकार देने पर भी सवाल खड़ा कर दिया गया। And, I quote from that article which I am placing on the Table of the House. It said, "But realizing the inertia of the common man to think out political issues and vote intelligently, we cannot be over-optimistic about universal adult franchise." यानी भारत के लोग * हैं -आप संविधान के पारित होने के तीन दिन बाद यह कह रहे थे? सर, बात यहां भी खत्म नहीं हुई। ...(**व्यवधान**)... उसके बाद देश का पहला चुनाव आया।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please. *...(Interruptions)...* He is authenticating it. *...(Interruptions)...*

* Not recorded.

Contents Page

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: देश के पहले चुनाव के बीचो-बीच, 7 जनवरी 1952 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइज़र में फिर दावा किया गया और मैं वह लेख यहां लेकर आया हू, मैं सदन में इसे रखूंगा and I quote, "Pandit Jawaharlal Nehru would live to confess the failure of universal adult franchise in India." यह वह दूसरी सोच है, जो हिंदुस्तानियों को वोट का अधिकार ही नहीं देना चाहती थी। आज, जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं, तो द्वंद्व इन्हीं दो सोचों के बीच है -भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच और वह सोच, जिसकी मैंने अभी व्याख्या की है।

सभापति जी, भारतीय लोकतंत्र के तीन पिलर्स हैं - पहला, सबको वोट का अधिकार। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव। और तीसरा, संविधान और उसकी इंडिपेंडेंट संस्थाओं की मजबूती। ये तीनों ज़िंदा हैं, तो भारतीय लोकतंत्र ज़िंदा है। इनको मनमर्जी से छीन लीजिए, कमजोर कर दीजिए, इन पर कब्जा कर लीजिए, तो लोकतंत्र मात्र एक दिखावा रह जाएगा। * चुनाव आयोग की निष्पक्षता से ही लोकतंत्र ज़िंदा रह सकता है। बाबा साहेब अंबेडकर मानते थे कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को फंडामेंटल राइट बनाया जाना चाहिए। बाबा साहेब यह भी कहते थे कि उन्हें गंभीर चिंता और सरदर्द है * And I quote, and I will place it on the Table of the House — 15th June 1949, Dr. B.R. Ambedkar said, "Now, with regard to the question of appointment, I must confess that there is a great deal of force in what my friend Professor Saksena said that there is no use making the tenure of the Election Commissioner a fixed and secure tenure if there is no provision in the Constitution to prevent either a fool or a knave or a person who is likely to be under the thumb of the Executive. I do want to confess that this is a very important question and it has given me a great deal of headache." That is Baba *Saheb* Ambedkar for you. सर, बात यहां खत्म नहीं हुई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि नियुक्ति कैसे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल केस में यहां तक कहा कि कल को अगर पार्लियामेंट कानून भी बना दे, लेकिन अगर वह कानून ऐसा हो जो फिर एक जेबी चुनाव आयोग की नियुक्ति करे, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। And, I again quote Para 301 of the Supreme Court, it says, "The Founding Fathers clearly contemplated a law by Parliament and did not intend the executive exclusively calling the shots in the matter of appointments to the Election Commission. A law could not be one to perpetuate..."--I draw your attention—"...what is already permitted namely appointment at the absolute and sole discretion of the Executive."

And then para 308 says, "Each time, on account of a 'knave', in the words of Dr. Ambedkar, or again in his words, 'a person under the thumb of the Executive', calls the shots in the matter of holding the elections, which constitutes the very heart of democracy, even formal democracy is not realized." सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर

---

* Not recorded.

ऐसा कानून बनाओगे, जहां जेबी चुनाव आयोग बनेगा, तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। अभी बात यहां भी खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोज़िशन की कमेटी बनाई। इन्होंने क्या किया? मैंने तब भी इसी सदन में कहा था कि एक जेबी लोकपाल की नियुक्ति की कमेटी बना ली। प्रधान मंत्री जी, अमित शाह जी और लीडर ऑफ अपोज़िशन थे। इन्होंने Constituent Assembly की बात नहीं सुनी। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की चिंता को नज़रअंदाज़ करके फेंक दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पूरी तरह से नकार दिया। * इसका नतीजा देख रहे हैं। Second attack is वोट का अधिकार। वोट का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा के बगैर हमारी सभ्यता - हिंदू धर्म में कहा गया है कि शरीर जिंदा नहीं रह सकता। सर, वोटर केवल लिस्ट पर छपा एक नाम नहीं है। वोटर चुनावी न्याय व नतीजों का असली चेहरा है।*

Sir, the attack number three on democracy is, वह वोट की एवज में रिश्वत के संबंध में है। मेरी पार्टी का, पूरे सदन का और मुझे विश्वास है मेरे सामने बैठे साथियों का भी distributive justice में विश्वास रहा है। यानी संसाधनों का न्यायोचित वितरण। प्रधान मंत्री जी कभी-कभी उसका रेवड़ी कहकर मज़ाक उड़ा देते हैं, *...(व्यवधान)...

सर, चौथा अटैक चुनावी चंदे के घालमेल के बारे में है। मेरे सहयोगी अजय माकन जी ने 11 दिसंबर को सदन में बताया * ...(व्यवधान)... Sir, I hope you will give me extra time for the interruptions. * इसलिए, let me come straight to the point. I have six or seven suggestions on Electoral Reforms. Number one, मौजूदा कानून को खत्म कर चुनाव आयोग के selection की एक नई कमेटी बनाइए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हों, definitely हों, LoP, Lok Sabha और Rajya Sabha हो और Chief Justice of India हों। तभी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी।

दूसरी बात – निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, मेरे सभी मित्र दल भी चाहते हैं, Nobody has opposition to a fair election. If there has to be a fair election, and if everybody, or large number of people other than BJP now doubt the EVM machine, what is the difficulty in holding the elections through a ballot? Let US have elections through a ballot. If people are with you, जैसा मेरी बहन कह रही थी, जैसा मेरे मित्र कह रहे थे, अगर लोग आपके साथ हैं, तो आप ballot से भी जीत जाएंगे, अगर लोग आपके साथ नहीं हैं, तो सच सामने आ जाएगा और जब तक बैलेट नहीं होता, VVPAT की hundred per cent slips की काउंटिंग होनी चाहिए।

महोदय, तीसरा बिंदु यह है कि सभी राजनैतिक दलों और सभी नागरिकों को voter list की machine readable copy चुनाव से तीन महीने पहले मिलनी चाहिए और चुनाव की डेट से तीन महीने पहले addition and deletion of voters बंद होना चाहिए, तभी फेयर चुनाव हो पाएगा।

---

* Not recorded.

महोदय, चौथा बिंदु यह है कि वोटर लिस्ट से नाम काटने से पहले हर व्यक्ति को एक व्यक्तिगत नोटिस deliver किया जाए। एतराज़ फाइल करने का एक महीने का नोटिस दिया जाए और वोट काटने का कारण बताया जाए। तभी फेयर बात होगी।

महोदय, पाँचवाँ बिंदु यह है कि bulk vote revision के तरीके और प्रणाली पर सार्वजनिक बहस हो। इस पर संसद में बहस हो और जो पूरी प्रणाली है, उसको Representation of Peoples Act में लिखा जाए, ताकि कोई चुनाव आयोग selective ideological removal न कर सके।

महोदय, छठा बिंदु यह है कि चुनाव से छह महीने पहले नई cash transfer scheme और benefit transfer scheme पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाए। महोदय, नंबर सात बिंदु यह है कि electoral funding पर एक राष्ट्रीय बहस हो और वोट शेयर के आधार पर फंडिंग मुहैया करवाई जाए। महोदय, आठवाँ बिंदु यह है कि एक Electoral Transparency and Accountability Commission का गठन हो, जहाँ पर corporate houses द्वारा *quid pro quo* के आधार पर चुनावी फंडिंग की शिकायत दर्ज़ करवाई जा सके। I am just concluding. I will take thirty seconds more to finish my speech. कमीशन ऐसे दलों और समूहों के खिलाफ कार्रवाई कर सके।

सर, देश में लोकतंत्र बचाने का यही तरीका है। बहुत लोग कह देते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। मैं आज यह कहता हूं:

'मानते हैं अँधेरा बहुत घना है
पर अँधेरे को चीर दीया जलाना कहाँ मना है।'

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, I will take five seconds more, I am concluding. आप मेरा interruptions का टाइम काउंट कर लीजिए। सर, जो लोग हमें बीता इतिहास बताते हैं, मैं आज उनसे कहना चाहता हूं कि:

'ज़रा अदब से उठाना इन दीयों को
बीती रात इन्होंने सबको रोशनी दी है।'

किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है, हमने खुद को जलाकर रोशनी दी थी और देते रहेंगे। वंदे मातरम्, जय हिंद!

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Now, hon. Member, Shrimati Mamata Thakur.

Contents Page

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, just one second. Will the hon. Minister clarify what is the time... ...(Interruptions)...

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I believe, there are still 65 speakers left. So, I would like to propose the House to sit till 8 p.m. tonight and conclusion can be done by tomorrow -- maybe early afternoon -- so that we can take up a Bill thereafter.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): If the House agrees, as the hon. Minister suggested, let us sit till 8 p.m. *...(Interruptions)...*

SOME HON. MEMBERS: Till 7 p.m., Sir. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Sense of the House largely is 8 p.m. *...(Interruptions)...*

AN HON. MEMBER: Let's keep it 7.30 p.m., Sir. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Okay, that's fine. Neither 7 nor 8, let us keep it 7.30. Thank you. Now, we move forward. Srimati Mamata Thakurji, please speak.

SHRIMATI MAMATA THAKUR (West Bengal): [&] "Sir, I thank you for allowing me to speak. My party is the Trinamool Congress, my leader is Ms. Mamata Banerjee. As a result of the voter list renewal, the most affected are the crores of rootless refugee Bengalis who came from East Pakistan or Bangladesh. Lakhs of Matua Hindus who came from Bengal across the border are spending their days in anxiety in India today. [*] The Election Commission states that under Article 326 of the Constitution...

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Point of order, Sir. *...(Interruptions)...* Point of Order. *...(Interruptions...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please give her a few minutes to complete. *...(Interruptions)...* Yes; yes. I am allowing you to raise a point of order. What is the rule number? *...(Interruptions...*

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, it is under Rule 240.

[&] English translation of the original speech delivered in Bengali.

[*] Not recorded.

Contents Page

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Yes, but what is the point of order? *...(Interruptions)...*

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: It is under Rule 240. सर, मतुआ लोगों की सबसे बड़ी माँग थी भारत की नागरिकता। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Okay; okay. *...(Interruptions)...* Your point has been taken. *...(Interruptions)...* Mamata Thakur*ji,* please continue. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI MAMATA THAKUR: The Election Commission states that the voter list is being renewed as per Article 326 of the Constitution. That implies the time when the country's first voter list was published in 1952. Again, the Election Commission says that those whose names are in the 2002 voter list, their names will not be removed during the voter list renewal. People are confused; which one is correct?

Sir, the Matuas and Hindus who voted to form the Government from 2002 to 2024, today it is being said about those Matua votes that after the year 2000, their names will no longer remain on the voter list. So, after all this time, after coming from Bengal across the border all this while ago, they got their names on the voter list with much difficulty. So why from 2002 to 2024! If their votes are not valid, then, the Government is not valid either! *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): What is the point of order?

श्री सामिक भट्टाचार्य: सर, सबसे बड़ी माँग वही थी। देश की प्रधान मंत्री, जिनका नाम लिया जा रहा है, वही प्रधान मंत्री ...(**व्यवधान**)... प्रधान मंत्री का नाम क्यों लिया? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I will give my ruling at the end.

SHRIMATI MAMATA THAKUR: In 2012, the Foreigners Act was implemented in India. No Government in the country publicized this correctly. Consequently, in the last 70-75 years, countless people from Bengal across the border entered India. So for this situation, why should only the Bengalis, the sons of the soil of undivided India, be the victims? For the last 70 years, the Government gave those people all opportunities of civil rights. Whatever the law may be, can such a terrible event be caused on humanitarian grounds? Especially, these endangered people were not at fault for the partition of Bengal overnight. The Government of India, instead of protecting these helpless Bengali Hindus, has continuously put them in further danger..

*...(Interruptions)...** 12 crore people, Bengalis, will give an answer to this in the ballot box in the coming days.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): What is your point of order? *...(Interruptions)...*

श्री सामिक भट्टाचार्य: बंग्ला में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो मन में आएगा, बोल जाएंगे? ...(**व्यवधान**)... कोई समझ नहीं पा रहा है। ...(**व्यवधान**)... यहाँ पर वोट के नाम पर ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI MAMATA THAKUR: Sir, I want to tell you that the 11 documents, the 11 documents they are asking for, the Matuas don't have those 11 documents, no Hindu has them. Sir, I will request you, taking Matua votes and *...(Interruptions)...* I will say, Sir, that the Aadhaar Card should be included within those 11 documents. Thank you, Sir."

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, we are having a very good debate. It is a common courtesy that when a Member is speaking for three minutes, be it this side or that side, heckling from the back like this, Sir, should not happen. Please protect all the speakers. We are having a good debate. *...(Interruptions)...* What is this heckling, which is happening? What is this? *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Noted. *...(Interruptions)...* Yes, please. *...(Interruptions)...* Shri Samik Bhattacharya, you wanted to raise a point of order. It is the last point of order I am allowing you.

श्री सामिक भट्टाचार्य : सर, जिस मतुआ संप्रदाय का नाम लिया गया ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Is there a point of order? *...(Interruptions)...* What is the Rule? *...(Interruptions)...* What is the Rule number? *...(Interruptions)...*

श्री सामिक भट्टाचार्य: सर, जिसका नाम लिया गया ...(**व्यवधान**)... प्रधान मंत्री जी के नाम पर ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): No, no; this is not a point of order. *...(Interruptions)...*

श्री सामिक भट्टाचार्य: वे जितना भी हंगामा ...(**व्यवधान**)...

---

* Not recorded.

Contents Page

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I am moving on. *...(Interruptions)...* No; please sit down. *...(Interruptions)...* I am not allowing the point of order. Why are you screaming? *...(Interruptions)...* When I am now allowing him the point of order on this, why are you agitated? *...(Interruptions)...* I am no allowing him the point of order. *...(Interruptions)...* Listen to what I am saying. *...(Interruptions)...* I am not allowing him the point of order. *...(Interruptions)...* Listen to what I am saying at least. *...(Interruptions)...* I am not allowing him the point of order. *...(Interruptions)...* Listen to me. I am not allowing him the point of order. I have not allowed him. *...(Interruptions)...* Please go back to your seats. *...(Interruptions)...* Hon. Members, I am not allowing him the point of order. Why are we here? *...(Interruptions)...* Please go back to your seats. *...(Interruptions)...* Mr. Bhattacharya, please take your seat. We will move on. Thank you so much. Hon. Members, please, order in the House. *...(Interruptions)...* Everyone go back to their seats. Thank you so much. Order in the House. Thank you. Now, Shri Niranjan Bishi; not present. Now, Dr. Sarfraz Ahmad.

डा. सरफराज़ अहमद (झारखंड): सभापति महोदय, आप लोगों की दुआ से मैंने अपने राजनीतिक जीवन में चारों सदनों को मिलाकर 10-11 चुनाव लड़े हैं। मैं देख रहा हूं कि हम deterioration की तरफ चले जा रहे हैं। मतलब इसमें हम सब हैं, जिनकी सरकार हो या जिनकी सरकार नहीं हो या कल तक जिनकी सरकार थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश को चलाने के लिए संविधान लिखा, कानून लिखा, जिस पर हम लोग चल रहे हैं। Election code of conduct is a part of the Constitution. Free and fair election -- उसके अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, लिस्ट में जोड़ना है, किसको हटाना है आदि कार्य हैं। अगर हम ऐसी-ऐसी संस्थाओं को सही ढंग से जिंदा नहीं रहने देंगे, पीछे से ट्विस्ट करते रहेंगे, तो इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं बच पाएगी। मैं सभी के लिए यह बात कह रहा हूं।

सर, दोनों तरफ से अच्छे-अच्छे सुझाव आए हैं। हम लोग तो छोटी पार्टी के लोग हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम यह जानना चाहता हूं कि यह जो डिबेट हो रही है, तो अगर सरकार ने यह डिबेट कराने के बाद यह तय किया हुआ है कि इलेक्शन के कानून में कुछ सुधार लाने का प्रोग्राम है, तो बहुत अच्छी बात है और अगर केवल डिबेट करके पोलिटिकली कोई लाभ ले लें, तो यह बेकार हो जाएगा। दोनों ही तरफ से अच्छे-अच्छे सुझाव आए हैं। जो जीवित संस्थाएं हैं, उनको हमको जिंदा रखना चाहिए, उनको लाइफ देनी चाहिए, उनको मजबूती मिलनी चाहिए। इन सजेशंस को, जो अच्छे-अच्छे सजेशंस आए हैं, उनको इनकॉरपोरेट करके हमें एक रास्ता निकालना चाहिए, जो समय-समय पर इस मुल्क के लिए जरूरी समझा गया है और किया भी गया है।

सर, अब मिसाल के तौर पर मैं उदाहरण दे रहा हूं, नाराज होने की बात नहीं है। हर जगह जब-जब इलेक्शन आता है, तो यह घुसपैठिया, वह घुसपैठिया की बात आती है। फिर इलेक्शन

Contents Page

के बाद ...(**व्यवधान**)... सर, अगर घुसपैठिया है, अगर उसके पास वोटर आईडी है, तो हमारे वोटर आईडी पर किसकी मोहर रहती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रहती है कि नहीं रहती है? आप उसको वोटर आईडी देने के पहले सही ढंग से देख लीजिए कि वह वोटर आईडी लेने के लायक है? ...(**व्यवधान**)... आप मेरी बात सुनिए। स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, वोटर आईडी पर इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया की मोहर रहती है, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे इनकी सरकार हो।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please address the Chair. ...*(Interruptions)*... Hon. Member, please address the Chair.

डा. सरफराज़ अहमद: आप लोग पीछे से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ट्विस्ट करते हैं, जो कि गलत है, इस देश के लिए हानिकारक है। याद रखिए, करोड़ों-करोड़ जनता, इस देश की पूरी आबादी देख रही है कि ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। यह मत समझिए कि हम और आप बहुत अक्लमंद हैं कि इस हाउस में आ गए हैं और जो नहीं आए हैं, बाहर हैं, वे £ हैं। वे £ नहीं हैं। वे बदला बहुत हिसाब से लेते हैं। कभी इनसे लिया है, कभी आप से ले लेंगे, इसको याद रखिए। इसीलिए आप गलत काम, गैरकानूनी काम करने की कोशिश नहीं करें।

सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसको वोटर आईडी जांच करके देना है और जब दे दिया और अगर काट रहे हैं, तो हमारे एक साथी ने ठीक कहा कि उसको सफाई देने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वह बंगाल में हो, चाहे वह बिहार में हो। एक शॉर्ट पीरियड के अंदर आप सब कुछ जल्दी-जल्दी में करना चाहते हैं, क्योंकि आपको इलेक्शन कराना है। ये सब काम तो खाली टाइम में करने चाहिए। इसलिए इसको याद रखिए कि अगर हम गलत पद्धति को अपनाएंगे, गलत रास्ते को अपनाएंगे, गलत कानून बनाएंगे, तो यह मुल्क माफ करने वाला नहीं है। याद रखिए, लोग अभी भी टी.एन. शेषन की, के.जे. राव की चर्चा करते हैं, क्योंकि वे एक्ट करते थे। अगर कुछ गलत होता था, तो वे तुरंत रिएक्ट करते थे। * यही कारण है कि नेता लोग या हम लोग चुनाव में लोगों को रिझाने के लिए गलत-गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से नहीं होने चाहिए।

मैं अपने साथ-साथ सारे लोगों को कहता हूं, सारी पार्टियों को, बड़ी पार्टियों को, छोटी पार्टियों को, कि इस मुल्क में प्रजातंत्र को बचाना है, तो जो भी अच्छे सजेशंस आए हैं, आप उनको इनकॉरपोरेट करने के बाद इस पर फैसला कीजिए। अगर आप इस पर कुछ फैसला लेना चाहते हैं, अगर आप कोई नया रास्ता निकालना चाहते हैं, तो जो अच्छे-अच्छे सजेशंस आए हैं, फंडिंग के सजेशंस भी आए हैं, आप उनके ऊपर विचार कीजिए।

£ Expunged as ordered by the Chair.

* Not recorded.

Contents Page

अब एक तरफ बैलेट पेपर की बात आती है, एक तरफ ईवीएम मशीन की बात आती है। जब तक जिसको सूट किया, बहुत अच्छा। जब तक बैलेट पेपर हम लोगों को सूट किया, तो बहुत अच्छे ढंग से इलेक्शन हो रहा था, अभी ईवीएम मशीन सूट कर रहा है। फिर इसको स्टडी करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि न बैलेट पेपर से हो, न मशीन से हो। अभी एक सजेशन आया, माननीय सदस्य ने एक अच्छी बात कही कि जो वीवीपैट है, वह आप वोटर को दे दीजिए। रास्ता निकालिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसका कानून बना दीजिए। उसको दीजिए, वह देख ले और फिर उसे बक्से में डाल दे। इसी तरह के और भी सजेशंस आने वाले वक्त में आ सकते हैं। अभी काफी लोग बोलने वाले हैं। अगर आप इस सदन में या उस हाउस में इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो रिफॉर्म का मतलब आने वाली पीढ़ी को कोई अच्छा रास्ता दिखाइए, जिससे इस मुल्क में प्रजातंत्र बचे, डेमोक्रेसी बचे। यही हम लोगों का फ़र्ज़ है। यह नहीं हो कि इलेक्शन आया, तो यह कराओ, वह कराओ और फिर इलेक्शन खत्म, तो 5 साल फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया और एक-दूसरे पर दोषारोपण करते रहे। भारत की जनता ने हम लोगों को यहां इस तरह के काम के लिए नहीं बिठाया है। वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रही है। हम और आप नहीं जानते हैं कि एक-एक हिंदुस्तानी, किसी ना किसी सोर्स से, अपने मोबाइल पर देख रहा है कि हम लोग इस सदन के अंदर बैठ कर क्या कर रहे हैं और यहां किस तरह की बातें हो रही हैं। इसीलिए मैं सभी से कहूंगा कि अच्छी बातें कीजिए, मजबूत बातें कीजिए, deteriorating बातें मत कीजिए। इसका असर आगे आने वाली पीढ़ी पर निश्चित रूप से गलत पड़ेगा।

महोदय, चूंकि हमारे दल के एक और मेंबर इस पर बोलने वाले हैं, आप जब मौका दीजिएगा, वे बोलेंगे, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपको बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद! जय जोहार!

श्री निरंजन बिशी (ओडिशा): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, चुनाव सुधार पर चर्चा, जो कि हमारे संविधान, लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है, उसमें सबसे पहले मैं संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों को स्मरण करना चाहता हूं। बाबा साहेब का स्पष्ट मत था कि लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि जीवन पद्धति है और इसका वास्तविक आधार स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समावेशी निर्वाचन व्यवस्था है।

महोदय, हमारे संविधान ने चुनावों के संचालन हेतु एक सुदृढ़ एवं स्पष्ट ढांचा प्रदान किया है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के सौंपी गई है, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 325 और 326 निर्वाचन से लोकतंत्र की नींव को और सुदृढ़ करते हैं। अनुच्छेद 325 किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर मतदाता सूची से वंचित करने पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। विशेष रूप से अनुच्छेद 326 यह सुनिश्चित करता है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार रखता है। यह प्रावधान बाबा साहेब अम्बेडकर की राजनैतिक समानता की अवधारणा को साकार करता है।

Contents Page

महोदय, हमारे स्टेट ओडिशा में और सारे देश में migration labourers, जो स्थानांतरित होते हैं, पलायन करते हैं, वे वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाते हैं, मतदान से वंचित हो जाते हैं। चुनाव आयोग को उनके लिए भी वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करना होगा। जनरल इलेक्शन के टाइम पर जो वोट वर्जन करते हैं, सड़क की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, स्कूल की प्रॉब्लम या हॉस्पिटल की प्रॉब्लम को लेकर, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा उसका भी समाधान करके, भारत के नागरिक, गांव के लोग वोट दे पाएं, उसको भी सुनिश्चित करना जरूरी है।

महोदय, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं 1951 संविधान के अधीन निर्मित कानून हैं, जो मतदाता पंजीकरण, निर्वाचन प्रक्रिया एवं निर्वाचन संचालन को वैधानिक आधार प्रदान करते हैं। इन अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रिया का सतत परिष्करण निर्वाचन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व समावेशी बना सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र, EVM, VVPAT, विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं मतदाता जागरूकता अभियान - जैसे अनेक सुधारात्मक कदम उठाने जरूरी हैं। ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

श्री निरंजन बिशी: महोदय, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बार-बार संवैधानिक नैतिकता पर बल दिया और कहा कि संविधान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे लागू करने वाले लोग कितनी निष्ठा से उसके मूल्यों का पालन करते हैं। अतः निर्वाचन सुधारों का उद्देश्य संस्थाओं को सशक्त बनाना, प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और जनता का विश्वास मजबूत करना है, धन्यवाद।

5.00 P.M.

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और पार्टी नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ कि 'इलेक्ट्रोरल रिफॉर्म्स' के इस डिस्कशन में मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, जब चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है, तो स्वाभाविक है कि इसका मतलब चुनाव की विसंगतियाँ से चुनाव को बाहर निकाला जाए। यह प्रयास आज से नहीं, बल्कि जब से हम लोगों का संविधान बना और 1952 में जब पहला चुनाव हुआ, उस समय से यह प्रयास चलता रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ, उसके बाद उस समय के प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने चुनाव आयुक्त को पत्र लिख कर उनसे उस चुनाव पर रिपोर्ट मांगी थी। यह कहते हुए कि ऐसे तो आम चुनाव बहुत सफल हुआ है, लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कई विसंगतियाँ भी देखी गई हैं, इसलिए इस पर मैं आपकी रिपोर्ट चाहता हूँ। उसके बाद फिर उस पर करेक्टिव मेजर लेने के बारे में सरकार सोचती है। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जमाने में, जिस समय सीधे तौर पर लोग न्यायालय जाते थे, क्योंकि कलेक्टर, एसपी, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उनका चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेही नहीं रहती थी, उसको उन्होंने ठीक किया। फिर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी अपने जमाने में, जो मताधिकार के लिए 21 साल की उम्र थी, जिसको लेकर बीच में छात्र आंदोलन हुआ और छात्र आंदोलन के बाद हर जगह से इसके लिए आवाज उठने लगी, विश्वविद्यालयों से, वकालतखाने

से, सब जगह से यह आवाज आने लगी कि इसके लिए उम्र 21 की जगह 18 होनी चाहिए। वह भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जमाने में ही, जो आज सरकार की तरफ से कई वर्षों से हमेशा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात हो रही है, 'नारी वंदन' और इसी तरह से कुछ-कुछ नारे लगाए जाते हैं, लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उस समय अपने कार्यकाल में 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण ग्राम पंचायतों में, जिला पंचायतों में देने का काम किया।

अब चुनाव सुधार के सिलसिले में उस तरफ से जो दो बड़े संशोधन हुए, उनमें से पहला इलेक्ट्रोरल बॉन्ड है। जो चंदा का जिक्र अजय माकन साहब ने, सुरजेवाला साहब ने किया और उसकी एक ऐसी स्थिति बन गई कि एक पार्टी के खाते में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा आया और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जो नेशनल पार्टी है, उसके खाते में केवल उसका लगभग 1 परसेंट यानी 135 करोड़ रुपए आया। बाबा साहेब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी का संविधान को एक level playing field बनाने का मकसद था, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि एकतरफा चुनाव होना है। महोदय, मैं बिहार से आता हूँ और मैंने बिहार में देखा है कि इस बार किस तरह से चुनाव हुआ है। * मैं उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ, लेकिन धन आप दाएं हाथ से बांटिए, बाएं हाथ से बांटिए, धन तो धन ही है और चुनाव के समय में जो धन दिया जाता है, उसको घूस के रूप में माना जाता है। दूसरे राज्यों में जब चुनाव के समय में इसी तरह के बड़े फैसले हुए, तो चुनाव आयोग ने उन पर रोक लगाई, लेकिन बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होना था, *...(**व्यवधान**)... आप भी बोल लीजिएगा, उसमें क्या है। ...(**व्यवधान**)... मेरे जो दो सहयोगी हैं, उनका बिना बोले ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: ये आपसे सहमति जता रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: अगर सहमति जता रहे हैं, तब तो ठीक है। तब वापस आने का हो सकता है। ...(**व्यवधान**)... * महोदय, एक समय था, जब बिहार और उत्तर प्रदेश में बूथ लूटा जाता था, वह कम से कम दिखाई पड़ता था। *

महोदय, मैं आपको बता दूँ, आप दुनिया का इतिहास देख लीजिए। लोकतंत्र जब-जब लहूलुहान हुआ है, जब-जब लोकतंत्र पर ग्रहण लगा है, जब-जब dictatorship आई है, तब वह बैलेट के रास्ते आया है, जिसका जिक्र दिग्विजय बाबू ने भी किया, चाहे वह हिटलर का समय हो या ब्राजील या लैटिन अमेरिकी देशों का उदाहरण हमारे सामने है। मैं इस सदन और सदन के बाहर के लोगों को कहना चाहता हूँ कि "How Democracies Die" नामक एक 320 पृष्ठों की किताब है। हालांकि, मैंने भी उसे अभी पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन जब यह चर्चा शुरू हुई थी, तब तक मैंने उसको आधी जरूर पढ़ी है। इस पुस्तक के लेखक Steven Levitsky and Daniel Ziblatt हैं। यह बहुत ही अच्छी किताब है। मैंने इसे पढ़ी है। इस किताब में वे साफ-साफ लिखते हैं कि 21वीं शताब्दी में लोकतंत्र को खतरा गोली, बारूद, क्रांति या हिंसा से कम, बैलट से अधिक हुआ है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने वाले लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर बनाते हैं। *

---
* Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): You cannot take the name. We will have just to edit that name. We have to delete.

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: *प्रधान मंत्री जी de-colonisation की बात इस हाउस में और उस हाउस में बढ़-चढ़कर करते रहे हैं, जो कि स्वागत-योग्य है। पश्चिम के प्रभाव से मुक्ति तो ठीक है, पर पश्चिम की तरफ झांकना भी बंद नहीं करना चाहिए। वहां institutions को strong किया जाता है, इसीलिए ट्रंप जैसे लोगों के आने के बाद भी वहां की संस्थाएं राजनीतिक व्यवहारों से अप्रभावित रहती हैं। वैसी स्थिति में भी संस्थाएं ठीक से चल रही हैं, लोगों के welfare State के काम हो रहे हैं, * उससे देश फिर से हम लोगों के जमाने, 1995 के टी. एन. शेषन को याद कर रहा है, जब ये चुनाव हो रहे हैं। हम लोग टी. एन. शेषन और आज के जमाने के अंतर को भी देख रहे हैं। यह अंतर लोकतंत्र के पराभव को दिखाता है। रोज भावनात्मक मुद्दों को उठाकर देश का ध्यान हटाया जाता है। मूल मुद्दों को आपने 2014 में जहां छोड़ा था, वे 2025 में भी वहीं के वहीं हैं। नेहरू जी, इंदिरा जी की बेबुनियाद आलोचनाओं से आप अपनी शख्सियत नहीं साबित कर सकते हैं। *

सर, मैं बिहार से आता हूँ। मेरे एक मित्र ने उसकी कुछ चर्चा की थी। यह postal ballot भी कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ था। यह postal ballot वे लोग करते हैं, जो मिलिट्री में काम करने वाले लोग हैं, एयरफोर्स में काम करने वाले लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, जो और कहीं दूर नौकरी करते हैं। *

SHRI PRAMOD TIWARI (Rajasthan): Just a second. Sir, the remaining time of the Congress Party should be given to Akhilesh ji.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Do you not have any other speaker from your Party?

SHRI PRAMOD TIWARI: No, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Is he the last speaker from your Party?

SHRI PRAMOD TIWARI: I am giving all the time to Akhilesh ji.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Okay. ...(*Interruptions*)... Please continue.

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: * यह स्थिति है। इस स्थिति में मैं इलेक्शन कमीशन के सामने 6 सवाल रखना चाहता हूं। मैं चुनाव आयोग से 6 मूलभूत सवाल पूछना चाहता हूं और जवाब इस सदन के पटल पर रखे जाने चाहिए,* पहला सवाल है कि क्या चुनाव आयोग को वोटर आईडी कार्ड और

* Not recorded.

Contents Page

आधार कार्ड को सबूत मानने से इन्कार करना चाहिए? जवाब—नहीं। क्योंकि आधार और वोटर आईडी कार्ड कई वर्षों से गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, दिहाड़ी मजदूरों और वंचित वर्गों की पहचान रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग को अपनी कानूनी जिम्मेदारियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना पड़ेगा? जवाब—नहीं। क्योंकि यह उनकी कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी है। तीसरा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग पर यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह उन लाखों नामों की सूची सार्वजनिक करे व बार-बार एडवर्टाइज़ करे, जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं? जवाब—हाँ। इसके बावजूद बिहार में 65 लाख काटे गए नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही जारी की गई है। चौथा सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग को मशीन-रीडेबल वोटर लिस्ट जारी नहीं करनी चाहिए? जवाब—हाँ। क्योंकि लोकतांत्रिक शुचिता की यही गारंटी है। पाँचवां सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग को नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने के लिए BLOs को केवल एक दिन की ट्रेनिंग देनी चाहिए? जवाब—नहीं। क्योंकि अगर एक भी वोटर गलत तरीके से काट दिया गया या जोड़ दिया गया, तो चुनाव की शुचिता समाप्त हो जाएगी * छठवां सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग नागरिकता का निर्णय कर सकता है? जवाब—नहीं। मैं यह सदन के पटल पर रखता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri Arjun Ram Meghwal.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: उपसभापति जी, सर्वप्रथम चुनाव सुधार जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा हो रही है, उस पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सुधारों के इस कालखंड में चुनाव सुधार से संबंधित चर्चा के दौरान जो विषय उठकर सामने आए हैं, मैं वे विषय एक बार आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

एक विषय यह आया कि चुनाव आयोग ने Commissioner और Chief Election Commissioner की नियुक्ति की जो समिति में मुख्य न्यायधीश क्यों नहीं रखा गया? यह विषय डिस्कशन के दौरान आया। दूसरा विषय आया कि 2023 में Chief Election Commissioner और Commissioner को immunity क्यों दी गई? यह विषय आया। तीसरा विषय यह आया कि EVM मशीन की जगह मतदान ballot paper से कराए जाएं। यह विषय भी आया। SIR जरूरी क्यों है, यह विषय भी आया और चुनाव आयोग द्वारा SIR कराने की constitutional authority है क्या? यह विषय भी आया। लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, यह विषय आया। संविधान बदल रहे हैं, यह विषय भी आया और CCTV footage के संबंध में नियमों को क्यों बदला गया, यह विषय भी आया। जो सभी चर्चा के बिंदु हैं, वे इन्हीं विषयों के आस-पास ही घूम रहे हैं। मैं इन सबका जवाब देने की कोशिश करूंगा।

* Not recorded.

Contents Page

उपसभापति महोदय, इन चुनाव सुधार का जो विषय है, यह नया विषय नहीं है। हमारा देश लोकतंत्र की जननी के रूप में पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनावी प्रक्रिया इस लोकतंत्र को निरंतर पुष्पित और पल्लवित करती आ रही है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हर सेक्टर में reform, perform और transform के मंत्र पर चलकर विकसित भारत के निर्माण की ओर तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। Reform express – यह खाली चुनाव के क्षेत्र में reform हो, ऐसा नहीं है, बल्कि नरेन्द्र मोदी जी हर क्षेत्र में reform कर रहे हैं। इसलिए reform की एक्सप्रेस है। इस पर यात्रा करते हुए जब हम चुनावी सुधार के परिप्रेक्ष्य में चिंतन, मनन और मंथन करते हैं, तो संविधान के लागू होने के 75 वर्षों की स्वतंत्र भारत की गौरवमयी यात्रा तथा हमारी हजारों वर्षों की collective wisdom को संजोने वाली ऐतिहासिक विरासत में बेहतर भविष्य हेतु प्रेरणा देती है।

उपसभापति जी, मैं चुनाव सुधारों की चर्चा को दो भागों आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में बांटना चाहता हूं। अभी कांग्रेस के कई साथियों ने आज़ादी से पहले के कालखंड में चुनाव सुधारों का 1919, 1935 और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी उल्लेख किया। मैं उनकी भी चर्चा करूंगा। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो लोकतांत्रिक भावनाएं हमारी सभ्यता के लोकाचार का अभिन्न अंग है। वैशाली, लिच्छवी और शाक्य जैसे निर्वाचित गणतांत्रिक शहर 500 साल पहले भारत में विकसित हुए। यहीं लोकतांत्रिक प्रणाली की भावना 10वीं शताब्दी के उत्तिरमेरूर शिलालेख में दिखाई देती है, जिसने लोकतांत्रिक भागीदारी के सिद्धांतों को संहिता का रूप दिया। इसी लोकतांत्रित भावना और लोकाचार ने प्राचीन भारत को सबसे समृद्ध भूमि बना दिया था। सदियों का औपनिवेशिक शासन भारतीय लोगों की लोकतांत्रिक भावनाओं को दबा नहीं सका, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डा. बी.आर. अम्बेडकर जी ने 27 जनवरी, 1919 को Southborough Franchise Committee के सामने evidence प्रस्तुत करते समय सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की प्रभावशाली वकालत की थी। उन्होंने मताधिकार के मूलभूत पहलुओं को बताते हुए ये सारी बातें कहीं थी कि अगर popular Government है, तो universal adult franchise होना चाहिए। इसका उल्लेख एक जगह हमारे कांग्रेस के साथ रणदीप सुरजेवाला जी ने किया। बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रथम Round Table Conference में 22 दिसंबर, 1930 को भी सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार की वकालत करते हुए कहा था और उन्होंने वकालत की थी कि universal adult franchise होना चाहिए। इसी प्रकार 19 जनवरी, 1931 को एक Round Table Conference का plenary session था। उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। यह उस समय की डिबेट है, जो बाबा साहेब ने उस संबंध में रखी थी। मैं उस संबंध में थोड़ी चर्चा बाद में भी करूंगा। अब यहां एक विषय आता है कि ये सारी चीज़ें बाबा साहेब करते जा रहे थे कि universal adult franchise होना चाहिए और जब संविधान बन रहा था, तब भी बाबा साहेब ने कहा कि हमें एक प्रिंसिपल पर चलना चाहिए। वह भी इलेक्शन रिफॉर्म का आधार है। यह 'वन पर्सन, वन वोट और वन वैल्यू' है। हमारे पूरे संविधान का ढांचा, मताधिकार का सिस्टम और लोकतंत्र इसी पर खड़ा है।

महोदय, अब एसआईआर में - बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का यह जो प्रिंसिपल - 'वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू' - इसमें यही होना चाहिए। जो अपात्र लोग हैं, वे सूची से बाहर

होने चाहिए और जो पात्र लोग हैं, वे सूची के अंदर आने चाहिए। यही एसआईआर है। इसके अलावा और क्या एसआईआर है? अगर यह नहीं है, तो फिर यह समझ में नहीं आता है! आप बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की वकालत करते हैं, लेकिन जो एसआईआर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के उस प्रिंसिपल के आधार पर हो रहा है, जो कि 'वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू' पर आधारित है, आप उसका विरोध करते हैं। मुझे इनके वक्तव्यों में यह विरोधाभास समझ रहा है, इसलिए आपको कोई रूलिंग देनी पड़ेगी।

महोदय, विरोधाभास कैसा है – मैं आगे इस पर आऊंगा। मैं आगे एक और बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि इन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का कई बार जिक्र किया, लेकिन उपसभापति जी, मेरी तो यह समझ में नहीं आता कि जब बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जिंदा थे, इस संसार में थे, सार्वजनिक जीवन में थे, तब कांग्रेस ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं किया हो। उन्होंने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा, फिर ये कैसे बात कर रहे हैं? ...(**व्यवधान**)... उन्होंने कैंडिडेट खड़ा करके उनको 1952 का चुनाव हरवाया। 1953- 54 का भंडारा का जो बाय-इलेक्शन चुनाव था, उन्होंने वह भी हरवाया। ...(**व्यवधान**)... हाँ, उन्होंने 1952 का चुनाव भी हरवाया और भंडारा का चुनाव भी हरवाया। ...(**व्यवधान**)... यह तो कांग्रेस ने उनके जीते जी किया कि हम बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को लोकसभा में नहीं आने देंगे। ...(**व्यवधान**)... यह तो उन्होंने जीते जी किया, लेकिन जब बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का महा परिनिर्वाण हो गया था, उसके बाद भी लंबे समय तक उन्हें 'भारत रत्न' नहीं दिया।

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): उपसभापति जी, ये क्या कह रहे हैं?

श्री उपसभापति: आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर, ये जिनका यह जिक्र कर रहे हैं, जिनके क्वोट पढ़ते हैं –मुझे तो शर्म आती है कि ये बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के क्वोट्स पढ़ रहे हैं, जबकि इन्होंने 1989-90 तक बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को 'भारत रत्न' नहीं दिया।

महोदय, संसद का सेंट्रल हॉल, जहाँ बैठकर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, इन कांग्रेस के लोगों ने कहा – महोदय, मेरे पास लेटर है – इन्होंने कहा कि संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का चित्र लगाने के लिए जगह नहीं है। यह बाबा साहेब की बात कैसे कर रहे हैं? कई बार तो मुझे वह क्वोटेशन याद आती है, जो इस प्रकार है, *'सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।'* - शायद ही ऐसा कुछ इनका एक विषय है।

महोदय, मैं फिर से बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर आता हूं। एक विषय, जो उन्होंने रखा, वह यह था कि महिला और पुरुष, दोनों को एक साथ बराबर अधिकार दे दो। हमारी संविधान सभा में यह विषय भी बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने ही रखा था। मैं जब वोटिंग राइट की जब बात करता हूं, तो बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा, कुछ लोगों ने

Contents Page

कहा – उस समय, संविधान सभा में कांग्रेस के ही अधिकतर साथी थे, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में महिलाओं को लेट अधिकार मिला, संघर्ष करना पड़ा, दो बार संघर्ष किया तब जाकर महिलाओं को अधिकार मिला – 1918 एवं 1928. उन्होंने यह भी कहा कि यूएसए जैसे देश में महिलाओं को बहुत लेट अधिकार मिला। जब उसमें 144 साल लगे, तब हम यहां एक साथ क्यों दे रहे हैं? बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अगर आप वयस्क मताधिकार नहीं देंगे, तो हम लोकतंत्र को पल्लवित और पुष्पित कैसे करेंगे? हमारे बाद बहुत से देश आज़ाद होंगे, भारत जो नेतृत्व देना चाहता है, अब आजाद होने वाले देश हैं, इसलिए आप सबको एक साथ अधिकार दे दो। मैं इस सदन से यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया है, तो उनका नाम है - बाबा साहेब बी. आर. अम्बेडकर। लेकिन ये अपने आप ही खुद को क्लेम कर रहे हैं। महोदय, ये कैसे क्लेम कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है?

श्री जयराम रमेश : महोदय, आप 1928 की रिपोर्ट देखिए।

श्री उपसभापति : आपस में बात मत कीजिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मैं अब इलेक्शन कमीशन पर आता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश : सर, ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down, Jairam Ramesh *ji*. आप बैठकर करेक्ट मत कीजिए। Nothing will go on record.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सर, मैं इलेक्शन कमीशन पर आता हूं। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। ...(**व्यवधान**)... 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने एक दिन पहले, 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग का गठन किया। चुनाव आयोग को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कितना महत्व दिया! यह बात इसलिए भी समझनी चाहिए कि संविधान निर्माताओं के लिए इलेक्शन कमीशन कितनी महत्वपूर्ण संस्था थी। अब चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्टोरल रोल बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

संविधान के अंतर्गत ही इलेक्टोरल रोल की तैयारी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए संचालित निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ये पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग एसआईआर क्यों करा रहा है, उसे शक्तियाँ कहाँ से मिलीं? मुझे लगता है कि विपक्ष के कई साथी संविधान लेकर चलते तो हैं, पर संविधान में लिखा क्या है, यह पढ़ते नहीं हैं। यह समस्या है। यह आर्टिकल 324 में ही लिखा हुआ है। इसके बाद रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1950, जिसे हम आरपी एक्ट, 1950 कहते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 आए, जिसे हम आरईआर, 1960 कहते हैं। चुनाव आयोग को उसके द्वारा भी शक्तियाँ दी गई हैं। ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सांसद: राहुल गांधी जी ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: पढ़ लिया तो इसमें लिखा हुआ समझ में क्यों नहीं आता है?

उपसभापति महोदय, इसकी कार्यप्रणाली पर संसद में चर्चा का प्रावधान नहीं है। हमने पिछले सेशन में जब यह कहा तो इन्होंने हल्ला किया कि यह चर्चा क्यों नहीं कर सकते। साहब, इन्हीं के ही स्पीकर थे - बलराम जाखड़ साहब - उन्होंने लोकसभा में एक रूलिंग दी कि हम इलेक्शन कमीशन की कार्य प्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन ये माने ही नहीं - हम तो इसी पर चर्चा करेंगे, एसआईआर पर ही चर्चा करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर ही चर्चा करेंगे। इसलिए अब इलेक्शन रिफॉर्म्स एक नया सब्जेक्ट आया है और चर्चा हो रही है। इस पर लोकसभा में भी अच्छी चर्चा हुई, राज्यसभा में भी अच्छी चर्चा हो रही है। सुझाव आ रहे हैं, जिन्हें हम नोट कर रहे हैं। सर, आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स विषय पर चर्चा की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ।

महोदय, अब मैं बाबा साहेब ने संविधान सभा में 25 नवम्बर, 1949 को जो कहा, जिसका ज़िक्र हमारे सुरजेवाला जी कर रहे थे, उसे मैं भी कहना चाहता हूँ। I quote, "On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality; and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of 'one man, one vote and one value'. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of 'one man, one value'. How long shall we continue?" बाबा साहेब यह संविधान सभा में कह रहे थे। साहब, इन्होंने कितने वर्ष शासन किया? मैं तो ग्रामीण व्यक्ति हूँ, गाँव से आता हूँ। एक आदमी का घर कच्चा है और एक का पक्का - इन्हें यह दिख नहीं रहा था! एक के घर में शौचालय, एक के घर में नहीं - सर, इन्हें नहीं दिखा था! एक गाँव में लाइट, दूसरे गाँव में लाइट नहीं - इन्हें नहीं दिखा था! एक आदमी इलाज करा रहा है, दूसरा आदमी इलाज के लिए तरस रहा है - इन्हें नहीं दिखा था! एक के घर में नल से जल और एक बहुत दूर से पानी ला रहा है - इन्हें नहीं दिखा था! ये किस मुँह से बाबा साहेब की बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली - ऐसी बात इनके मुँह से निकल रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि यह इलेक्शन रिफॉर्म्स का विषय नया नहीं है। इसके लिए 1974 में तारकुंडे कमेटी बनी थी। उसके द्वारा चुनाव आयुक्त की अपॉइंटमेंट से संबंधित सुझाव दिए गए। शायद इन्होंने ये फाइलें पढ़ी नहीं हैं। इन्होंने 1991 में एक अमेंडमेंट किया। तारकुंडे कमेटी यह कह रही थी कि आप अपॉइंटमेंट के संबंध में भी प्रावधान डाल दीजिए। इन्हें नेहरू-गांधी परिवार से संबंधित किसी अच्छे आईएएस ऑफिसर को चुनाव आयुक्त बनाना था, तो इन्होंने उसमें अपॉइंटमेंट की बात डाली ही नहीं! इन्होंने 1991 में अमेंडमेंट तो किया, उनकी सैलरी क्या होगी, उनकी अवधि क्या होगी, रिटायरमेंट के बाद क्या सुविधा मिलेगी - यह सब तो डाल दिया, लेकिन अपॉइंटमेंट कैसे होगा, यह डाला ही नहीं! इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। बरनवाल साहब इसे सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए कि संविधान में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट इसके लिए अपॉइंटमेंट से संबंधित कानून बनाए। वे यह कह रहे हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट का

Contents Page

डिसीजन था। सर, वह स्टॉप गैप अरेंजमेंट था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाए, तब तक यह समिति काम करेगी। संसद में अब कानून बन गया है, तो हम तो संविधान के अनुसार ही काम कर रहे हैं। आप संविधान के विरोध में बोल रहे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। *

श्री उपसभापति: चुनाव आयुक्तों की चर्चा न करें।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सर, नहीं करेंगे ठीक है, लेकिन इन्होंने की, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: *...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: हम यह कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्तों की चर्चा हम न करें। ...(**व्यवधान**)... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... We would take care of that.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: आप करो तो ठीक है, हम करें तो गलत, यह कैसा विरोधभास है! इसमें तो आपको रूलिंग देनी पड़ेगी। ...(**व्यवधान**)... अब आप देखिए, गोस्वामी कमेटी आई है। वह इलेक्शन रिफॉर्म्स पर ही थी। इन्होंने क्या किया? मैं 1974 के Tarkunde Committee का जिक्र कर रहा हूँ और 1990 में Goswami Committee on Electoral Reforms आई। उसके बाद 1993 में Vohra Committee आई, जिसने कहा की इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए एक जाल बुना हुआ है। वोटर लिस्ट में मतदाता, अपराधी लोग भी आ रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब N.N. Vohra Committee ने कहा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस पर कोई काम ही नहीं किया और ये हमें कह रहे हैं! ये सब से रिपोर्ट्स तो इन्हीं के समय आई थीं। उसके बाद Indrajit Gupta Committee भी इनके समय में आई। उसके बाद Law Commission की रिपोर्ट आई। उसके बाद जब 2014 में मोदी जी आए, तब ये सुधारों का कालखंड, चुनाव के सुधारों का कालखंड शुरू हुआ। आप देखिए, विधि आयोग की 244वीं, 255वीं रिपोर्ट में आपराधिक उम्मीदवारों पर कड़े प्रावधान, असत्य हलफनामों पर अयोग्यता और चुनाव खर्च में पारदर्शिता की सिफारिशें दीं। ये हमारे पीरियड में लागू हुई हैं। सर, यह फॉर्म 26 देख लो, यह क्या है – यह चुनाव सुधार से संबंधित है और मोदी जी के कालखंड में ही है। फॉर्म 26 में लगातार संशोधन करके उम्मीदवारों की आय के स्रोत, सोशल मीडिया पर विवरण, कर रिटर्न्स और offshore संपत्ति का खुलासा अनिवार्य किया गया है। यह किसने किया – यह मोदी जी ने किया। 2019 में VVPAT - जिसका ज़िक्र बार-बार आया, Voter Verified Paper Audit Trail – इसको EVM के साथ लागू किया। यह सुधार भी इसी पीरियड में हुआ।

महोदय, 106वां संविधान संशोधन 2023 – प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आधी आबादी महिलाओं को समान अधिकार देने के प्रयास और उनकी समान राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी संसद में पास किया गया। 33 परसेंट सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व की गईं, यह भी election reform है। वन नेशन, वन इलेक्शन की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमिटी बनी। उसने अपनी रिपोर्ट दी। अब ये वन नेशन, वन इलेक्शन का भी विरोध कर

* Not recorded.

Contents Page

रहे हैं। 1952 में चुनाव लोक सभा और विधान सभा का एक साथ, 1957 का चुनाव लोक सभा और विधान सभाओं का एक साथ, 1962 का चुनाव लोक सभा और विधान सभाओं का एक साथ, 1967 का चुनाव लोक सभा और विधान सभाओं एक साथ – यह तब तो ठीक था और हम करें, तो कोई गलत है! आप करो तो ठीक और हम करें तो खराब - सर, यह कैसा विरोधाभास है! सर, आपको इसमें थोड़ी रूलिंग देनी पड़ेगी। ...(**व्यवधान**)...

अब आप एसआईआर पर देखिए। 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधान मंत्री थे, तब एसआईआर हुआ। पहला तो 1952 में हो गया था। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 1961 में तीसरा हुआ। जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधान मंत्री बने, तब एसआईआर 1965 और 1966 में हुआ। फिर जब इंदिरा जी प्रधान मंत्री थीं, तब 1983-84 में एसआईआर हुआ। जब राजीव गाँधी जी प्रधान मंत्री थे, उस समय 1987 और 1989 में एसआईआर हुआ। जब पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधान मंत्री थे, 1992 और 1995 में तब भी एसआईआर हुआ। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी थे, तब भी 2002 और 2024 में एसआईआर हुआ। एसआईआर होता रहा है। ये करें तो ठीक और मोदी जी करें, तो खराब। सर, यह कैसा विरोधाभास है! सर, इसकी रूलिंग तो आपको देनी ही पड़ेगी। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति महोदय, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने 24 जून, 2025 को ...(**व्यवधान**)... परिस्थितियां क्या हैं? Special Intensive Revision करने का आदेश दिया, जिसकी शुरुआत बिहार राज्य से हुई। ...(**व्यवधान**)... महोदय, मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने 24 जून, 2025 देश भर में Special Intensive Revision करने का आदेश दिया, जिसकी शुरुआत बिहार राज्य से हुई, जहाँ विधान सभा चुनाव उस समय प्रस्तावित थे।

दूसरे चरण में 27 अक्टूबर, 2025 को जारी निर्देशों के माध्यम से चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर कराने का निर्णय किया है, जिनमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि निर्वाचन आयोग को पूरे देश में मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया संचालित करने का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। सर, यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ये बहस करते समय कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला? मैं तो आपको ऑथेंटिकेट करके दे दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको वैधानिक-संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। फिर भी आप उन पर सवाल उठा रहे हैं!

सर, एक वोट चोरी का विषय आया। बाबा साहेब का ज़िक्र आया, इसलिए बाबा साहेब के केस से ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि वोट चोरी होती क्या है। सर, 1951 में बाबा साहेब ने मुम्बई नॉर्थ से आम चुनाव लड़ा। आप सभी को जान कर आश्चर्य होगा कि इस चुनाव में बाबा साहेब मात्र 14,561, I repeat, Sir, 14,561, बाबा साहेब 14,561 वोटों से हारे, लेकिन कांग्रेस की ईर्ष्या, बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति उनकी दुर्भावना के चलते 74,333 वोट इन्होंने खारिज

करवा दिए और दलित समाज की भावनाओं को आहत किया। 1951-52 के चुनाव में पूरा दलित समाज चिंतित हुआ कि बाबा साहेब हार गए, बाबा साहेब चुनाव हार गए! पूरा दलित समाज आहत हुआ। ...(**व्यवधान**)... हां, हारे! ...(**व्यवधान**)... मैं आगे कह रहा हूं, दलित समाज ने ऐसा सोचा कि हार गए! बाबा साहेब ने क्या किया? ...(**व्यवधान**)... बाबा साहेब ने क्या किया? ...(**व्यवधान**)... बाबा साहेब ने आगे क्या किया? ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, Athawale*ji*. ...*(Interruptions)*... Please sit down.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: रेड्डी साहब, मैं आपकी बात ही कह रहा हूं। बाबा साहेब ने आगे क्या किया? सर, मैं डेट दे रहा हूं। 21 अप्रैल, 1952 को डा. बी.आर. अम्बेडकर साहेब ने 18 पन्नों की एक याचिका दायर की। अब कैसे नाम ले रहे हैं? याचिका। सोचिए, बाबा साहेब ने संविधान बनाया, उसी संविधान निर्माता को कांग्रेस और एक परिवार ने चुनाव में धांधली करके हरवा दिया। यह चुनाव भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण है। आगे तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। लेकिन जब बाबा साहेब ने चुनाव आयोग में 18 पन्नों का एक रिप्रेजेंटेशन दिया, -- सर, मैं इसे लेकर आया हूं। यह 18 पेज का है -- जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव में धांधली हुई है। संविधान निर्माता चुनाव आयोग को कह रहा है! सर, ये कोई कारवाई नहीं कर रहे हैं! ये हमें क्या कह रहे हैं, हमें क्या सिखा रहे हैं? संविधान निर्माता, बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर चुनाव आयोग को अर्जी देते हैं, ज्ञापन देते हैं कि ये मेरी रिप्रेजेंटेशन है, हमें सुनिए। ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और उल्टा निर्देश देते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं करना! सर, ये कैसी बात कर रहे हैं?

सर, अब दूसरा चुनाव, 1971, इसको देखिए। सर, राजनारायण जी को आप भी जानते हैं। यह चुनाव रायबरेली में हुआ। प्रधान मंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा जी द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के इलेक्टोरल मालप्रैक्टिसेज़ की घटना वोट चोरी का सबसे घिनौना कृत्य है। हाई कोर्ट ने भी माना कि इन्होंने भ्रष्टाचार-दुराचरण करके चुनाव जीता। फिर ये हमें वोट चोरी के विषय में कह रहे हैं! सर, यह तो डॉक्यूमेंटेड है।

सर, तीसरा। सोनिया गांधी जी, जिन्होंने भारत की नागरिकता 1983 में ग्रहण की, वोटर लिस्ट में उनका नाम पहली बार 1980 में ही आ गया। ...(**व्यवधान**)... नागरिकता तो बाद में ग्रहण की और वोटर लिस्ट में नाम आ गया 1980 में! ...(**व्यवधान**)... अभी किसी कोर्ट ने सोनिया गांधी जी को इस पर नोटिस भी जारी किया है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : माननीय मेघवाल जी, एक point of order है। ...(**व्यवधान**)... He has to yield. ...*(Interruptions)*...

श्री अर्जुन राम मेघवाल : इसलिए हमारे एक क्षेत्र में ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्रमोद जी, क्या आपका point of order है? ...(**व्यवधान**)... माननीय प्रमोद जी का point of order है।

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Under which rule? ...*(Interruptions)*...

श्री प्रमोद तिवारी: सर, यह रूल 238 के तहत है। ...(**व्यवधान**)... माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो बात अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे, यह पूर्णतः गलत, तथ्यों से अलग ... ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: रूल 238 इसके ऊपर नहीं है, प्लीज़।

श्री प्रमोद तिवारी: नहीं, आप मेरी बात तो सुनें। "जब किसी सदस्य के प्रति आरोप लगाया जाएगा, तो उसकी पूर्व सूचना आपको दी जाएगी और उस सदस्य को दी जाएगी।" न सदस्य को सूचना है, न आपको सूचना है और वे आरोप लगा रहे हैं। इसलिए यह कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैंने क्या कहा, कुछ नहीं कहा। ...(**व्यवधान**)... मैंने तो कहा कि एक कोर्ट ने अभी उनको नोटिस भी दिया है। सर, मैंने तो इतना ही कहा। ये तो ऐतिहासिक तथ्य हैं कि उन्होंने 1983 में नागरिकता ग्रहण की, जबकि वोटर लिस्ट में उनका नाम 1980 में आ गया। यह तो ऐतिहासिक तथ्य है, साहब। इसको कैसे झुठला सकते हैं? मैं ऑथेंटिकेट करके भी दे दूंगा। कभी-कभी मुझे याद आता है, जो हमारे राजस्थान में एक कहावत है। पता नहीं, वह आपके यहां है या नहीं – "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे" ...(**व्यवधान**)... यह सब जगह है। ...(**व्यवधान**)... सब जगह है। मुझे सुधांशु जी की वह बात भी याद आ गई कि "नाच न जाने, आंगन टेढ़ा।" मैं कोई शेरो-शायरी करने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे गालिब का एक शेर तो जरूर याद आ रहा है, जो मैं उनको सुना देता हूं।

सर, गालिब एक बहुत मशहूर कवि थे, शायर थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी उनके पास गया और कहा कि मैं काम तो बहुत करता हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। तब उन्होंने सुनकर छोड़ दिया। वह आदमी दूसरी बार फिर उनके पास गया और बोला कि आपने मुझे बताया नहीं, मैं तो आपसे पूछने आया हूं कि मैं काम तो बहुत करता हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। तब गालिब ने जो कहा - वह मेरा नहीं है, गालिब का है कि:

"उम्र भर इस भूल में जीते रहे गालिब,
धूल चेहरे पे थी और हम आईना ही पोंछते रहे।"

सर, ...(**व्यवधान**)... बहुत जोर से आईना पोंछा। ...(**व्यवधान**)... आईना पोंछा, लेकिन चेहरे की जो धूल थी, वह तो मिटी नहीं। ...(**व्यवधान**)... इनका चेहरा खराब था। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: प्लीज़... प्लीज़, आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप बैठिए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: हां, मेहनत कर रहे हैं। SIR के लिए बिहार में जा रहे हैं। अभी संजय झा जी यहाँ नहीं हैं। दोनों एक साथ मेहनत कर रहे हैं। भाई, मेहनत तो हमने खूब की, लेकिन क्या हुआ? भाई, आपने मेहनत सही जगह पर नहीं की। ...(**व्यवधान**)... सर, इलेक्शन में जनता नेताओं का चेहरा देखती है। नेता, नीति और नीयत – जब ये तीनों चीजें ठीक होती हैं, तो जनता उसको पसंद करती है। हमारे नेता की नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है और नेता भी पॉपुलर है। आपका नेता या तो इतना पॉपुलर नहीं होगा, नीति भी ठीक नहीं है और नीयत भी ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)... हां, चेहरे पर धूल है। ...(**व्यवधान**)... चेहरे पे धूल है और आईना पोंछ रहे हैं, तो कैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे? ...(**व्यवधान**)... इसलिए आप जब ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: सीट पर बैठ कर नहीं बोलिए, प्लीज़।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: जब आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप ऐसे अनर्गल आरोप लगाते हैं। सर, यहां एक और विषय आया। यह विषय चूंकि चुनाव के समय का था, लेकिन यहां वह विषय आया, इसलिए मैं कहूंगा कि साहब, ये संविधान बदल देंगे या संविधान बदल रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। यह एक विषय इस चर्चा में भी आया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, 16 वर्षों के सेवाकाल में, हमने 22 बार संविधान बदला। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बदला? हमने बदला, लेकिन कांग्रेस के 55 वर्षों के शासन में संविधान 77 बार बदला। 77 times! क्या यह इनको याद नहीं आता है? इन्होंने उसे कैसे बदला और हमने कैसे बदला, वह मैं बताता हूं।

सर, पहला संविधान संशोधन होता है, चुनाव ही नहीं हुए। आप तो खुद पत्रकार रहे हैं। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से ये Freedom of Speech and Expression को curtail करने का काम करते हैं। उसका विरोध भी होता है, लेकिन ये कर देते हैं। 24th Constitution Amendment से, इन्होंने संसद के, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का काम कर दिया। इसकी भी आलोचना होती है। फिर, 39th Constitutional Amendment हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी के चुनाव को निरस्त और अमान्य किया। इन्होंने संशोधन के माध्यम से प्रधान मंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये ऐसे संविधान संशोधन करते हैं! जस्टिस एचआर खन्ना साहब ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट दिया। यह उनकी authority की और संवधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो उस समय जस्टिस एचआर खन्ना साहब सुप्रीम कोर्ट में ही थे। जस्टिस एचआर खन्ना ने चुनाव में इंदिरा जी के खिलाफ जजमेंट दिया, लेकिन जब सीनियॉरिटी के आधार पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का CJI बनाना था, तब इंदिरा जी ने seniority break करके उन्हें मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया और एम.एच. बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो साहब, यह किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं! यह तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ...(**व्यवधान**)... फिर आपका 42nd Constitutional Amendment आया, जिसमें कांग्रेस को, इंदिरा जी को लगा कि अभी चुनाव होगा, तो हम हार जाएंगे, इसलिए लोक सभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी। तो आप देखिए, यह काम भी इन्होंने किया।

प्रधान मंत्री कार्यालय के ऊपर एक गैर-संवैधानिक संस्था, National Advisory Council इन्हीं के समय में बैठाई गई। इमरजेंसी भी लगाई, वह भी एक विषय था। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और इन्होंने उसको उलट दिया। वह प्रोग्रेसिव फैसला था और इन्होंने उसको तुष्टीकरण की नीति के कारण उलट दिया और हमें यह उपदेश दे रहे हैं। अब हमने क्या किया? हमने जो संविधान संशोधन किए, वे इस प्रकार हैं - जब इस देश में जीएसटी लागू होना था, तब हमने 101वाँ संविधान संशोधन किया। जब National Commission for Backward Classes को संवैधानिक दर्जा देना था, तब हमने संवैधानिक संशोधन किया। जब 10 per cent reservation for Economically Weaker Sections (EWS) देना था, तब हमने संविधान संशोधन किया। जब लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में एससी-एसटी के लिए आरक्षित सीटों को 2030 तक बढ़ाना था, तब हमने संविधान संशोधन किया। हमने फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूती देते हुए अदर बैकवर्ड क्लास के आइडेंटिफिकेशन करने के निर्णय का आधार राज्य की सरकारों को देने के लिए संविधान संशोधन किया। जब संसद और विधान सभाओं में मातृशक्ति को 33 परसेंट आरक्षण देने का काम किया गया, तब हमने संविधान संशोधन किया। हमने संविधान संशोधन ऐसे किया और इन्होंने संविधान संशोधन कैसे किया?

श्री उपसभापतिः माननीय मेघवाल जी, कृपया आप conclude करें। आपका निर्धारित समय समाप्त हो रहा है।

श्री अर्जुन राम मेघवालः महोदय, मैं एक चीज और कह कर conclude करता हूँ। इनके द्वारा 2024 के चुनाव में deep fake का उपयोग करके ऐसा चलाया गया कि ये आरक्षण समाप्त कर देंगे। इसी राज्य सभा में मोदी जी ने बोला कि नेहरू जी आरक्षण के खिलाफ थे। उनका उन्होंने एक पत्र पढ़ा, तो उधर से हटा दिया, इधर से हटा दिया और उसको नरेन्द्र मोदी जी के नाम से चिपका दिया। लेकिन मैं कहता हूँ काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती, एक बार ही चढ़ती है। ...(**व्यवधान**)... आप देखिए, उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुआ, हम जीते, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हम जीते, दिल्ली में चुनाव हुआ, हम जीते, बिहार में चुनाव हुआ, हम जीते। हमने चौका लगा दिया और 2026 में छः राज्यों के चुनाव में हम छक्का भी लगाएँगे। महोदय, मैं लास्ट में एक विषय पढ़ देता हूँ।

श्री उपसभापति: आपका जो निर्धारित समय था, वह खत्म हो रहा है। अब पार्टी के दूसरे वक्ता का समय जाएगा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, सीसीटीवी फुटेज का विषय रह गया है, उसको मैं स्पष्ट कर देता हूँ। हम 45 दिनों के बाद इसको नहीं रखेंगे, ऐसा निर्णय क्यों किया गया? उपसभापति जी, मैं कहना चाहता हूँ कि धारा 81 के अनुसार चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाली, जिसको इलेक्शन पेटिशन कहते हैं, उसकी समय सीमा 45 दिन है। इसके बाद चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसलिए 45 दिनों के बाद फुटेज रखने का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। इसलिए हमने इसमें जो यह प्रावधान था, उसके अनुसार ही संशोधन किया। महोदय, एक छोटी-सी कविता है, उसको आप सुन ही लीजिए।

श्री उपसभापि: आपकी पार्टी के अदर मेंबर्स का समय जा रहा है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: महोदय, आपको यह निर्णय देना था, इसलिए मैं यह कह रहा हूँ। एक छोटी-सी कविता है :

'आप जीते, तो ईवीएम ठीक।
हम जीते, तो ईवीएम खराब।
यह कैसा विरोधाभास है?
आप एसआईआर करें, तो ईवीएम ठीक।
हम करें, तो ईवीएम खराब।
यह कैसा विरोधाभास है?
आप अपॉइंटमेंट करें, जैसे नवीन चावला, एस.एम.एस. गिल का जिक्र किया गया,
तो ठीक और हम अपॉइंटमेंट करें, तो खराब।
यह कैसा विरोधाभास है?
आप हिमाचल विधान सभा का चुनाव जीते, तो ईवीएम ठीक।
हम हरियाणा विधान सभा का चुनाव जीते, तो ईवीएम खराब।
यह कैसा विरोधाभास है?
आप कर्नाटक विधान सभा का चुनाव जीते, तो ईवीएम ठीक।
हम महाराष्ट्र विधान सभा का चुनाव जीते, तो ईवीएम खराब।
यह कैसा विरोधाभास है?
आप झारखंड विधान सभा का चुनाव जीते, तो ईवीएम ठीक।
हम बिहार विधानसभा का चुनाव जीते, तो ईवीएम खराब।
यह कैसा विरोधाभास है?
आप पश्चिमी बंगाल विधान सभा का चुनाव जीते, तो ईवीएम ठीक।
हम असम विधान सभा का चुनाव जीते, तो ईवीएम खराब।
यह कैसा विरोधाभास है?
आप पंजाब विधान सभा का चुनाव जीते, तो ईवीएम ठीक।
हम दिल्ली विधान सभा का चुनाव जीते, तो ईवीएम खराब।
यह कैसा विरोधाभास है?'

महोदय, एक चीज नरेन्द्र मोदी जी के व्यक्तित्व को लेकर भी आई कि मोदी जी क्या कर रहे हैं? सर, मोदी जी इस देश को विकसित भारत बनाने में लगे हुए हैं। एक शायर ने ठीक ही कहा है, 'देश के यशस्वी, तपस्वी और कर्म योगी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हमारी सरकार को लेकर भारत की जनता और सामान्य मानवी के मन में विश्वास बना हुआ है। यह सरकार जो कहती है, वह करती है। जो वादे किए जाते हैं, उन्हें धरातल पर उतारा जाता है, इसलिए धारणा बलवती हुई, मोदी है तो मुमकिन है। ये कहते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के लिए दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा, जो उनके व्यक्तित्व पर सही बैठती हैं:

Contents Page

"जमाना कहाँ वाकिफ़ है मेरी उड़ान से,
वो और थे जो हार गए आसमान से।"

नरेन्द्र मोदी जी भारत को "विकसित भारत" बनाकर ही दम लेंगे और हम सब उनका साथ देंगे। हम सब उनका साथ देकर भारत को "विकसित भारत" बनाएँगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार!

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, ...(**व्यवधान**)... कोई Point of Order नहीं। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़। ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्यगण, आपकी अनुमति से माननीया फौजिया खान को मैं बोलने की अनुमति दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ urgency है, जिसके कारण उन्हें जाना है। माननीया फौजिया खान।

डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, अभी मैंने मेघवाल जी का बहुत ही जोरदार भाषण सुना। मुझे इस पर एक बात याद आई। इन्होंने एक शेर पढ़ा। मुझे भी एक शेर याद आ रहा है। इन्होंने इतिहास के उदाहरण दिए हैं। ये इतिहास के उदाहरण तो देते हैं, लेकिन प्रेरणा भी वहीं से लेने की कोशिश करते हैं। मैं मीर तकी मीर का एक शेर पढ़ूँगी:

"कुछ ऐसे सिलसिले भी चले जिंदगी के साथ,
कड़ियां मिलीं जो उनसे तो जंजीर बन गए।"

उपसभापति महोदय, वह जंजीर आज भी चल रही है, जिसके इल्जाम आपने लगाए हैं। मैं यहाँ सरकार से 10 प्रश्न पूछना चाहती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि मुझे इन 10 प्रश्नों के उत्तर मिलें। नंबर एक, जो जमीनी स्तर पर सबको दिख रहा है, वह सरकार या चुनाव आयोग को भी दिख रहा है क्या? नंबर दो, क्या घुसपैठियों को ढूंढ़ने का एकमात्र तरीका केवल एसआईआर ही हो सकता है? अगर वोटर्स लिस्ट में घुसपैठियों के नाम कभी भूतकाल में डाले गए हों, तो वे किसके हाथों से डाले गए हैं? वे सरकारी अधिकारियों के हाथ से डाले गये हैं। अब जो एसआईआर हो रहा है, उसमें वही कर्मचारी एसआईआर कर रहे हैं या कोई और पवित्र यंत्रणा एसआईआर करने जा रही है, यह मेरा सवाल है। सवाल नंबर तीन, [*]

[†] **ڈاکٹر فوزیہ خان)** مہاراشٹر : (اُپ سبھا پتی مہودے، ابھی میں نے میگھوال جی کی بہت ہی زوردار تقریر سنی۔ مجھے اس پر ایک بات یاد آئی۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا۔ مجھے بھی ایک شعر یاد آرہا ہے۔ انہوں نے اتہاس کے اداہرن دیے ہیں۔ یہ اتہاس کے اداہرن تو دیتے ہیں، لیکن پریرنا بھی وہیں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں میر تقیؔ میر کا ایک شعر پڑھونگی:

"کچھ ایسے سلسلے بھی چلے زندگی کے ساتھ،
کڑیاں ملیں جو ان سے تو زنجیر بن گئے۔"

[*] Not recorded.

[†] Transliteration in Urdu Script.

Contents Page

اُپ سبھا پتی مہودیہ، وہ زنجیر آج بھی چل رہی ہے، جسکے الزام آپنے لگائے ہیں۔ میں یہاں سرکار سے 10سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں، کہ مجھے ان 10سوالوں کے جواب ملیں۔ نمبر ایک، جو زمینی سطح پر سب کو دکھ رہا ہے، وہ سرکار یا چناؤ آیوگ کو بھی دکھ رہا ہے کیا؟ نمبر دو، کیا گھس پیٹھیوں کو ڈھونڈھنے کا واحد طریقہ صرف ایس آئی آر ہی ہو سکتا ہے؟ اگر ووٹرس لسٹ میں گھس پیٹھیوں کے نام

کبھی بھوتکال میں ڈالے گئے ہوں، تو وہ کس کے ہاتھوں سے ڈالے گئے ہیں؟ وہ سرکاری ادھیکاریوں کے ہاتھ سے ڈالے گئے ہیں۔ اب جو ایس آئی آر ہو رہا ہے، اس میں وہی کرمچاری ایس آئی آر کر رہے ہیں یا کوئی اور پوتر ینترنا ایس آئی آر کرنے جارہی ہے، یہ میرا سوال ہے۔ سوال نمبر تین،

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on Electoral Reforms — pro or against. Only that will go on record. . ...*(Interruptions)*...

डा. फौजिया खान: सर, मैं चुनावी प्रक्रिया के बारे में ही बात कर रही हूँ। क्या कोई सच्चा प्रामाणिक गरीब समाज सेवक आज चुनाव लड़ने की हिम्मत कर सकता है या गरीब के लिए अब यह रास्ता नॉन-रीचेबल हो गया है, यह मेरा सवाल है। चुनाव फ्री एंड फेयर हों, क्या आप यह चाहते हैं या आप इतिहास में ही अटके रहेंगे? क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स के विषय पर एक जेएपीसी बनाई जाएगी, जो एक अच्छे लेजिस्लेशन का स्वरूप लेकर यहां संसद में हमारे सामने आएगी? क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैच्यूटरी स्वरूप दिया जाएगा? ...(**समय की घंटी**)... सर, आख़िरी सवाल - मेरा दसवाँ और अंतिम सवाल है। मेघवाल जी ने ही कहा कि ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन विधेयक यह रिफॉर्म आया है। सर, यह विधेयक महिलाओं का मज़ाक है। यह कब लागू होगा? सेंसस कब होगा? डीलिमिटेशन कब होगा? ...(**समय की घंटी**)... और कब हमें इसका वास्तविक लाभ देखने को मिलेगा? यह भी तो आप जवाब दे दीजिए।

ڈاکٹر† فوزیہ خان: سر، پرکریا چناوی میں کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں۔ کیا کوئی سچا پرامانک غریب سماج سیوک آج چناؤ لڑنے کی ہمت کر سکتا ہے یا غریب کے لیے اب یہ راستہ نان ری چیبل ہو گیا ہے، یہ میرا سوال ہے۔ چناؤ فری اینڈ فیئر ہوں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں یا آپ اتہاس میں ہی اٹکے رہینگے؟

کیا الیکشن رفارمس کے وشیہ پر ایک جے پی سی بنائی جائیگی؟ جو ایک اچھے لیجسلیشن کا سوروپ لیکر یہاں سنسد میں ہمارے سامنے آئیگی۔ کیا ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کو اسٹیچیوٹری سوروپ دیا جائیگا؟ ---)وقت کی گھنٹی(--- سر، آخری سوال - میرا دسواں اور انتم سوال ہے۔ میگھوال جی نے ہی کہا کہ اتہاسک ناری شکتی وندن ودھیک یہ رفارم آیا ہے۔ سر، یہ ودھیک مہلاؤں کا مذاق ہے۔ یہ کب لاگو ہوگا؟ سینسز کب ہوگا؟ ڈی لمٹیشن کب ہوگا؟ ---)وقت کی گھنٹی(--- اور کب ہمیں اسکا واستوک لابھ دیکھنے کو ملیگا؟ یہ بھی تو آپ جواب دے دیجیے۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Dr. Fauzia Khan. Now, Shrimati Sagarika Ghose, not there. Now, Shri S. Niranjan Reddy.

SHRI S. NIRANJAN REDDY (Andhra Pradesh): Thank you Mr. Deputy Chairman Sir for giving me the opportunity. Sir, the subject being electoral reforms discussion that is happening, I wanted to make a few submissions without reference to any political undertones. There has been a lot of discussion with regard to the Special Intensive Revision. As a Member, I feel that the Special Intensive Revision is legally sanctioned.

We have Article 324 that enables the Election Commission to undertake superintendence. Sir, we have Section 21(3) of the 1950 Act which empowers the Election Commission to call for these revisions, special or intensive. We have Rule 25 of the Registration of Electors Rules, 1960, which once again empowers the Election Commission to undertake such revisions. If there is a legal provision available for the Election Commission to do this, the next question would be: Is there a necessity to do this? Sir, it is, may be, undisputable that our electoral rolls are far from perfect. A survey conducted in the year 1999 by a noted NGO, an organization, called Lok Satta, found that in urban constituencies, 44.5 per cent of voters do not exist; in rural constituencies, it is 15 per cent. I recognize that the incidence may have come down from what it was found in 1999. But, Bihar throws up a very interesting statistic. Sir, like many other Members, I was very apprehensive when they announced that on the eve of elections they would be undertaking this SIR exercise. I felt whether there is a political reason behind the SIR being undertaken here. Sir, the events that transpired bear out that after the Bihar SIR exercise that has been carried out, it is found that 65 lakh voters' names were registered on the rolls incorrectly. Now, this matter was taken to the Supreme Court on apprehension. The Supreme Court entered certain procedural *caveats*. The Supreme Court said, if you are taking out anybody's name, give them notice. Sir, as far as I see, because the matter is still *sub judice* before the Supreme Court, after the exercise has been completed, after 65 lakh voters' names have been deleted, there is a very interesting Press statement that has been released by the Election Commission of India, which have corroborated with the hearing that happened in the Supreme Court also. The Election Commission, in its Press note of 17th November, -- I will place this for authentication -- has said something very interesting. It said that after all these people have been removed, there have been zero appeals against wrong inclusion or exclusion of any elector after Special Intensive Revision in Bihar in any of the 38 districts, from any of the electors and, most importantly, from any of the 12 recognized political parties. The Supreme Court was mindful that certain people whose names have been removed may not have a chance of filing an appeal. So, it directed the Legal Services Authority to depute para legal persons for the purpose of assisting anyone whose names may have been wrongly deleted. Sir, it was noted by the Supreme Court at the hearing on 26th November, 2025, that no person has come forward to say that they have been wrongly deleted. Nobody has sought the assistance of para-legal persons or the legal aid persons which the Supreme Court asked the Legal Services Authority to provide. Now, this brings out one stark fact, that 65 lakh votes registered on the

electoral rolls, that have been removed, not one person, whose name has been removed, and not one political party, has been able to point out a mistake.

6.00 P.M.

I acknowledge it. I want the Government to take note of it. While this exercise has been carried out and they are starting one more round of exercise for half of India, the timing is possibly what is creating an apprehension. Sir, it is an exercise that, under the law, is required to be undertaken. Originally, in 1950, it was to be undertaken every year. In 1956, they said, there is no point in doing this every year; it has to be done before the General Elections. Now, it is amended to say that whenever the Election Commission intends that this needs to be done, this can be undertaken. So, possibly, SIR is a good exercise. The timing needs to be careful. Maybe, the cleaning up exercise is starting today. My only appeal to all the political parties would be, please ensure that while this exercise is being undertaken, you activate your district units, your local units, that if any person's name is wrongly excluded, there are appeal mechanisms to the District Collector and there is a further appeal to the Chief Electoral Officer who is sitting in the State. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please do not interfere.

SHRI S NIRANJAN REDDY: Sir, another very important thing, and this is where I want to allay the apprehension of many of the Members from the Opposition side, the electoral role revision is undertaken at the State Government and State Officers' level. So, if there is going to be an electoral revision that is happening in the State which is ruled by the Opposition, I am not, for a minute, saying that the Collector or the Principal Secretary, whoever is in charge of that State, would be yielding to one Government or the other, but they are not directly answerable to the Central Government. The apprehension can be cast aside. But, Sir, I would appeal to the Central Government that in future, when you undertake this, please do this with adequate time, prior in point of time, so that these apprehensions are not created.

Sir, I am running out of my time. I just had one more point to say very quickly. So I am moving there straightaway. There has been a debate about the election method that we follow, which is 'first past the post system.' I made a study. Except India, Bangladesh, Pakistan, UK, Canada and US, in some elections, no other major country is following this 'first past the post system.' The 170th Law Commission in 1999, when Vajpayeeji was the Prime Minister, and the 255th Law Commission in 2015, recommended that we have a hybrid system. Sir, I will request you for 30

Contents Page

seconds more. It suggested that we have a mixed proportionate system where we have direct elections, as is happening now. We also have a list system where, depending on the percentage of votes that a political party gets, they should get representatives. We may have more people who are not electable come into the House. Sir, in this House, and I conclude with this, we have had two stellar examples. We have had Dr. Manmohan Singh who was our former Prime Minister. He had to be elected to this House because the entry barrier for elections to Lok Sabha was so high that, maybe, for a person of that eminence, if it was little difficult for the party to think of fielding him in a Lok Sabha, then, something is wrong with our system. Sir, I want this side to take note that one of my *gurus*, Mr. Arun Jaitley, who we dearly miss, was a Member of this House. He brought a lot of grace to this House, but we realized how difficult it was for a person of Mr. Arun Jaitley's stature also to get elected. If we have these two stalwarts who have a difficulty in getting elected, this is a problem that we have in the Legislative Assemblies and in the House also. *...(Time-bell rings)...* I think, I second the recommendation made by Fauzia Khanji that we, possibly, should have a JPC to look into electoral reforms. Sir, in 1999 and 2015, the Law Commission recommended this, but nothing has happened. Sir, thank you so much for giving me this extra one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Niranjan Reddyji. Dr. Dinesh Sharma.

डा. दिनेश शर्मा (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, काफी देर से हम लोगों ने सबके विस्तारपूर्वक वचनों को सुना है। हमारे उत्तर प्रदेश के गांवों में पद्धति थी कि लोग बैठकर पंगत में भोजन करते थे। जब भोजन करते थे, तो कहते थे कि पहले बाराती खाएगा और बाद में जो बचेगा, वह जनाती खाएगा। आज मेरी स्थिति जनाती की तरह हो गई, क्योंकि बाराती तो गर्म-गर्म खा लेता है और बाकी जो बचा कुचा होता है, वह बाद के लोगों को बोलना होता है। यहां बड़े विद्वत लोगों ने बोला है और बोलने में तमाम बातों का यहां उल्लेख आया है। मान्यवर, हम जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र पवित्र सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार हर नागरिक का एक वोट हो और जो वोट हो, वह भारतीय नागरिक ही तय करें। यानी, उसकी नागरिकता प्रामाणिकता के साथ हो और जो घुसपैठिए हैं या जो ऐसे लोग हैं, जिनके दो जगहों पर नाम है या जो वांछनीय नहीं है, उनका नाम नहीं होना चाहिए - इस बारे में एक मानसिकता बनती है।

महोदय, मैं चुनाव आयोग और शासन तंत्र को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बिहार के चुनाव में, जो कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद का सबसे बड़ा चुनाव था, वहां पर 67.18% मतदान हुआ और जिसमें महिलाओं ने 71% मतदान किया। इसका मतलब था कि लोगों ने इस प्रक्रिया में विश्वास व्यक्त किया। एक भी शिकायत नहीं आई - यह इस बात का प्रमाण था कि पारदर्शिता के बिंदुओं पर शासन तंत्र और चुनाव आयोग की जो व्यवस्था थी, वह सिद्ध हुई है।

मान्यवर, कांग्रेस के तमाम मित्रों ने इसे लोकतंत्र पर कुठाराघात कहा। मुझे लगता है यह लोकतंत्र पर कुठाराघात नहीं था, बल्कि यह कांग्रेस के वोट तंत्र पर कुठाराघात था। यह इसलिए भी था, क्योंकि मैंने वह समय देखा है कि जिस समय चुनाव होता था, तब बूथ पर कब्जे होते थे, जो माफिया होते थे, वे तेजाब डाल देते थे और पूरी की पूरी टीम वहाँ जाकर, जहाँ चुनाव प्रक्रिया चल रही होती थी, उसमें ठप्पा लगाकर आ जाती थी। कई-कई जगह पर तो 12:00 बजे तक चुनाव ही समाप्त हो जाता था। फिर पुनर्मतदान होता था और पुनर्मतदान का फिर पुनर्मतदान होता था और शासन तंत्र का जो प्रत्याशी वांछनीय होता था, वह विजयी घोषित हो जाता था। इन प्रक्रियाओं के बाद आज जो प्रक्रिया आई है, वह उत्तम है। जब से वोटर कार्ड शुरू हुआ है; वैसे लोग तो यह कहते हैं कि:

'जब देश में नहीं था वोटर कार्ड
तब क्यों बनती थी कांग्रेस की सरकार?'

महोदय, कांग्रेस की सरकार इसलिए बनती थी, क्योंकि वे तमाम प्रकार के ऐसे तरीके अपनाते थे, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संभव नहीं थे। मुझे याद है कि माननीय अटल जी लखनऊ से चुनाव लड़ा करते थे। उन्होंने बस एक ही मंत्र दिया था और बोलकर मीटिंग से चले गए थे। लोगों ने कहा, वे बहुत लोकप्रिय है और अब कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा, यह बात सही है कि कोई नहीं हरा सकता, लेकिन £ और अवांछनीय क्रिया के द्वारा की गई चुनाव की जो प्रक्रिया है, वह जरूर संदेह पैदा करेगी, इसलिए एक ही काम करो कि इनके द्वारा की गई मतदाता सूची की जो £ है, जबरन वोट दिलाने की जो प्रक्रिया है और सबसे बड़ी चीज, जो कि सीसी है —उस समय सीसी चलती थी, हाथ में चुनाव होता था, उसको बिगाड़ देते थे और बिगाड़ने के बाद जब पर्ची आती थी, तो हम सुबह-सुबह जाकर वोट डाल देते थे। अगर इन सारी प्रक्रियाओं पर अंकुश लगा, तो उस अंकुश लगाने वाली प्रक्रिया के लिए मैं कहूंगा कि यह जो ईवीएम है और जो आधुनिक प्रक्रिया है, उसने वास्तव में बहुत बड़ा रोल अदा किया है।

मान्यवर, भारतवर्ष की जनता 140 करोड़ है। यह एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, अगर देखा जाए तो जैसे अर्जुन होते थे और उनके सारथी श्री कृष्ण होते थे - मैं श्री कृष्ण जी से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह जो चुनाव है, यह 140 करोड़ लोगों का महाभारत है, जिसमें जनता अर्जुन होती है और सारथी चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को उसमें तमाम बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन मैं वर्तमान में कहूँ, तो यहां पर विपक्ष के तमाम बंधुओं ने उनको गाली तक दी है, अपशब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो असंसदीय हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भारत का चुनाव आयोग एक ऐसा आयोग है, जो धूप में भी शांत है, बारिश में भी शांत है और विपक्ष के जो अपशब्द आए हैं, उसमें भी शांत है।

श्री उपसभापति: माननीय सदस्य, कोई भी अपशब्द या असंसदीय शब्द रिकॉर्ड पर नहीं जाता है, इसलिए प्लीज़ उसका ध्यान रखिए।

£ Expunged as ordered by the Chair.

डा. दिनेश शर्मा: महोदय, आपके रिकॉर्ड की नहीं, ये जो बोलते हैं, उस रिकॉर्ड की बात हो रही है। महोदय, यहां के रिकॉर्ड की बात नहीं हो रही है। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आज की जो बातें हैं, अगर आप उनमें ईवीएम के ऊपर कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ईवीएम की जो मान मर्यादा है, उसको बचाना चाहिए। मेघवाल जी ईवीएम पर काफी बोल रहे थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ईवीएम की जो मान मर्यादा है -मान्यवर, सास-बहू का एक सीरियल आता था, यह भी सास-बहू के सीरियल की ही तरह है। इसमें जब तक रिजल्ट नहीं आता, तब तक सब शांत है, लेकिन रिजल्ट आते ही, यदि जीते तो मशीन पावन और यदि हारे तो मशीन £ जब विपक्ष इसका आचरण करता है, तो वास्तव में लगता है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आज जो सुधार चल रहे हैं, उन सुधारों में कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं, जिनके कारण विपक्ष यह मानता है कि वह जीत नहीं सकता। जनता का दिल नहीं जीतोगे, तो आप चुनाव भी नहीं जीत सकते। आज आप उत्तर से पश्चिम देख लीजिए कि किसी न किसी दिन चुनाव होता है। अगर आप दस साल के चुनावों को देखेंगे, तो पाएंगे कि इनमें लगभग एक लाख करोड़ रुपये का खर्च आया है। अगर वह एक लाख करोड़ रुपये का खर्च बार-बार चुनाव कराने से बच जाता, तो शायद आज उससे बहुत सारे विकास के कार्य हो सकते थे।

मान्यवर, काँग्रेस के एक मित्र कह रहे थे कि आपने चुनावी बॉन्ड्स को क्यों लागू कर दिया। शासन तंत्र ने राजनीतिक फंडिंग को बैंकिंग चैनल से जोड़ने पर जो जोर दिया है, उसका आज सकारात्मक असर पड़ा है। मान्यवर, पहले तो सिद्धांत था - हाथ में चंदा, मुंह में पारदर्शिता और जेब में गोपनीयता। इन भावों के साथ चुनाव कराए जाते थे। अब वह गोपनीयता नहीं चलती है, इसलिए आज की जो चुनाव प्रक्रिया है, उसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, डिजिटल सूचीकरण, ऑनलाइन पारदर्शिता - ये सब चल रहा है। मगर एक तरफ यह सुधार चल रहे हैं। अभी हमारे एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में गए थे। आज दुनिया चांद पर पानी ढूंढ़ रही है और काँग्रेस के लोग ईवीएम में गड़बड़ी ढूंढ़ रहे हैं! चुनाव आयोग ने चुनौती दी कि आप आकर इसमें गलती सिद्ध करो कि आप इसे कैसे हैक कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं पहुंचा, जो यह बता सके कि इसे कैसे हैक किया जा सकता है।

मान्यवर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यह बदला हुआ समय है और इस बदले हुए समय में, जो सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन एक आधार बनेगा। सर, हमने देखा है कि वन नेशन वन टैक्स सफलतापूर्वक लागू हुआ, एक देश एक कानून लागू हुआ और धारा 370 समाप्त हुई। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा सुधार है, जिसके माध्यम से हम न केवल तमाम अनियमितताओं को रोकने में सफल होंगे, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में भी सफल होंगे। आज आपराधिक उम्मीदवारों की अयोग्यता जैसा कानून बना है। शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब देश के माननीय प्रधान मंत्री भी इसके दायरे में आएंगे। अगर देश का मुख्यमंत्री भी किसी आपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत है, तो उन्हें लेकर भी कानून में वर्णन किया गया है। इस पर आपत्ति वही कर सकते हैं, जो इस प्रकार के प्रावधानों के बारे में जानते हैं कि यह उनके ऊपर लागू होगा।

सर, एसआईआर चुनाव आयोग का फैसला है। एसआईआर भारतीय जनता पार्टी का फैसला नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो ये आवश्यक सुधार हो रहे हैं, उनके चलते आज वह पहले वाली स्थिति नहीं है, जब कोई पीए होता था और पता लगता था कि वे ओएसडी बनने के बाद चुनाव आयुक्त घोषित हो गए हैं। उस समय तो कोई प्रक्रिया ही नहीं थी। यह प्रक्रिया एनडीए सरकार के आने के बाद बनी है कि चुनाव आयोग की एक समिति होगी, उसमें नेता प्रतिपक्ष भी होंगे। पहले नेता प्रतिपक्ष से पूछताछ नहीं होती थी। आप चुनाव आयुक्त को राज्यसभा का सदस्य बना देते थे, किसी को कोई पद दे देते थे। आज जब पारदर्शी व्यवस्था है, तब लोग विभिन्न प्रकार के परलाप करते हैं। मैं मानता हूँ कि आज तमाम सुधार हुए हैं। यह बात सही है कि 2002-03 में या यूं कहें कि 1998 से पहले ईवीएम की शुरुआत हुई थी और यह आज भी सफलतापूर्वक चल रही है। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। व्यय सीमा का भी निर्धारण हुआ है, जो लोकसभा में 70 लाख है और विधानसभा में 28 लाख है। अब एक उम्मीदवार दो निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित हो गया है। यह नहीं कि वह तीन-चार जगहों से चुनाव लड़ लेगा। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के विचार ऐसे ही नहीं आ गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति थी। ...(**समय की घंटी**)... उसके बाद इस प्रकार के सुधार हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव सुधार इस देश की महती आवश्यकता है और सबको इसका निर्विवाद भाव से समर्थन करना चाहिए।

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, मैं आपकी सूचना के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी 43 स्पीकर्स हैं, इसलिए कृपया हम लोग समय का पालन करें। माननीय मानस रंजन मंगराज।

SHRI MANAS RANJAN MANGARAJ (Odisha): Sir, I rise to speak on the Election Reforms, with specific reference to the Special Intensive Revision (SIR) of the Voter List. No one opposes the need of a clean and accurate electoral roll, but the manner in which the SIR is being implemented today has created serious concerns across the country. The ground reports show that genuine voters are being asked to produce multiple documents. Poor citizens, migrant workers, daily wage earners and people in remote and border areas are facing the greatest hardship. When eligible citizens fear deletion from the voter list, it is no longer reform; it is exclusion.

Sir, the timing of this exercise is deeply troubling. Conducting such an intensive revision just before Assembly Elections in several States has created doubt and mistrust. Electoral reforms must inspire confidence, not suspicion. There is still no clear answer to a fundamental question - is SIR only a voter list revision, or, is it turning into citizenship verification? The lack of clear communication from the Election Commission has created unnecessary anxiety. Silence on such a sensitive issue is unacceptable. Therefore, I demand immediate corrective action. Clear and uniform guidelines must be issued. Documentation requirements must be simplified. Adequate time must be given. Technology must assist voters, not intimidate them.

Contents Page

Special facilitation camps must be set up for migrants, senior citizens, persons with disabilities and first-time voters. Mobile teams must reach remote and border areas.

Voting is a constitutional right, not a privilege. Any deletion must follow due process, transparency and accountability. A post-SIR audit is essential to ensure that no genuine voter is wrongly excluded. If we truly believe in 'one person, one vote', then, SIR must strengthen democracy, not weaken it. This House supports reform, but it will never support the denial of voting rights to genuine voters. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri G.K. Vasan, not present. Shri Harsh Vardhan Shringla.

श्री हर्ष वर्धन श्रृंगला (नामनिर्देशित): माननीय उपसभापति महोदय, आज electoral reforms के विषय पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, ये electoral reforms आम बदलाव नहीं हैं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करने का एक बड़ा अभियान है। जैसे हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हमें अक्सर याद दिलाते हैं, नए भारत का बदलाव अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है।

Sir, as someone, who has represented his country in different geographies across the world, I can say with some confidence that our efforts at electoral reforms are not isolated. Progressive democracies across the world are engaged in a similar exercise of ongoing and regular electoral reforms. They do it for a number of purposes. One, of course, is the change. The requirements of the 21st century are different from those of the 20th century. The other purpose is to increase efficiency, and most important of all, is to enhance accountability to the people.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair.]*

Sir, it is in this very endeavour that the hon. Prime Minister has also placed before the nation the vision of holding simultaneous elections through 'One Nation, One Election' initiative. This aims to bring stability, reduce expenditure and make our democracy more efficient and future ready. Perhaps, the hon. Members are aware that our country conducted simultaneous elections of the Lok Sabha and the State Assemblies regularly until 1967. Over the decades, fragmented election schedules have led to constant campaign mode, political paralysis and colossal expenditure. A high-level Committee, chaired by the former President, Shri Ram Nath Kovind, was constituted in 2023 to chart the roadmap for simultaneous polls.

Contents Page

This Committee conducted 65 meetings with stakeholders, including all major parties, legal experts including former Chief Justices, industry bodies and citizens. Notably, the Committee invited 21,000 public suggestions and 81 per cent of those responses affirmed support for simultaneous polls. Previously, the Law Commission, in its 1999 Report, had earlier suggested simultaneous elections every five years. A 2015 Parliamentary Committee also examined phasing in joint polls. I can tell you that the concept of a single vote cycle for elections at different levels of the Government is practiced in a number of democracies across the world. Sir, take the example of Sweden, a country which holds simultaneous elections in every electoral cycle of four years on the same date for its General elections, for County elections and Municipal elections. As a result of this, the voter turnout is over 80 per cent because voters are only voting once in four years and they understand the importance of that vote. Compared to that, our voter turnout at 65 per cent is well below this level. Other countries that also follow a One Nation One Election system are: South Africa, Indonesia, Belgium and the European Parliament. There are many countries that follow a system which has synchronized elections at different levels, State level, etc. but may not be exactly all elections.

Sir, another reform is One Nation One Voter List, which has to be seen in conjunction with One Nation One Election. Currently in many states, the voters' list for panchayat and municipal elections is maintained separately by State Election Commissions, often duplicating the rolls prepared by the Election Commission of India for Lok Sabha and Assembly elections. A common electoral role was endorsed by the Cabinet in principle. One Nation One Voter List will save enormous effort and public money while improving accuracy. In fact, the Law Commission in 2015 supported a single Voters' List to streamline the process.

सर, चुनाव हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। To keep this festival pure and transparent, our systems must evolve over time. This Government has consistently working to make governance modern, efficient and citizen-centric. The reforms we are discussing today continue in that direction. The Government has taken firm steps to identify and curb illegal infiltration and to ensure that only legitimate citizens participate in our democratic process. The reforms before us strengthen that resolve. They enhance coordination, improve verification mechanisms and close loopholes to make our electoral processes cleaner, fairer and more accessible.

Sir, hon. Prime Minister is of the view that strong democracies are built on strong institutions. Through these reforms, we are strengthening those very

Contents Page

institutions that safeguard the voice of every citizen. The purpose of the SIR process is to make India for Indians and cleanse out illegal immigrants in the country. It will empower the honest voter, discourage malpractice and ensure that no one can question the fairness of our elections. We want young voters to feel encouraged, senior citizens to feel supported and every citizen to feel that their vote truly counts. These reforms are a step towards that vision and the entire nation is supporting this exercise with sincerity. However, the persistent obstruction by some political parties and refusal to cooperate raise an unavoidable question as to why a simple transparent verification process is being opposed and what are the forces behind this resistance.

Sir, the Supreme Court of India has taken serious note of issues pertaining to obstruction of SIR in West Bengal. In December 2025, the Supreme Court sharply criticized reports of local intimidation and non-cooperation in the SIR process, particularly, pointing to West Bengal. The Court warned that continued obstruction of the roll revision could easily cause anarchy. The court also affirmed the Election Commission's constitutional power to carry out this important exercise.

सर, हमें यह सवाल पूछना चाहिए कि साधारण मनुष्य, हमारे देश की आम जनता को क्या चाहिए? इसमें हमें लगता है कि हमारे देश में जो आम आदमी है, उसको चाहिए कि उसका वोट सही तरह से गिना जाए। यह वोट, नकली वोट से खराब नहीं हो और इसीलिए चुनाव के नतीजे नहीं बदल जाएँ। हमारे देश में हर कोई यही चाहता है। हम अपने देश में गैर-कानूनी वोटर्स और घुसपैठियों को नहीं चाहते, जैसे कुछ जगहों पर यह हो रहा है। इसलिए SIR महत्वपूर्ण है और निष्पक्ष चुनाव के लिए SIR प्रणाली सबसे सही तरीका है। Sir, these electoral reforms also align with our journey of *Viksit Bharat*, 2047. A developed India needs transparent and modern system and our electoral framework must be prepared for the future. These reforms reflect the confidence of a rising nation which is bold in intent and firm in its commitment to democratic integrity. As we move forward with these reforms, we are safeguarding the soul of our democracy. We are ensuring that the mandate of genuine citizens remains pure and protected.

सर, इस अवसर पर हमें सरदार बल्लभ भाई पटेल की याद आती है, जब उन्होंने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को यह याद रखना चाहिए कि हम सबसे पहले भारतीय हैं और अंत तक भारतीय ही रहेंगे। Sir, these reforms honour that very spirit by ensuring that India's democratic voice belongs only to its rightful citizens. With this commitment, we move towards a cleaner, stronger and more secure democratic future for our nation. Jai Bharat. Jai Hind!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Now, Shri Kapil Sibal. You have three minutes.

श्री कपिल सिब्बल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है। I only have one request. I need a minute or two extra to be able to make my points. Sir, we are not here as party representatives because the subject matter doesn't relate only to any political party. This relates to the functioning of our democracy. लोकतंत्र इस तरह से चलना चाहिए कि जो चुनाव हो, वह fair हो, transparent हो और उसमें जनता का विश्वास हो। यह हमारा लक्ष्य है। If you look back on major reforms that have taken place in this country, मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहूंगा, वैसे मेरा वक्त कम है।

सर, पहली बात तो यह है कि आपको मालूम है कि हम हर चुनाव में यह देखते हैं कि money power का कितना रोल रहता है, पैसे का कितना रोल रहता है। हमने तय किया कि लोक सभा में जो कैंडिडेट होगा, वह 94 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता और असेंबलीज़ में यह 40 लाख है। अब हम जानते हैं, आप जानते हैं और यहां सभी लोग जानते हैं कि क्या इसका पालन होता है? नहीं होता है। तो हम उसके बारे में कौन सा सुधार ला रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जो political parties हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कैपिंग capping नहीं है। क्या हमने उसके बारे में सोचा? Political parties जितना मर्जी हो, उतना खर्च कर लें। मतलब कि इसमें जो पैसा बह रहा होता है, उसे हम देखते हैं कि वह किस तरह से बह रहा है। तो यह जो electoral reform है, तो हम आज तक इसमें सुधार नहीं लाए। दूसरा, हम जो एक बड़ा भारी सुधार लाए थे, वह Tenth Schedule का था। आपको याद है कि "आया राम, गया राम" की प्रक्रिया चल रही थी और लोग पार्टी बदल कर दूसरी तरफ चले जाते थे, तो हमने 1985 में सोचा कि Tenth Schedule लाया जाए, संविधान में संशोधन किया जाए, तो 1985 में Tenth Schedule लाया गया। वहां split की बात हुई और merger की बात हुई। आज split कहां है? उसका भी लोगों ने दुरुपयोग किया, हम ही ने दुरुपयोग किया। मतलब, हम कानून लाते हैं और खुद उसको हथियार बनाते हैं, यह असलियत है। यह इस देश की असलियत है। Tenth Schedule को क्या हुआ, split को क्या हुआ - हमें उसको रद्द करना पड़ा। फिर केवल merger की बात आई। कोई पार्टी, आज की कोई पार्टी merger नहीं करती, split के द्वारा ही सरकारें बदली जाती हैं। तो कहां सुधार हो रहा है? जो भी कानून आता है, उसका हम लोग खुद उल्लंघन करते हैं।

सर, आपको याद होगा 2017-18 में एक Finance Bill आया था। मेरे दोस्त अरुण जेटली जी वहीं बैठे थे। उन्होंने उसे introduce किया और उन्होंने कहा - कंपनीज़ एक्ट में संशोधन कर रहे थे। वह संशोधन क्या था? पहले यह था कि कोई कंपनी, जिसमें 3 साल से काम नहीं है, तो वह कोई contribution नहीं दे सकती, तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया। आप आज कंपनी incorporate करो, कल आप contribution दे सकते हो। फिर दूसरा था कि वह 7.5 per cent net profit से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, उसको रद्द कर दिया। अब जितना मर्जी कंट्रीब्यूट कर सके। मतलब यह कि आप सुधार तो लाते हैं, लेकिन उसी का दुरुपयोग करते हैं। उसका

Contents Page

नतीजा यह हुआ कि 6,000 करोड़ रुपए एक पार्टी को चला गया। एक ही पार्टी को 6,000 करोड़ रुपए मिला। ...(**समय की घंटी**)... सर, 1 मिनट। I am not saying anything ...*(Interruptions)*... I am just trying to ...*(Interruptions)*... उसका नतीजा यह हुआ कि कोई भी पार्टी कितना भी पैसा दे दे। साथ में, जब फंड देना पड़ता था, तो बोर्ड का resolution होता था कि आप किस पार्टी को फंड दे रहे हो। वह भी रद्द कर दिया गया। इसलिए अभी किसी पार्टी को फंड दो, नाम नहीं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): अब आप समाप्त कीजिए।

श्री कपिल सिब्बल: इलेक्टोरल बॉन्ड, वह खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह असंवैधानिक था। आप जो मेजर सुधार लाए हैं, उनका तो आप उल्लंघन करते हैं। 'One nation, one election,' 'one nation, one party' and 'one election, one outcome' - ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI DEBASHISH SAMANTARAY (Odisha): Sir, I thank the Chair for allowing me to participate in this very, very important discussion on Election Reforms. I have been hearing everybody speak. ...*(Interruptions)*... I will only come straight to my point. ...*(Interruptions)*... I have been hearing everybody discussing it. I would like to say this here in this House that when we win elections, there is no mention of correction in voters' list or *vote chori*. It is only when we lose that this discussion comes up. Many spoke about some reforms. But there is one reform about which nobody has spoken about. It is the election expenditure. I have fought five elections. The amount spent by a candidate within a span of 14 days is something obnoxious. Nobody will mention it. There is a rule and there is a limitation to your spending. But everybody knows that it is not true. We spend money in crores in that period of 14 days of election. My point here is that, if everybody is agreeing with this, we should try and reduce this period from 14 days to seven days, so that a candidate can fight election by spending only that much money. Once you are elected or you lose, there are chances of corruption for recovering the amount you have spent for elections. Forget about a single candidate, this is for the parties also. For election reforms, I think this should be considered. इलेक्शन में जीतना-हारना तो लगा रहता है, मगर सबकी जेब में इलेक्शन लड़ने के लिए उतना पैसा नहीं होता है। One should understand this. Maybe people are quiet because they have so much money with them that they can fight elections. I am speaking from a very personal point of view. I would request that while considering reforms, we should also consider reducing the campaign time, so that expenditure on election is fair. Thank you, Sir.

SHRI UJJWAL DEORAO NIKAM (Nominated): Sir, I rise to speak on the Electoral Reforms. Indeed, I would like to thank the hon. Chairman, hon. Leader of the House and hon. Parliamentary Affairs Minister for their magnanimity in allowing discussion on Election Reforms. This is, particularly, significant because as per Rule 238, a Member while speaking shall not refer to any fact on which judicial decision is pending. I would like to inform this House, and we all are aware, that the subject matter of SIR is pending before the Supreme Court. Yet, keeping in mind the sentiments of the Opposition, the Government has agreed to hold a discussion on it. This is called the healthy spirit of the Government.

Sir, over the past decade, under the dynamic leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, our country has undertaken a transformative journey, marked by transparency, accountability and an unwavering commitment to the rule of law. SIR is another significant step in this ongoing process. Having spent more than four decades in the legal profession and having observed the justice system very closely, I can say with full responsibility that electoral reforms like SIR addresses several long-standing procedural gaps that have often led to ambiguity, delays and inconsistency. We are discussing electoral reforms. But let us be brutally honest; this discussion, coming from the benches opposite, reeks of hypocrisy. When Congress was ruling and were in power, they treated electoral reform reports not as blueprints for action, but as coasters for their evening tea. Now, let us look at certain recommendations which were made during their regime. Hon. Law Minister has made a reference to two such recommendations. The first recommendation which he referred to was the Tarkunde Committee Report of 1975. What happened to it? It was thrown in the dustbin. Then, the second committee report; the Dinesh Goswami Committee of 1990 recommended that the Election Commission be given teeth to punish booth-capturing, but it was ignored. The third important Committee was the Indrajit Gupta Committee of 1998 on State Funding of Elections; they sat on it. The recommendations of these Committees were made as graveyard. Why? It is because *status quo* suited them — a system opaque enough to manipulate, yet chaotic enough to claim plausible deniability.

Sir, let me remind them as to how they systematically diluted the power of the Election Commission. When T. N. Seshan began to enforce the Model Code of Conduct in the early 1990s, stopping misuse of the Government machinery and ending the era of booth-capturing, they did not applaud him. They panicked. On the contrary, they cut down his powers also. It was not the Parliament, under their leadership, that cleaned up the system; it was the courts, we, the lawyers and the

Contents Page

judiciary, had to step in where they had failed. The Supreme Court in Union of India *versus* Association for Democratic Reforms forced candidates to disclose their criminal antecedents. The Government of the day did not want you to know who was voting for you. In Lilly Thomas *versus* Union of India, the Supreme Court held that convicted MPs and MLAs were to be disqualified immediately. What was the instinct of this opposition then? They tried to bring an Ordinance to overturn that judgment and protect convicted criminals. Today, one of the hon. Members of DMK and also the Congress Party raised a question on EVMs in this august House. I, being a lawyer, dealing with evidence, let me tell my brother colleagues that in a recent 2024 judgment in Association for Democratic Reforms *versus* Election Commission of India, the Supreme Court did not just dismiss their doubts on EVMs; they dismantled them. The court explicitly ruled that a return to paper ballot is regressive, yet they cling on to this narrative. You want this country to go back to the era of ballot stuffing; the era where muscle power determined the vote count, not the voter. The last meaningful General Election the Congress Party won was in 2009. The electorate then was roughly 717 million. Today, in 2024-25, our Government is managing an electorate of nearly 980 million people.

This is a jump over 250 million voters - more than the entire population of Brazil, added to our rolls. To suggest that we manually count 970 million paper ballots, is not just logistical illiteracy, it is an invitation to anarchy. It would take months to count. The litigation alone would paralyze the democracy. In 2009, you did not complain about the machines. You complain now because the machines are recording a verdict you do not like. The Government today acts on the Law Commission's 170th report. The Government wants "One Nation, One Election" to streamline this very scale. The Government is digitizing the process to remove duplicate voters, ghost voters that the Opposition relied on for the decades. An accurate roll, we know, is the basic foundation of the Constitution. Section 21 of the Representation of the Peoples Act authorizes the Election Commission to undertake special revision of voters. This revision has many advantages. I do not want to quote again. Many speakers have already said this. In this process, millions of the grassroots Government personnel are involved. If they start questioning the electoral processes, then, we are questioning the integrity of the millions of the Government servants. Clean electoral rolls increase public trust, enhance fairness, and significantly reduce opportunities for manipulation or misuse. I would therefore say, the SIR is serving as a surgical strike against bogus and duplicate beneficiaries, who have been looting Government schemes like PM Kisan Yojana, as well as the

Ayushman Bharat, Ujjwala Scheme and the States' other *yojanas*. The Opposition parties are questioning the efficiency of these intensive revisions. They are deliberately spreading fear by branding "SIR" as a *Vote Chori*. This is their attempt to undermine the trust in the Election Commission. Their fake narrative is not based on the evidence but on political insecurity that they are anticipating losing elections. One of the top leaders of the TMC party said, and I quote: "Earlier, revision of electoral roll used to take years. Now, how such process has been completed within the stipulated time?" They have forgotten that this Government is of Modi*ji*'s BJP-led NDA Government. Our Prime Minister, Narendra Modi*ji* has always said: "जनमत ही सर्वोपरि है।" And now, I would like to invite your attention to refer to one Unstarred Question Number 4581 dated 7th December, 2010. On this date, the UPA Government's Minister of State for Home Affairs, while replying to the Unstarred Question 4581, had stated and I quote: "There are reports of foreign nationals from neighbouring countries, including Bangladesh, having entered the country without valid travel documents. Certain instances of some illegal immigrants, having obtained voter identity cards, ration cards and driving licenses, through fraudulent means, have been reported. Violation of law and involvement in illegal activities by the foreign nationals cannot be ruled out. A revised procedure for detection and deportation of illegal Bangladesh immigrants includes sending back them and there, the illegal immigrants, who are intercepted at the border, while entering India unauthorisedly." These are not my words. These words are the clear admission of the party who is now in opposition today, of the infiltrators, who got the right to vote in this country. Now, you are opposing SIR. Why? It is because it does not suit you. The Election Commission has an authority to assess citizenship for the purpose of the registration in electoral rolls. Indian citizenship is one of the constitutional mandatory requirements under Article 326 for entry into the voter list. Aadhaar card is not a proof of citizenship or residence. This is clearly mentioned in Section 9 of the Aadhaar Act. The Supreme Court has ruled the same many times. I come from Maharashtra where Kavi Bhushan in his verse, sings the glory of the war that Chhatrapati Shivaji Maharaj fought against the external powers. He said:

"तेज तम अंस पर, कान्ह जिमि कंस पर,
त्यौं मलिच्छ बंस पर, सेर शिवराज हैं।"

It means that Chhatrapati Shivaji Maharaj was like a lion, who prevailed over the barbaric foreigners. Today, Shivaji Maharaj is not among us. But, his values are with us. Hence, how can we allow these illegal immigrants to come here and have voter IDs? How can such persons get the benefit of the welfare schemes at the cost of,

we, the tax-payers? Why are they making hue and cry? I would like to remind them, सरहदें बना ली हैं और भूल बैठे हैं कि यह जमीन किसकी है, यह हमारी है, आसमां किसका है, हमारा है। In 2024, the Assembly elections were held simultaneously in Jharkhand and Maharashtra. Here, I would like to illustrate to you the double standard. The NDA Government got a brute majority in Maharashtra; whereas, in Jharkhand, the INDI Alliance's Government was formed. In Maharashtra, they alleged that election had been stolen, while in Jharkhand, it was held as 'Victory of Democracy.' *...(Time-Bell rings.)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): धन्यवाद, उज्जवल जी।

SHRI UJJWAL DEORAO NIKAM: In English, there is a saying, "You cannot have the cake and eat it too." Now they are alleging that there are multiple voters registered. दो नावों में सवार नहीं हुआ जाता। With these words, I thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Shri Muzibulla Khan; not present. Shri P.P. Suneer.

SHRI P.P. SUNEER (Kerala): Sir, it is imperative that this House discusses and brings forward Electoral Reforms to protect the democratic content of our Republic. Elections are not a ritual; they are the very mechanism through which the will of the people is translated into governance. Any distortion in this process strikes at the root of parliamentary democracy, that is, representation.

At the outset, I must draw the attention of this House to the grave threat posed by the on-going Special Intensive Revision of electoral rolls. What should have been a transparent and citizen-friendly exercise has instead become an ordeal. In Bihar, lakhs of votes were deleted during the process and, shockingly, over three lakh voters were added after the Election Commission declared the final electoral roll on 30th September 2025. This alone raises serious questions about the credibility, intent and scientific basis of this exercise.

Across several states, SIR has become a nightmare for citizens and election workers alike. Ordinary voters are being compelled to travel long distances, produce excessive documentation, and live under constant anxiety as if their right to vote is a privilege to be earned, not a constitutional guarantee. At the same time, booth-level officers and field workers are under unprecedented pressure due to vague, unscientific and hurried guidelines. Reports of mental stress and extreme

consequences among workers are deeply disturbing. The entire responsibility for this chaos lies with the Election Commission of India.

A level-playing field is the soul of free and fair elections. When the referee appears partisan, the match losses legitimacy. Whether it is selective enforcement of rules, silence on glaring violations or opaque decision-making, the credibility of the Election Commission is under strain and this is dangerous for our democracy.

To address three of these challenges, my party, the CPI, places the following demands on record of this House. The first one--Curb the role of money in politics through strict enforcement of expenditure limits and by introducing State funding of elections as recommended by the Indrajit Gupta Committee. This will enable people from poorer sections, the majority of our country, to meaningfully participate in electoral politics. The second one is, strengthen laws against criminalisation, barring candidates with serious charges, especially heinous crimes and hate speech from contesting elections until cleared by courts. Reform the appointment process of the Election Commission, freeing it from excessive executive interference and ensuring a transparent, bipartisan mechanism that inspires public confidence.

Sir, democracy cannot survive on rituals alone. It survives on trust, fairness and representation. *...(Time-Bell rings.)...* Electoral reforms are not a partisan demand, they are a necessity for us today. If the vote is weakened, the Republic is weakened. Let us act before the right to vote stops meaning anything. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, Shri Deepak Prakash.

श्री दीपक प्रकाश (झारखंड): उपसभाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अवसर दिया है। मैं आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं। महोदय, लोकतंत्र और चुनाव का संबंध अन्योन्याश्रय है। लोकतंत्र की हत्या करने वाले, लोकतांत्रिक संस्थाओं की आत्मा पर प्रहार करने वाले और वोट चोरी की बात तो छोड़ दीजिए, वोट की डकैती करने वाले आज दूसरे पर अँगुली उठा रहे हैं। महोदय, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? हमारे यहां कहावत है कि सौ चूहे बिल्ली खाकर बिल्ली हज करने के लिए चल चुकी है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति वही है। लोकतंत्र पर सबसे ज्यादा आघात करने वाली पार्टी आज चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए बैठी हुई है।

सर, हमारे पूर्व वक्ताओं ने चुनाव आयोग की चर्चा की है। अगर चुनाव आयोग को कठपुतली की तरह नचाने वाले किसी राजनीतिक दल का नाम है, तो वह नाम कांग्रेस दल है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई ऐसे पूर्व चुनाव आयुक्त रहे कि जब चुनाव आयोग में उनकी अवधि

समाप्त हुई, तो किसी को राज्यपाल, किसी को केंद्र सरकार में मंत्री, किसी को राज्य सभा का सदस्य, किसी को पद्मश्री दे दी और यदि किसी को कुछ नहीं मिला, तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ाने का काम किया। यह तो वही बात हुई कि माल महाराज का, मिर्जा खेले होली। * महोदय, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि किसी £ के तहत सरदार पटेल को प्रधान मंत्री बनाने से रोकने का काम यदि किसी ने किया है, भारत और भारतीयों की भावनाओं के साथ आघात करने का काम यदि किसी ने किया, तो वह पंडित नेहरू ने किया है, कांग्रेसियों ने किया है। अगर उस वक्त सरदार पटेल प्रधान मंत्री होते, तो भारत की तकदीर और तस्वीर दूसरी होती, पर ये आज कहते हैं - वोट चोरी। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को।

सर, 1974 का आंदोलन, जेपी का आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार राइट टू रिकॉल और चुनाव में सुधार के लिए हुआ था। अगर कांग्रेसियों को थोड़ी भी शर्म है, तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए था। महोदय, 'भारत रत्न' डॉ. भीमराव अम्बेडकर, जिनका दलित परिवार में जन्म हुआ था, जिन्होंने संविधान की रचना की थी, आपने उनको भी नहीं छोड़ा। आपकी बुरी नजर डॉ. अम्बेडकर पर भी पड़ी - यह सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, आपने £ रचे, आपने उनको चुनाव में हराने का काम किया, इसलिए मैं अमेरिकी लेखक को क्वोट कर रहा हूं। अमेरिकी लेखक Gail Omvedt ने अपनी किताब, *"Ambedkar: Towards an Enlightened India"* में लिखा है कि अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के चुनावी फ्रॉड के सबसे पहले शिकार थे और आज कांग्रेस कह रही है चुनाव प्रक्रिया! ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा वे कह रहे हैं।

महोदय, उनकी एक नेता हैं, मैं सदन में उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वे पहले क्या क्या बनीं। वे पहले मतदाता बनीं, बाद में भारत की नागरिक। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? महोदय इतना ही नहीं 18 दिसंबर, 1976 का वह काला दिन, जिस दिन 42वां संशोधन लाकर कांग्रेस ने उसे मिनी संविधान की रचना कहा था। अनुच्छेद 83 (2) के अंतर्गत उसमें उल्लेख किया गया था, उसमें संशोधन किया गया था और लोक सभा तथा विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्षों से बढ़ाकर 6 वर्षों तक कर दिया गया था। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य यह हो सकता है कि ये चुनाव प्रक्रिया के सुधार की बात करते हैं। कांग्रेस ने, उस समय की सत्तारूढ़ पार्टी ने जनता की भावनाओं के खिलाफ जाकर इनके कार्यकाल को पांच वर्ष से बढ़ाकर छः वर्ष करने का काम किया था।

महोदय, आपने अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए चुनी हुई सरकार को एक नहीं, बल्कि सौ बार गिराने का काम किया और आप चुनाव की बात करते हैं, चुनाव सुधार की बात करते हैं! महोदय, मैं आपको एसआईआर का उद्देश्य बताना चाहता हूँ। एसआईआर का उद्देश्य यह है कि सच्चे मतदाता देश के भाग्य का निर्माण करें। जब यह होने लगा, तो उसे लेकर क्या-क्या बातें हुईं? महोदय, जो लोग स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके नाम मतदाता सूची से कटने चाहिए या नहीं कटने चाहिए? क्या पुराना ज़माना आ गया है, जब कॉंग्रेस स्वर्गीय लोगों से, नर्क में गए हुए लोगों से भी वोट करवाती थी? आप यह करवाते थे या नहीं करवाते थे?

---

* Not recorded.

£ Expunged as ordered by the Chair.

Contents Page

महोदय, दूसरा मुद्दा शिफ्टिंग वोटर का है। अगर मैं रांची में रहता हूँ और बाद में दिल्ली आ गया हूँ, तो मेरा वोट एक ही जगह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन इससे काँग्रेस के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है, क्योंकि फर्जी वोटरों का खजाना ये अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। क्या किसी को दो स्थानों पर वोटर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इनके पेट में सबसे बड़ा दर्द बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर है। मैं झारखंड से आता हूँ। मैंने वहाँ का प्रकोप देखा है। मैंने संथाल परगना को नज़दीक से देखा है। मैं वहाँ के गाँवों और गलियों में घूमा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर किस प्रकार से घुसपैठिए आ रहे हैं। वे मुर्शिदाबाद, बंगाल से आ रहे हैं, टीएमसी के संरक्षण से आ रहे हैं और वहीं से उन्हें देश के अलग-अलग स्थानों पर भेजा जा रहा है। ...(**व्यवधान**)... महोदय, मैं मेरे बंगाल के साथियों को बताना चाहता हूँ कि जब बंगाल में एसआईआर का फैसला हुआ, तो लगभग 45 हज़ार बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल से हमीरपुर के रास्ते भाग चले, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत में प्रधान मंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री के रूप में सम्मानित अमित शाह जी हैं। एसआईआर के नाम से बांग्लादेशी घुसपैठियों के हाथ काँपने लगे और दूसरी तरफ सत्ताधारी दल टीएमसी के पैर काँपने लगे।

मित्रों, बिहार का चुनाव किस विषय पर जनादेश था? एसआईआर पर जनादेश था। मैंने बिहार के सभी प्रखंडों में घूमने का काम किया। सर, दो युवराज घूम रहे थे, वे सड़कों पर घूम रहे थे, गाड़ियों में घूम रहे थे, मोटरसाइकिल पर भाई और बहन भी घूम रहे थे। यहाँ तक तो हमें समझ में आया, लेकिन वे स्विमिंग पूल में स्वीमिंग भी कर रहे थे। महोदय, बिहार का चुनाव एसआईआर का जनादेश था। एसआईआर का जनादेश आ चुका है। बिहार का चुनाव एसआईआर पर जनादेश है। काँग्रेस की कितनी सीट्स आई हैं, सिर्फ छः सीट्स आई हैं!

महोदय, अब ईवीएम की चर्चा करते हैं। आपने ईवीएम के माध्यम से कई बार सरकार बनाई है या नहीं बनाई है? झारखंड में जो हाल ही में चुनाव हुए हैं, वे कैसे हुए हैं - ईवीएम से हुए हैं। जहाँ आप जीतते हैं, वहाँ लोकतंत्र की विजय कहते हैं और जब हारते हैं, तब ईवीएम पर दोष देते हैं! सर, हम गाँव से आते हैं और वहाँ कहा जाता है *"मीठा-मीठा गप-गप, तीता-तीता थू-थू।"* ऐसे नहीं चलता है। क्या ऐसे चलता है?

महोदय, मैं संथाल परगना की डेमोग्राफी के बारे में बताना चाहता हूँ। 1971 में वहाँ आदिवासियों की जनसंख्या 44-45 प्रतिशत थी और आज घटकर 28 प्रतिशत रह गई है। यह डेमोग्राफी का परिवर्तन कैसे हुआ? यह बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ पर मुर्शिदाबाद, पश्चिमी बंगाल के रास्ते से आते हैं और हमारी आदिवासी बहनों, हमारी मूलनिवासी बहनों के साथ लव जिहाद करते हैं, उनका धर्मांतरण कराते हैं और साथ ही उनके नाम और उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। लव जिहाद और लैंड जिहाद, दोनों साथ-साथ चलते हैं। ...(**समय की घंटी**)...

7.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): अब आप समाप्त कीजिए। टाइम हो गया है।

Contents Page

श्री दीपक प्रकाश : महोदय, मैं कह रहा था कि वहां लव जिहाद और लैंड जिहाद होता है। उसके बाद वहां पर जन-प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। कौन-से जन-प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं? वे जन-प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, जो £ भारत के नागरिक बनते हैं। वहां पर राष्ट्र विरोधी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, चाहे वह पीएफआई हो, जमात-उल-मुजाहिदीन बंगलादेश हो, जिन पर भारत की सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। देश को अशांत करने की £ करने वाले लोगों को अगर कोई संरक्षण देता है, तो वे बंगलादेशी घुसपैठिए देते हैं। * ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): अब आप समाप्त कीजिए।

श्री दीपक प्रकाश: सर, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। भारत के प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की बात कही जा रही है। इसके कई कारण हैं। मतदाता सूची ऐसी हो, जिसमें सही और सच्चे मतदाता हों, जो भारत के भाग्य का निर्माण करें। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्राइवेट बिल भी लाया था, जिसमें यह प्रावधान करने की बात थी कि हर नागरिक को जो वोट देने का अधिकार है, उसका शत-प्रतिशत उपयोग हो और उनमें कोई बंगलादेशी घुसपैठिए न हों। इन्हीं शब्दों के साथ, आपका बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : धन्यवाद। डा. सस्मित पात्रा जी।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Hon. Vice- Chairman Sir, I have 120 seconds, two minutes, to be precise, and I will be quick. It is not your concern; it is my party, which has given me a total of two minutes.

On behalf of our hon. Leader, Shri Naveen Patnaik*ji*, and my party, the Biju Janata Dal, I place before this august House ten specific suggestions on election reforms, very succinctly, within the next 1.5 minutes: First, real-time, booth-level data publication and authentication; second reform, a harmonised reconciliation system for simultaneous polls; third reform, standardised reporting of extended-hour polling percentages; fourth reform, automatic sharing of Form 17C and turnout records with all concerned political parties; fifth reform, full VVPAT-EVM matching at every booth to create verifiable trust; sixth reform, time-bound disposal of election representation and objections; seventh reform, independent third-party audits of critical election processes; eighth reform, pre-declared border management and inter-State coordination in sensitive constituencies; ninth reform, strengthen training and monitoring for polling personnel to uphold voter secrecy and procedural discipline; and, the last and the tenth reform, creation of an integrated election transparency dashboard.

£ Expunged as ordered by the Chair.

* Not recorded.

Hon. Vice-Chairman Sir, these reforms are not rooted in criticism, but in experience and evidence of our party, the Biju Janata Dal's on-ground observations, our extensive submissions to the Election Commission. On behalf of our hon. Leader, Shri Naveen Patnaik; our party, the Biju Janata Dal; and, the people of Odisha, I submit these reforms for the constructive and purposeful development of India's electoral democracy. With your permission, I would like to lay the rest of my speech on the table.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Bhubaneswar Kalita): You can take one or two minutes more.

DR. SASMIT PATRA: Okay, I am grateful, hon. Vice-Chairman Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Bhubaneswar Kalita): Please read your suggestions.

DR. SASMIT PATRA: First and foremost, I will first come to the first reform, and you can stop me whenever it is appropriate. In the real-time booth-level data publication and authentication, in 2024, several booths reflected discrepancies between reported turnout Form 17C entries and EVM vote counts. To prevent ambiguity of this nature, a mandatory system of real-time publication of booth-level turnout and counting data, digitally authenticated and publicly accessible, would ensure that data cannot be altered, delayed or withheld. This is the single most effective step towards transparency. The second point is, a harmonized reconciliation system for simultaneous polls. Our review of constituencies with simultaneous Lok Sabha and Assembly elections shows mismatch between both despite identical voter participation. A unified, automated reconciliation protocol — from booth to constituency — would ensure that simultaneous poll data is consistent. Thirdly, I request a standardized reporting of extended-hour polling percentages. In 2024, several constituencies witnessed late surges in final polling percentages that were not explained clearly or uniformly. To address this, a structured protocol is needed. Wherever polling extends beyond scheduled hours, a formal explanation, booth-wise data release, and time-stamped reporting should be made mandatory. This will help build clarity and prevent speculation.

On the issue of automatic sharing of Form 17C and turnout records with all political parties, one of the persistent concerns that has been raised by our party, in our delegations that met the Election Commission several times, was about the delayed or incomplete availability of Form 17C across several booths. Making the digital Form 17C automatically available to all recognized political parties immediately

after polling would end recurring contestation over turnout data and ensure uniform access to authenticated records.

On the full VVPAT-EVM matching at every booth to create verifiable trust, hon. Vice-Chairman, Sir, across the 2024 General Elections and Nuapada by-poll, stakeholders repeatedly sought verification through VVPAT systems. A 100 per cent VVPAT count- rather than selective sampling — would establish incontrovertible trust in electronic voting. The technology and manpower exist; what is needed is the institutional decision to adopt full verification as a standard practice for strengthening democratic confidence.

Hon. Vice-Chairman, Sir, on time-bound disposal of election representations and objections: during the 2024 polls and recently on the by-poll as well, many representations were submitted to the Chief Electoral Officer or the Election Commission including urgent-day-of-poll appeals, which remained pending beyond a period in which action would have mattered. Introducing a statutory timeframe for addressing representations — with acknowledgement, action taken and reasons recorded would deepen accountability in electoral administration.

One of the key aspects, hon. Vice-Chairman, Sir, is to strengthen training and monitoring — I will close with this; this is last, please — for polling personnel to uphold voters' secrecy and procedural discipline. Recently during a by-poll in Nuapada, a Presiding Officer was suspended for violating voter secrecy. This underscores the need for rigorous and continuous training. Standardized refresher courses, live simulation exercises and real-time supervisory checks are necessary; that will ensure that every polling staff member upholds procedural integrity without exception.

Sir, I thank you for your time and I hope that these reforms will go a long way in strengthening Indian democracy. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Now, Shri Ajit Kumar Bhuyan.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN (Assam): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me the opportunity. भारत का लोकतंत्र विश्व की सबसे विशाल जनभावना का प्रतिबिंब है। यह जनभावना बची रहे, इसके लिए चुनाव प्रक्रिया संदेह से परे हो, हम सब लोग इस संसद में डिबेट के माध्यम से यही प्रयास कर रहे हैं और देश को संदेश दे रहे हैं। Sir, the Election Commission of India, one of the most trusted public institutions in the world's largest

democracy, is facing a test of credibility. * सर, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। The electoral process and its credibility are the soul of democracy. The credibility of an electoral system or democracy in general, is dependent solely on it being seen as fair by all.

Sir, I am a representative from Assam which is treated in a different way in many sensitive issues. You are also from Assam, but people here do not understand, really they do not understand, the problem of Assam. While in 12 States of the country, Special Intensive Revision is undertaken, in Assam, it will only be a 'Special Revision', not 'Intensive.' The Chief Electoral Officer of the State made it clear that a person who spends two nights in the State will be eligible to include his name in the voter list. This is simply a dangerous proposition. As per Assam Accord, detection and deletion of foreigners' names from the voter list is not yet seriously and effectively done. The persons detected in preparation of NRC are yet to be deleted from the voters' list. When a more intensive revision was the need of the hour, but in the name of special revision, more inclusion of names has been encouraged. * *... (Time-bell rings)...* Sir, one minute. I am the only lone voice, Opposition's lone voice, from the North-East. ...(Interruptions)...

MS. SUSHMITA DEV (West Bengal): No, you are not! I am also there. *...(Interruptions)...*

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: No; you are not from Assam, you are representing West Bengal. *...(Interruptions)...* I agree. You are my friend. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please. You both decide it.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: Democracy depends not only on the vote, but on the guarantee that every ballot is accurately recorded and that electoral institutions operate impartially. What is at stake is not merely the outcome of one election, but faith in the electoral process itself. The current voter rolls' controversies demand more than a routine verification. They require a renewed commitment to institutional independence, transparency and accountability that transcend partisan interests. The failure to seriously investigate the Opposition's allegations of inaccuracies signals not an abstract threat to democracy, but a tangible erosion of public confidence. *...(Time-bell rings)...* Thirty seconds, Sir.

---

* Not recorded.

Contents Page

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): अब आप समाप्त कीजिए।

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: * Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Shri Sujeet Kumar.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Hon. Vice-Chairman, Sir, I begin by expressing my highest regards for our institutions, whether it is the Election Commission of India or the Supreme Court. सर, मैं अपना वक्तव्य दो भागों में रखूंगा। एक, ओडिशा में जो उपचुनाव हुआ था, उसके बारे में और दूसरा, जो निर्वाचन सुधार के बारे में वृहत चर्चा हो रही है। Sir, I didn't want to speak about the by-election in Odisha, लेकिन यहां पर एक सदस्या उसके बारे में सदन को भ्रमित करके गई हैं, and my very good friend, Sasmitji, also spoke about it; so, I am compelled to set the record straight for the benefit of the nation.

सर, अभी हाल ही में ओडिशा के नुआपाड़ा में एक by-election हुआ था, जो मेरे ही parliamentary constituency में आता है। उसमें BJP won with a margin of 83,000 plus votes. The Congress came second and the BJD came third. Just 18 months ago, that seat was with BJD. Now, Sir, after this humiliating defeat -- in Odia, we call it '*Sochanya Paraja*' -- immediately, the BJD started crying like a crybaby. उसने रोना-धोना शुरू कर दिया। And they had several allegations. I will read out the allegations. First is, the high turnout. Sir, the BJD claims that the ECI kept revising the official turnout figures of the by-poll -- first, announcing 75 per cent polling at 5 p.m. on the polling day, that is, 11th of November; then, increasing it to 81 per cent the next morning; and, finally, to 83.45 per cent. This is the allegation. Also, in 41 booths, the turnout was over 90 per cent. This, they alleged, was rigging. Sir, my defense is, the ECI clearly permits voting beyond 5.00 p.m. for anyone who is already in the queue, which is common in many rural and tribal areas because people come either early in the morning or after work. And, that was harvest season. सर, लोग धान काट कर आ रहे थे, इसलिए शाम 5 बजे के बाद पोलिंग परसेंटेज बढ़ गई। Sir, high turnout is normal in rural booths and it is not indicative of rigging. High local mobilization, low migration and smaller booth size fully account for the elevated turnout. And this is not the first time. I will read out how this high turnout has happened in multiple places. In Madhya Pradesh, in 2018, in a constituency called Depalpur, the turnout was 82.49 per cent and in 66 booths the turnout was more than 90 per cent; in one booth it was 98 per cent. In Andhra Pradesh, in Darsi, in 2024, the turnout was 90.11 per cent. In Odisha, in 2014, when BJD won, Telkoi constituency had a turnout of 84.2 per cent, and they are questioning how there was a high turnout of 83 per cent in this by-election.

Sir, talking of the next allegation, the BJD alleged that on November 9th, just two days before the by-elections, a truckload of EVMs was covertly transported from Ganjam district to Nuapada, a distance of 500 kilometres. सर, इतना असत्य! The Chief Electoral Officer and media kept asking the BJD for the vehicle number, ट्रक नंबर तो दीजिए कि कौन-सी ट्रक में गई है। सर, जब कोई ट्रक 500 किलोमीटर जाती है, तो वह कितने सारे टोल प्लाजाज़ से होकर जाती है, रास्ते में कितने सारे सीसीटीवीज़ होंगे। None of this was seen. The third allegation, which is actually childish and laughable is about booth no. 250, where an AI-generated video and photo was circulated by both BJD and Congress suggesting that आप कोई भी बटन दबाएँगे, तो वोट बीजेपी को जाएगा। Sir, let me tell you the final voting figures. Look at the final voting in booth 250 — Congress got 277 votes, BJP got 267 votes and BJD got 63. अगर कोई भी बटन दबाने से बीजेपी को वोट मिलती, then, how come Congress got more votes in that booth? सर, आजकल ऐसे फेक वीडियोज़ कोई भी बच्चा बना लेता है। ये लोग सोचते थे कि हम ऐसे फेक वीडियोज़ और फोटो बना कर कांग्रेस को घेर लेंगे। सर, महाप्रभु जगन्नाथ जी की महिमा देखिए - Out of 358 booths in that constituency, BJP won in 309 booths but lost in this booth where they made this allegation, so that इनकी असत्य पकड़ में आए। यह महाप्रभु जगन्नाथ जी ने किया। Sir, 15 days ago I publicly challenged all my friends, BJD MPs, to come for a public debate on any of the irregularities they are alleging, at any place, date and time of their choice. I repeat, they can come for a debate at any time, or they can go to the court.

Sir, the final allegation on this by-election and the final winning margin — as I mentioned the BJP won with a margin of 83,000 in this booth. सर, बीजेडी लगातार बाय-इलेक्शन में अच्छे मार्जिन से जीतती आ रही है। I will give the numbers. Bijepur constituency in 2018 — 42,000, Bijoypur in 2019, BJD won with a margin of 98,000 votes. Padmapur in 2022 - 42,679, Jhasura in 2023 — 48,721. Sir, they won with a margin of 98,000 votes and they are questioning the 83,000 margin now. BJP accepted the people's mandate with humility in all the past elections they lost. Why can't the Opposition do so? सर, मैं खुद उस समय बीजेडी में था और मैं बहुत सारे बाय-इलेक्शन्स से जुड़ा हुआ था। मैं अभी भी कहता हूँ कि BJD had excellent election management and strategy and that is why they won. I say that they never indulged in any corrupt practices, लेकिन अभी समय बदल गया है। Instead of gracefully accepting people's mandate, they are playing crybaby. Sir, what is good for the goose has to be good for the gander.

Sir, I now come to part-2 of my speech. Last week, Congress leader, Shri Ajay Makan, while speaking on SIR and electoral reforms, spoke of three elements, legality, transparency and neutrality. The Opposition claims that ECI has no legal

Contents Page

justification to conduct the SIR. सर, एसआईआर क्या है? It is simply a voter list verification process. बोगस वोटर्स को लिस्ट से बाहर करना और genuine वोटर्स को लिस्ट में लाना। This is simply what the SIR is. Article 324 of the Constitution and Section 21(3) of the Representation of People's Act, 1951, mandates the ECI to do this. So, the SIR is simply an exercise of this legal authority given by the Constitution.

Sir, free and fair election has been ingrained into the Basic Structure of the Constitution, as articulated by the hon. Supreme Court in the *Keshavanand Bharti* judgement of 1973. Accuracy of the electoral roll is one of the key essentials for free and fair elections. So, if *ghuspaithiya* and illegal voters cast their votes, then, the elections are meaningless and that is violative of the Basic Structure.

This is why SIR is legal and should be conducted at regular intervals. SIR is being done in the most transparent manner. Voters have to verify their inclusions in the rolls and they can raise claims for correction or objection from the period of publication of draft rolls to the release of final rolls. सर, इतिहास गवाह है कि रियल वोट चोरी किसने की है। इनको एक बार अपना इतिहास देख लेना चाहिए। 1946 के बारे में बहुत लोगों ने चर्चा की है। मैं बस इतना ही अनुरोध करूँगा, they should read a book by Rajmohan Gandhi, none other than Rajmohan Gandhi, 'Patel: A Life', on page 370, how the 'vote *chori*' of Congress has been exposed in 1946. Number two is regarding the defeat of Dr. B. R. Ambedkar. That has been mentioned a number of times. I am not getting into that. Third is the Raj Narain Versus Indira Gandhi case of 1975. It will be inappropriate if I do not mention that. Mrs. Gandhi was guilty of corrupt electoral practices which debarred her from holding public office for 6 years in the famous Raj Narain Versus State of UP case, which was pronounced by Justice Sinha of Allahabad High Court. What was the response of the Congress' leadership? Did they respect the rule of law? जी नहीं। Instead of that, the power-hungry Congress declared National Emergency and also brought in the 39th Constitution (Amendment) Act that the election of the Prime Minister, President, Vice-President and Lok Sabha Speaker could not be challenged in any Court, all pending cases would stand terminated. उपसभाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी को हर पार्लियामेंट सेशन में हर रोज ज़ीरो ऑवर से पहले सदन और देश से इस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। There were some allegations about the destruction of CCTV footage. The Government changed the law to allow the EC to destroy CCTV footage after 45 days of the election, which is evidence of intent to hide fraud. This is the allegation. क्या 45 दिनों तक आप सोते रहे? Why cannot you ask for the CCTV footage within 45 days and submit it if there is any malpractice, as per your allegation? They ask: Who owns the EVM source code, the company or the Government? The EVMs are designed indigenously and

manufactured by two highly respected PSUs of our country, namely, BEL and ECIL. The source code is also developed in-house.

Sir, the violation of the Model Code of Conduct has come into discussion multiple times in Bihar. It was alleged that Rs.10,000 was transferred to the bank accounts of women by violating the MCC. I have already clarified that this claim is misleading because the MCC came into force only on 6th October, 2025, while the Women Empowerment Scheme, in question, was announced earlier on 26th September, 2025 -- 10 days before the MCC was enforced. Why is the BJP winning time and again? Why is this massive electoral victories across the country? Is it because of vote *chori* or because of pro-poor governance? I think, the Opposition needs to reflect. I think, they are clueless why BJP is winning. Let me tell them why the BJP is winning. The BJP is winning, time and again, because of 10.33 crore LPG connections released under PM Ujjwala scheme; because of 15.75 crore rural tap water connections under Jal Jeevan Mission; because of 12 crore household toilets built under Swachh Bharat Mission; because of 81.35 crore individuals given free foodgrains under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana; because of 42 crore citizens enrolled under Ayushman Bharat; because of 3.78 crore homes built under PM Awas Yojana; because of the saving of Rs.40,000 crore under PM Jan Aushadhi Yojana where 10 lakh patients are buying medicines on a daily basis from the Jan Aushadhi Kendras; because of 56.16 crore bank accounts opened under PM Jan Dhan Yojana where 56 per cent beneficiaries are women; because of Rs.33.65 lakh crore loans sanctioned to 52 crore beneficiaries under PM Mudra Yojana where 68 per cent beneficiaries are women; because of Rs.3.7 lakh crore transfers to 11 crore farmers under PM Kisan. I could go on and on. ...(*Time Bell*)... सर, हमको बार-बार भारत के लोग जिता रहे हैं, इसलिए वोट चोरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे, लोक सभा में किसी एक सदस्या ने कहा कि उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए हैं, इसलिए जीत रहे हैं। सर, क्या कांग्रेस को सच में लोकतंत्र की चिंता है? इसकी अपनी कलंकित चुनावी विरासत की जो छवि है, वह इसको reflect करना चाहिए। जय हिन्द!

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। महोदय, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव एक राजनैतिक वैधता और नागरिक जिम्मेदारी की एक आधारशिला होती है। जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए चुनाव सुधार आवश्यक हैं। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कानूनी ढाँचे को मजबूत करना, संस्थागत तंत्र को सुधारना और चुनावी प्रणाली से जनता का विश्वास बहाल करना है।

संविधान ने चुनाव आयोग को देश में निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु विशेष शक्तियाँ प्रदान की हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। आज विपक्ष द्वारा देश के चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से देश के संविधान और बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर के विचारों का अपमान है। आज भारत का चुनाव आयोग पूरे विश्व में एक उदाहरण है। चुनाव आयोग ने पिछले 75 वर्षों में देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखने में अहम भूमिका निभाई है।

महोदय, आज चुनावी सुधारों की दिशा में चुनाव आयोग द्वारा देश के कुछ राज्यों में पात्र वोटरों को चिन्हित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने न पाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो सके।

महोदय, 1950 से लेकर अभी तक चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर मतदाता सूची में सुधार हेतु ऐसे अभियान चलाए गए हैं। पूर्व में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिससे देश में समय-समय पर इस प्रकार की प्रक्रिया से सही और सटीक सूची बनाई गई है। महोदय, इसी क्रम में इस बार चुनाव आयोग द्वारा देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया गया है। महोदय, विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं और विरोध किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि इन्हें आपत्ति किस बात की है। कहीं इन्हें इस बात का डर तो नहीं है कि वे हमेशा के लिए सत्ता से बाहर न हो जाएं।

महोदय, मैं एक बात और बताना चाहती हूं। पिछले दिनों संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे और सदन में असत्य विषय रख रहे थे। वे कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 18 प्रतिशत मतदाता काटे जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। उनकी कौन-सी सूचना तंत्र है, उन्हें यह सूचना कहां से मिल गई? मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं, यहां इतने सभी सांसद बैठे हैं, किसी को इस बात की सूचना नहीं मिली। इनके बोलने के बाद मैंने यह जानने का बहुत प्रयास किया कि क्या यह सच है, लेकिन यह एकदम असत्य है। इस तरीके से यहां भ्रांतियाँ फैलानी नहीं चाहिए। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूं। माननीय सांसद राम गोपाल जी बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उनका बहुत सम्मान भी करती हूं, लेकिन वे कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो बीएलओ मुसलमान और यादव जाति के हैं, उन्हें बीएलओ से हटा दिया गया है। मैं बताना चाहती हूं कि जहां से वे आते हैं — इटावा-औरैया — वहीं से मैं भी आती हूं। मैंने भरथना तहसील और बिधूना तहसील में पता किया। जब मेरे क्षेत्र के बीएलओ ने मुझे फोन किया और कहा कि आप अपना फॉर्म भर दीजिए, तो मैंने नाम पूछा। उन्होंने अपना नाम राहुल यादव बताया। ...(**समय की घंटी**)... उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने भी हमें बताया कि मेरा नाम राहुल यादव है। तो किस तरीके की ये बातें की जा रही हैं, वे भी जानते हैं कि जाति-पाति और परिवार की बात इनके यहां होती है। हमारे यहां तो 'सबका साथ, सबका विकास' पर काम होता है।

Contents Page

महोदय, हाल ही में बिहार में लगभग 65 लाख अपात्र वोट पाए गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं। मैं सोच रही हूं कि उसमें 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर वोट बना हुआ है। क्या यह गलत नहीं है? क्या एक व्यक्ति का दो-दो बार वोट डालने का अधिकार है या मतदाता सूची में रहने का अधिकार है? केवल उधर बैठे व्यक्तियों के परिवार में लोगों की मृत्यु नहीं हुई, इधर हमारे भी माँ-बाप व अन्य लोगों की मृत्यु हुई है। ...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा: जिनकी मृत्यु हो गई है, उन सबके वोट हटाए गए हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. on Tuesday, the 16th December, 2025.

The House then adjourned at thirty minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 16th December, 2025

Contents Page

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)